लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[पन्द्रहवां सत्र
Fifteenth Session]

Preservation Unit
18-6-94
Fumigated
On 4.1.84
Parliament Library

(खंड 59 में अंक 21 से 32 तक हैं
Vol. LIX contains Nos. 21—32)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया। *Price: One Rupee*

अंक 23, गुरुवार, 25 अगस्त, 1966/3 भाद्र, 1888 (शक)
No. 23, Thursday, August 25, 1966/Bhadra 3, 1888(Saka)

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या			
S. Q. Nos.			
659. विदेशों से लिये गये ऋणों की अदायगी	Repayment of Foreign Loans	..	1—4
660. राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Undertaking in Rajasthan	..	4—6
662. राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में महलनवीस समिति का प्रतिवेदन	Mahalanobis Committee's Report on National Income		6—9
663. सरकारी दफ्तरों का स्थानान्तरण	Shifting of Government Offices	..	9—10
664. आदिवासियों का सामाजिक व आर्थिक स्तर	Secio-Economic Standard of Adivasis	..	11—13
665. शहरों में भूमि के मूल्य	Price of Urban Land	..	13—17
अ० सू० प्र० संख्या			
S. N. Q. No.			
17. तलवाड़ा (व्यास बान्ध) में सिलिंडर का फटना	Cylinder burst at Talwara (Beas Dam)	..	17—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS			
661. मकान किराया भत्ता	House Rent Allowance		18
666. भारत में विदेशी विनियोजन	Foreign Investment in India		18—19
667. ब्रिटेन से सहायता	Aid from U. K.	..	20

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

668. जीवन बीमा निगम का 1966 में कारोबार	Business transacted by L. I. C. in 1966	20
669. जीवन बीमा निगम के बीमा-धारियों की मृत्यु दर	Death rate among L. I. C. Policy Holders ..	21
670. नागार्जुनसागर तथा शरावती परियोजनायें	Nagarjunasagar and Sharavatty Projects ..	21
671. पी० एल० 480 की निधियों का दिया जाना	Release of PL-480 Funds ..	21—22
672. कैंसर रोग के कारण तथा उसका इलाज	Causes and Cure of Cancer	22
673. भारत तथा पाकिस्तान में बैंक	Banks in India and Pakistan ..	22—23
674. मैसर्ज बर्ड एण्ड कम्पनी	M/s. Bird and Co.	23
675. डाक और तार कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता दिया जाना	Payment of Compensatory Allowances to P. & T. Staff ..	23—24
676. ब्रिटेन द्वारा बैंक की दर का बढ़ाया जाना	Increase in Bank Rate by U. K. ..	24
677. विश्वविद्यार्थियों में परिवार नियोजन विभाग	Family Planning Departments in Universities	24
679. अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए स्वयंसेवी संगठन	Voluntary Organisations for Scheduled Castes, Welfare ..	24—25
680. अनुसूचित जातियों को सुविधायें	Facilities to Scheduled Castes ..	25
681. कृषि कार्यों के लिये बिजली की सप्लाई	Electricity Supply for Agricultural Purposes	25—26
682. बाढ़ों के कारण हानि	Damage due to Floods	26
683. रविदास नगर के निवासियों में क्षय रोग और आमाशय की बीमारियां	T. B. and Stomach troubles among residents of Ravidass Nagar ..	27
684. संयंत्र तथा मशीनों के बीमें का अध्ययन करने के लिए रूस को भेजा गया दल	Team to USSR to study Insurance of Plant and Machinery ..	27—28
685. भिक्षा-वृत्ति	Beggary ..	28

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
686. सीमा-शुल्क विभाग के कार्य-करण का अध्ययन करने के लिये अध्ययन दल	Study Team to study working of Customs Department ..	29
687. केन्द्रीय योजनाओं का राज्यों को हस्तांतरण	Transfer of Central Schemes to States ..	29
688. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों की शिकायतें	Grievances of C. H. S. Doctors ..	30
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3291. बिहार में कल्याण केन्द्र	Welfare Centres in Bihar ..	30
3292. "केरल हाउस" कौरतलम	Kerala House, Courtallam ..	31
3293. केरल में चेचक का उन्मूलन	Smallpox Eradication in Kerala ..	31—32
3294. दिल्ली में सामुदायिक विकास परियोजनायें	Community Development Projects in Delhi	32
3295. दिल्ली में मकान मालिक सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Accommodation to Government Employees owning Houses in Delhi ..	32—33
3296. त्रिवेन्द्रम में जल की सप्लाई	Water Supply in Trivandrum ..	33
3297. दिल्ली में अस्पतालों के नामों को बदलना	Changing of Names of Hospitals in Delhi ..	33
3298. त्रिवेन्द्रम में लोक निर्माण विभाग को लकड़ी के काम की वर्कशापें	P. W. D. Wood Working Workshops, Trivandrum ..	34
3299. पुनर्वास वित्त प्रशासन से ऋण	Loans from Rehabilitation Finance Administration	34—35
3301. अमरीका में आयकर अधिकारियों को प्रशिक्षण	Training of Income-Tax Officers in U.S.A.	35—36
3302. कल्लाई में फ्यूल ब्रिकेटिंग प्लांट	Fuel Briquetting Plant in Kallai ..	36
3303. केरल में ग्रामोद्योग परियोजनायें	Rural Industries Projects in Kerala ..	36—37
3304. केरल के अस्पतालों के कम्पाउंडरों से अभ्यावेदन	Representation from Compounders of Kerala Hospitals ..	37
3305. केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड के अध्यक्ष	Chairman, Central Board of Direct Taxes ..	37—38

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या			
U. S. Q. Nos.			
3306. विदेशों से ऋण	Loans from Abroad	..	38
3307. भारत से चीन को चोरी-छिपे माल ले जाया जाना	Smuggling of Goods from India to China	..	38—39
3308. सिंचाई की सुविधायें	Irrigational Facilities	..	39
3309. इन्दौर में जल की कमी	Water Scarcity in Indore		39—40
3310. प्रतिरक्षा लेखा विभाग में स्थानान्तरण	Transfers in Defence Accounts Deptt.	..	40
3311. सिंगापुर से मद्रास में माल का चोरी-छिपे लाया जाना	Smuggling of Goods into Madras from Singapore	..	41—42
3312. जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Quarters for L. I. C. Employees	..	42
3313. अफीम का तस्कर व्यापार	Opium Smuggling	..	42—43
3314. दिल्ली अस्पताल संस्था	Delhi Hospitals Association	..	43
3315. बम्बई में घड़ियों का चोरी छिपे लाया जाना	Smuggling of Watches in Bombay		43—44
3316. स्वास्थ्य एकक तथा अस्पताल	Health Units and Hospitals		44
3317. नगरीय सामुदायिक विकास खंड	Urban Community Development Blocks	..	44—45
3318. उत्तर प्रदेश में सिंचाई और बिजली सम्बन्धी योजनायें	Irrigation and Power Schemes in U. P.	..	45
3319. उत्तर प्रदेश में बिजली का तैयार किया जाना	Power Generation in U. P.		45
3320. दिल्ली में एक यात्री से चोरी छिपे लाया गया सोना बरामद किया जाना	Smuggled Gold recovered from a Passenger at Delhi	..	46
3321. गोरखपुर डिवीजन में आयकर की बकाया राशि	Income-Tax Arrears in Gorakhpur Division		46
3322. दरभंगा में पकड़ा गया अवैध सोना	Contraband Gold seized in Darbhanga	..	47
3323. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम	National Buildings Construction Corporation		47
3324. दिल्ली में समयोग अन्धे व्यक्ति	Able-bodied Blind Men in Delhi	..	48

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

3325. नोट	Currency Notes ..	48
3326. मद्रास हवाई अड्डे पर जब्त किया गया सोना	Gold Seized at Madras Airport ..	49
3327. आन्ध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड	Andhra Pradesh Wakf Board	49—50
3328. चौथी योजना में निर्यात	Exports during Fourth Plan	50
3329. केसरी दाल को साफ करना	Treatment of Kesari Dal ..	50—51
3330. कृषि पुनर्वित्त निगम के ऋण	Agriculture Refinance Corporation Loans ..	51—52
3331. दिल्ली में हरिजनों को मकान बनाने के लिये राज-सहायता	Housing Subsidy to Harijans in Delhi	52—53
3332 वाशिंगटन में वैदेशिक कार्यों के सम्बन्ध में परामर्शदाता के रूप में श्री जे० एन० गंजू की नियुक्ति	Appointment of Shri J. N. Ganju as Consultant on External Affairs in Washington	53
3333. मैसर्ज ओरियन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन और मैसर्ज मैकेन्जीज़ लिमिटेड	M/s. Oriental Timber Trading Corporation and M/s. Meckenzees Ltd. ..	53—54
3334. दिल्ली नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारियों का दर्जा	Health Officers Status in Delhi Municipal Corporation ..	54
3335. नई दिल्ली के एक अस्पताल में उपेक्षा का व्यवहार	Indifference of a New Delhi Hospital	54—55
3336. पश्चिम - बंगाल पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर तस्कर व्यापार	Smuggling on West Bengal-East Pakistan Border ..	55
3337. योगिक संस्थाओं को सहायता	Aid to Yogic Institutions	55—56
3338. निषिद्ध नेपाली गांजे की बरायदगी	Recovery of Contraband Nepalese Ganja ..	56
3339. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से सहायता	Aid from International Development Association ..	56
3340. सोने का तस्कर व्यापार	Gold Smuggling ..	56—57
3341. चोरी छिपे लाये गये सोना तथा चांदी का करनाल में पकड़ा जाना	Smuggled Silver and Gold Seized in Karnal..	57

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3342. रतलाम स्टेशन पर अफीम का पकड़ा जाना	Recovery of Opium at Ratlam Station	57—58
3343. गांजे की तस्करी	Smuggling of Ganja ..	58
3344. अगरतला नगरपालिका	Agartala Municipality ..	58—59
3345. नई दिल्ली में श्रमजीवी महिला होस्टल	Working Women's Hostel, New Delhi ..	59
3346. आदिम जातीय क्षेत्रों में औद्योगिक परियोजनायें	Industrial Projects in Tribal areas ..	60
3347. केरल में ग्राम जल सम्भरण योजनायें	Village Watter Supply Schemes in Kerala ..	60
3348. आदिवासियों की शिक्षा	Education of Adivasis ..	61
3349. इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली	Irwin Hospital, New Delhi	61—62
3350. राज्यों में बिजली में कटौती	Power Cuts in States	62
3351. कोलार स्वर्ण क्षेत्रों में श्रमिक	Workers in Kolar Gold Fields	62—63
3352. केरल में बेकार सफाई निरीक्षक	Unemployed Sanitary Inspectors in Kerala..	63
3353. पाकिस्तान को पानी की सप्लाई	Supply of Water to Pakistan ..	63
3354. राजस्व विभाग में हिन्दी अधिकारी	Hindi Officers in Revenue Department ..	64
3355. राजपत्रित अधिकारियों और आशुलिपिकों का कार्यभार	Work Load of Gazetted Officers and Stenographers ..	64
3356. पम्पिग सेटों को बिजली से चलाना	Energisation of Pumping sets ..	64—65
3357. पंचायतों के हरिजन सदस्य	Harijan Members of Panchayats ..	66
3358. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये शिक्षा सुविधायें	Educational Facilities to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. ..	66—67
3359. आयोजित वस्तुओं की बरायदगी	Recovery of Imported Goods	67
3360. मेहतर वर्ग के विद्यार्थियों के लिये होस्टल	Hostels for Students Belonging to Scavenger Classes ..	67—68

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.		
3361. उड़ीसा में अनुसूचित जातियों के छात्रों को मैट्रिक के बाद की शिक्षा के लिये छात्र-वृत्तियां	Post-Matric Scholarships to Scheduled Caste Students in Orissa	68
3362. मेहतरों के लिये बस्तियां	Colonies for Scavengers	68—69
3363. "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन	"Grow More Food" Campaign ..	69
3364. कुष्ठ रोग	Leprosy ..	69—70
3365. उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता	Dearness Allowance to U. P. Government Employees ..	70—71
3366. केरल राज्य में पजहासी परियोजना	Pazhassi Project in Kerala State ..	71
3367. नागार्जुन सागर बांध	Nagarjunasagar Dam ..	71—72
3369. निःसंवर्ग पद (ऐक्स केडर पोस्ट) पर प्रति-नियुक्ति भत्ता	Deputation Allowance on ex-cadre Posts ..	72
3370. योजना आयोग में अनुसन्धान अधिकारी	Research Officers in Planning Commission	72—73
3371. योजना परियोजनाओं सम्बन्धी समिति	Committee on Plan Projects ..	73—74
3373. मद्रास में रामानदी और गडाना जलाशय योजनायें	Ramanadhi and Gadana Reservoir Schemes in Madras ..	74
3374. नेपाल को भारत से निर्यात किया गया माल	Goods Exported from India to Nepal	74
3375. बारी से पहले सरकारी फ्लैटों का दिया जाना	Out of Turn Allotment of Government Flats	75
3376. प्रकाशन प्रबन्धक, दिल्ली	Manager of Publications, Delhi	75
3377. प्रकाशन प्रबन्धक, दिल्ली	Manager of Publications, Delhi ..	76
3378. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इंजीनियर	Engineers in C. P. W. D. ..	76
3380. उड़ीसा के भूमिहीन आदिम जातीय लोगों के लिये मकान और भूमि के नियतन के बारे में सर्वेक्षण	Survey re. Housing and allotment of land to Landless Tribals of Orissa ..	76—77

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3381. उड़ीसा में गांवों में बिजली लगाना	Rural Electrification in Orissa ..	77
3382. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में वास्तुकलाविज्ञों (आर्किटेक्ट्स) के सेवा-काल का बढ़ाया जाना	Extension of Service to Architects in C. P. W. D. ..	77—78
3383. म्युनिसिपल स्टेडियम, कालीकट	Calicut Municipal Stadium ..	78
3384. विशाखापतनम् में समुद्र में भूमि का कटाव	Sea-Erosion in Visakhapatnam ..	78—79
3385. अनुर्वरीकरण (वैसेक्टोमी) के मामले	Vasectomy Cases ..	79
3386. पंजाब में लूप शिविर	Loop Camps in Punjab ..	79—80
3387. नदी के जल की हानि के लिये पाकिस्तान द्वारा प्रतिकर की मांग	Pakistan's Demand for Compensation for Loss of River Waters. ..	80
गृह-कार्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्नों के बारे में (प्रश्न)	Re. Question of Privilege Against the Ministry of Home Affairs (Query)	80
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Breach of Privilege	80—85
श्रीनगर के उर्दू समाचार पत्र 'आइना' के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege Against "Aiyana", Urdu Newspaper of Srinagar ..	85—86
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	86—89
याचिका समिति	Committee on Petitions ..	89
कार्यवाही का सारांश	Minutes ..	89
मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 517 के उत्तर की शुद्धि	Correction of Answer to Starred Question No. 517 Re. M/s Bird & Co. ..	90
विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1966—	Appropriation (No. 3) Bill, 1966	91
विचार किया गया और पारित किया गया	Considered and passed ..	91—92

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
जयन्ती शिपिंग कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक	Jayanti Shipping Company (Taking over of Management) Bill	.. 92—106
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	92
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath	.. 93—95
श्री शिंकरे	Shri Shinkre	.. 95
श्री संजीव रेड्डी	Shri Sanjiva Reddy	.. 95—98
खण्ड 2 से 21 और 1	Clauses 2 to 21 and 1	.. 98—106
संशोधित रूप में पारित किये जाने का प्रस्ताव	Motion to pass as amended	106
श्री संजीव रेड्डी	Shri Sanjiva Reddy	.. 106
हाल की रेल दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव	Motion Re: Recent Railway Accidents	.. 107—115
श्री अ० प्र० शर्मा	Shri A. P. Sharma	.. 107—108
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	108
श्री आल्वारेस	Shri Alvares	.. 108—109
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	.. 109—110
श्री क० ना० तिवारी	Shri K. N. Tiwary	.. 110—111
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	.. 111—112
श्री वारियर	Shri Warior	.. 112
श्री स० का० पाटिल	Shri S. K. Patil	.. 113—115

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 25 अगस्त, 1966/3 भाद्र, 1888 (शक)

Thursday, August 25, 1966/ Bhadra 3, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Repayment of Foreign Loans

+

*659. **Shri Bibhuti Mishra :** **Shri R. Barua :**
Shri K. N. Tiwary : **Shri Sivamurthi Swamy :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme for repayment of loans taken from abroad at an early date ; and

(b) the time by which all the loans for which the agreements have been signed so far will be repaid ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी नहीं ; प्रत्येक ऋण की वापसी उसी करार के अनुसार की जानी है, जिसके अन्तर्गत वह ऋण लिया गया है ।

(ख) विदेशी ऋणों की वापसी 3 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की विभिन्न अवधियों में की जाती है । हमारे मौजूदा ऋणों की वापसी इस प्रकार की जानी है :

ऋण की अवधि	कुल ऋण का प्रतिशत
10 वर्ष और उससे कम	10
11-20 वर्ष	29
21-30 वर्ष	16
31-40 वर्ष	29
41-50 वर्ष	16
जोड़	100

Shri Bibhuti Mishra : May I know the total debt obligations of India to foreign countries and the amount of interest thereon that we have to pay every year ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं यह जानकारी दे सकता हूँ। जहां तक ब्याज का सम्बन्ध है प्रत्येक ऋण का अपना ब्याज है और उसकी गणना करनी पड़ेगी।

श्री त्यागी : कुल पूंजी राशि कितनी है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : 31 जुलाई, 1966 को सरकार द्वारा लिये गये तीन वर्गों के ऋणों की राशि—मैं सरकार से भिन्न ऋणों की बात नहीं कर रहा हूं—उनकी किस्म के अनुसार 4,175·62 करोड़ रुपये, 1,286.01 करोड़ रुपये और 1,045.97 करोड़ रुपये थी। पहली किस्म के ऋण वे हैं हमें जिनका भुगतान अपनी मुक्त विदेशी मुद्रा (फ्री फारेन एक्स्चेंज) में से करना है, दूसरी किस्म के ऋणों की अदायगी रुपयों में करनी है और तीसरी किस्म के ऋण रुपयों में हैं परन्तु साथ ही ऋण देने वाली सरकार यदि वह चाहे तो उतने मूल्य का सामान खरीद सकती है।

श्री त्यागी : क्या यह राशि रुपये की घटी हुई दर के अनुसार है अथवा पहली दर पर ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि यह 31 जुलाई, 1966 की राशि है। मैं निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, यह घटी हुई दर के अनुसार ही है।

Shri Bibhuti Mishra : I want to know the total amount of debts of all types payable by us as on 25th August, 1966, together with the total amount of outstanding interest. Can the Finance Ministry not work it out ? We keep an up-to-date record of our debts.

श्री शचीन्द्र चौधरी : यह नवीनतम आंकड़े हैं। जहां तक ऋण की अदायगी का प्रश्न है, हम अब तक समय पर भुगतान करते रहे हैं।

Shri K. N. Tiwary : Is it not a fact that the Minister of Planning is proceeding to U. K. and U. S. A. for holding discussions regarding our outstanding debt obligations which has adversely affected the flow of loans from the World Bank as reported in the press to day ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : यह जानकारी सही नहीं है।

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : मैं विश्व बैंक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिये नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वित्त मंत्री अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिये जायेंगे। यदि कोई बातचीत करनी होगी, तो वे वहां पर होंगे ही। इस आशय का समाचार गलत है।

Shri Shree Narayan Das : Had the U. K. Government stated that they would be prepared to extend the date of repayment of loans repayable in foreign exchange in 1966 in case other lending agencies do the same ? Has any progress been made in this regard ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : ये तो विभिन्न सरकारों को विचार करना है। उन्हें निश्चय करना है कि ऋणों की अदायगी के समय में परिवर्तन किया जाय अथवा उसके लिये पुनः वित्त प्रदान किया जाये, मेरे पास और कोई जानकारी नहीं है।

डा० रानेन सेन : वित्त मंत्री महोदय के वक्तव्य से स्पष्ट है कि ऋण की राशि बहुत अधिक है। इसलिए व्याज भी अधिक ही होगा। क्या यह सच नहीं है कि भारत सरकार ने सम्बन्धित पक्षों से ब्याज के भुगतान के लिए और समय मांगा है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जी, नहीं, अधिक समय के लिए नहीं कहा गया है। समय में परिवर्तन (रीशीड्यूलिंग) तथा अधिक समय लेना दो बिल्कुल भिन्न बातें हैं। समय-परिवर्तन (रीशीड्यूलिंग) का अर्थ यह है कि हम देय ब्याज को ध्यान में रखते हैं और कहते हैं कि हम ऋण में से उन्हें यह देंगे, यह लिया जायेगा अथवा नहीं लिया जायेगा, इन बातों पर विचार करना है। लेकिन जब तक सम्बन्धित सरकारें निश्चय नहीं कर लेतीं ऐसा नहीं किया जा सकता।

श्रीमती सावित्री निगम : 1965-66 में भारत ने विभिन्न प्रकार के ऋणों पर ब्याज के रूप में कितनी राशि दी तथा कितनी राशि देना बकाया है ?

अध्यक्ष महोदय : वे कह चुके हैं कि अब तक इसका पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

श्रीमती सावित्री निगम : उन्होंने केवल ऋण के आंकड़े बताये हैं, ब्याज के नहीं। मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या भारत सरकार ने ऋणदाताओं को अपना यह विचार बताया है कि ब्याज की दर बहुत अधिक है और इसे कम किया जाना चाहिये ? यदि हां, तो उनका क्या उत्तर था ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जो भी हमारा दायित्व था हमने उसका भुगतान कर दिया है।

श्रीमती सावित्री निगम : कितनी राशि का भुगतान किया ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मुझे इसके लिए नोटिस चाहिए।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या अवमूल्यन के समय तथा उसके बाद ऋण के रूप में लिए गये धन का मूल ऋण तथा उसके ब्याज की अदायगी के लिये उपयोग किया जायेगा ? यदि ऐसा है और यदि सरकार को इतनी वित्तीय कठिनाई हो रही है, तो सरकार मूल ऋण तथा उसके ब्याज के भुगतान के समय में परिवर्तन सम्बन्धित सरकारों की सद्भावना पर न छोड़कर स्वयं प्रयास क्यों नहीं करती ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जहां तक हमारा सम्बन्ध है अन्य देशों ने परियोजना तथा गैर-परियोजना कार्यों के लिए निश्चित राशि तक ऋण का वचन दे रखा है। हमने सारी राशि नहीं ली है ; हमने कुछ ही धन लिया है। यदि सभा चाहे, तो मैं इसके भी आंकड़े दे सकता हूं। इसके बाद समय-परिवर्तन (रीशीड्यूलिंग) का प्रश्न हमेशा उत्पन्न होता है। यद्यपि मैं भुगतान करने की स्थिति में होंऊ, फिर भी मैं चाहूँगा कि थोड़ी गुंजायश रखूं। हम अपने ऋणदाता देशों पर अपनी इच्छा तो नहीं लाद सकते। उनके साथ निश्चित करार है, जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते। हम अदायगी करने की स्थिति में रहे हैं और अच्छे तथा ईमानदार ऋणी के नाते हमारा विचार अदायगी करते रहने का है। लेकिन साथ ही स्वाभाविक रूप से हम यह चाहेंगे कि यदि सम्भव हो तो थोड़ी गुंजायश हो जाये। इस प्रयोजन से मैंने यूरोप में बातचीत की थी।

श्री शशी रंजन : एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि हमारी उधार पात्रता चीन से बहुत कम है । इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि विश्व में चीन और पाकिस्तान की तुलना में हमारी ऋण पात्रता कितनी है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : इस देश की ऋण पात्रता की किसी अन्य देश से तुलना करना मैं अशोभनीय समझता हूँ । मैं तो केवल इतना कह सकता हूँ कि हमारी ऋण पात्रता, बहुत अच्छी है, विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें विभिन्न देशों से 90 करोड़ डालर ऋण मिल चुका है ।

श्री हेम बरुआ : चूंकि प्रत्येक भारतीय पर 100 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से विदेशी ऋण है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या रुपये के अवमूल्यन से भावी ऋणों के स्वरूप पर कोई प्रभाव पड़ने की सम्भावना है और क्या अवमूल्यन से भुगतान-शेष की स्थिति में कोई सुधार हुआ है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : प्रश्न के पहले भाग में तो केवल राय मांगी गई है और जहां तक दूसरे भाग का सम्बन्ध है, अभी यह नहीं कहा जा सकता कि अवमूल्यन के बाद भुगतान-शेष की स्थिति क्या होगी ।

राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में उपक्रम

\+

*660. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री कर्णी सिंहजी :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी पांच वर्षों में राजस्थान में सरकारी क्षेत्र का कोई बड़ा उपक्रम स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां,तो उसका स्वरूप क्या है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) . केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक और खनिज परियोजनाओं और उनके निर्णीत स्थान के बारे में सूचना चौथी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के मसौदे में दी जायेगी और यह मसौदा इस सत्र के दौरान ही लोक सभा में प्रस्तुत कर दिया जायेगा । जिन परियोजनाओं के स्थान के बारे में निर्णय नहीं किया गया है उनका निर्देश भी मसौदे में रहेगा । राज्य योजनाओं में शामिल की जाने वाली परियोजनाओं का निर्णय, राज्य सरकारों से उनकी चौथी योजना के प्रस्तावों के बारे में ब्योरेवार विचार विमर्श करने के बाद, किया जायेगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या मैं यह समझूं कि निकट भविष्य में राजस्थान में कोई परियोजना रखने के बारे में अभी तक कोई निश्चय नहीं किया गया है और इन सब पर योजना की रूपरेखा पर विचार करते समय निर्णय किया जायगा ? राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या सुझाव दिये हैं और उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री अशोक मेहता : जहां तक केन्द्रीय औद्योगिक और खनन परियोजनाओं का सम्बन्ध है वे लगभग 126 हैं । उनमें से अधिकांश, लगभग 90 प्रतिशत, के स्थान के बारे में निर्णय कर लिया गया है । इनमें से अधिकतर परियोजनायें पहले ही से हैं और उनका विस्तार किया जा रहा है तथा कुछ नई परियोजनायें हैं जिनके स्थान के बारे में निर्णय किया जा चुका है । केवल कुछ ही ऐसी परियोजनायें हैं, जिनके स्थान के बारे में निर्णय किया जाना है । पहले तो हमें इन परियोजनाओं को शामिल करने के बारे में निर्णय करना है, उसके बाद स्थान के बारे में विचार किया जायेगा । राजस्थान सरकार ने कुछ प्रस्ताव रखे हैं लेकिन उन्हें बड़ी औद्योगिक अथवा खनिज परियोजनायें नहीं कहा जा सकता और इसलिए राजस्थान सरकार को कुछ उद्योग आरम्भ करने होंगे और उन पर राज्य योजनाओं पर विचार करते समय ध्यान दिया जायेगा ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि अन्य स्थानों पर अधिक उद्योगीकरण होने से पिछड़े राज्यों के और अधिक पिछड़े हो जाने के कारण प्रादेशिक असन्तुलन बढ़ रहा है और इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार हमें बतायेगी कि राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं पर कितना प्रस्तावित व्यय होगा तथा क्या सरकारी क्षेत्र में राजस्थान में इंजीनियरी अथवा सीमेंट के क्षेत्र में भारी उद्योग स्थापित करने का विचार है ?

श्री अशोक मेहता : जहां तक इंजीनियरिंग का सम्बन्ध है मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य यह जानते हैं कि कुछ समय पहले अजमेर में एक मशीन औजार कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया गया था । सीमेंट बड़े उद्योगों की सूची में सम्मिलित नहीं है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैंने तो सीमेंट के बारे में इसलिए कहा था कि वहां पर कच्चा माल उपलब्ध है ।

श्री अशोक मेहता : लेकिन सीमेंट पर राज्य योजना के अन्तर्गत विचार किया जायेगा ।

जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है वहां पर खेत्री ताम्बा परियोजना है, जिसका विस्तार किया जा रहा है; उदयपुर में जिंक स्मैलटर है; कोटा में सूक्ष्म औजार कारखाना है । इन सबका निर्माण हो रहा है । अजमेर मशीनी औजार कारखाने के प्रश्न पर, सांभर में नमक साफ करने तथा सोडियम सल्फेट कारखाना के प्रश्न पर तथा उदयपुर में जवाहर माइन्स के विस्तार के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

राज्य क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने चौथी योजना में बड़े तथा मध्यम उद्योगों के लिये 575 लाख रुपए नियत करने का प्रस्ताव रखा है । इसमें से 500 लाख रुपए राज्य उद्यम विभाग

द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाली परियोजनाओं के लिये नियत करने का विचार है तथा शेष 75 लाख रुपए औद्योगिक बस्तियों सम्बन्धी योजनाओं के लिये होगा। राज्य सरकार ने अभी तक कोई ब्योरा नहीं दिया है।

श्री कर्णी सिंहजी : उत्तरी राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में एक उर्वरक कारखाना स्थापित न करने तथा वहां के अतुल जिप्सम भण्डारों को भारी खर्चे पर सिन्दरी भेजने की अपेक्षा वहां पर इस कारखाने में प्रयोग न करने के क्या कारण हैं ? सरकारी क्षेत्र में पालना में लिग्नाइट भण्डारों से 'ओपन कास्ट माइनिंग' प्रणाली द्वारा लिग्नाइट नहीं निकालने के क्या कारण हैं ?

श्री अशोक मेहता : लिग्नाइट निक्षेपों से लिग्नाइट निकालने का प्रश्न विचाराधीन है। कोटा में दो उर्वरक कारखाने स्थापित किये जाने की संभावना है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : वे तो यूरिया आधारित हैं।

श्री अशोक मेहता : मैं जानता हूं। प्रोद्योगीकीय दृष्टि से यह निर्णय किया गया है कि नेफ्था आधारित उर्वरक तैयार करें क्योंकि प्रोद्योगीकीय दृष्टि से यह सबसे सस्ता पड़ता है। हम कोयला-आधारित उर्वरक नहीं बनायेंगे। पहले सोचे गये कोयला-आधारित उर्वरक का उत्पादन छोड़ दिया गया है और हम नेफ्था आधारित उर्वरकों पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं।

राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में महलनबीस समिति का प्रतिवेदन

+

*662. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आय के वितरण के सम्बन्ध में महलनबीस समिति का प्रतिवेदन सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है :

(ख) यदि नहीं तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसके कब तक क्रियान्वित होने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). आय-वितरण और निर्वाह-स्तर समिति ने, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर पी० सी० महलनबीस हैं, अभी तक अपनी रिपोर्ट का केवल पहला भाग ही पेश किया है। इसे सभा की मेज पर पहले ही रखा जा चुका है। समिति की रिपोर्ट का दूसरा भाग अभी सरकार को नहीं मिला। जब तक यह भाग नहीं मिलता, तब तक सरकार रिपोर्ट पर सामूहिक दृष्टि से विचार नहीं कर सकती। सरकार ने एकाधिकार आयोग के रूप में पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसकी सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। महलनबीस समिति की रिपोर्ट के पहले भाग में दिये गये निष्कर्षों का स्वभावत: इस क्षेत्र के लिए नीतियां निर्धारित करने पर प्रभाव पड़ा है।

Shri Yashpal Singh : This matter has been under discussion in this House for the last five years. Government appointed Mahalanobis Committee and Monopoly Commission in this connection. But the fact is that the rich is becoming richer and the poor is becoming poorer day by day. May I know whether there are any provisions in the report of Mahalanobis Committee or in that of Monopoly Commission to save the poor from this exploitation ?

Shri L. N. Mishra : The Hon. Member might have seen in the first part of the report placed on the Table of the House that there is no conclusive evidence of uneven distribution of income. So far as the Monopoly Commission's report is concerned, Mr. Dutt in his note of dissent has stated that the wealth is being concentrated. But we cannot arrive at any conclusion unless we receive the second part of Mahalanobis Committee's report because the Committee have suggested to wait till the submission of the second part of their report for arriving at any conclusions.

Shri Yashpal Singh : For how long the Government will depend on the Mahalanobis Committee, which is a non-official committee aided by the Government ? The agricultural production has been declining for the last eighteen years but the Government are not providing any facilities to make to the country self-sufficient in the matter of agricultural produce. Would not the Government entrust this work to a committee appointed by it instead of depending on Mahalanobis Committee ?

Shri L. N. Mishra : This is not a non-official Committee. This Committee was appointed by Government though there are non-official members on the committee and it has also submitted its report. So far agriculture is concerned, this has nothing to do with this committee. This committee relates to the distribution of wealth only.

Shri Vishwa Nath Pandey : May I know whether the Committee has submitted any interim report so far as the second part of the report is concerned. The committee in first part of its report has made a mention of uneven distribution of wealth. Keeping in view the memoranda submitted by several economists regarding uneven distribution of wealth, may I know whether the Government will examine the recommendations made in the first part of the Mahalanobis Committee's report regarding disparity in wealth ?

Shri L. N. Mishra : The first report of the committee was presented to this House sometime in February-March, 1964—in which two opinions have been expressed regarding uneven distribution of wealth. The Committee has stated that there is no evidence of uneven distribution of wealth. The Committee has also expressed that there is concentration of wealth and Shri Dutt of Monopoly Commission is also of the same view. I have no information about the memoranda submitted by the economists.

Shri Bhagwat Jha Azad : Is it not a fact that the second part of this committee which was appointed by late Pandit Jawahar Lal Nehru has so far not been presented to this House because the rich people of this country have influence over the Government and if it is not a fact what are the reasons for not submitting this report so far ?

Shri L. N. Mishra : There is no question of influence. This is an entirely independent Committee. The members of this committee are of very high status. It is, therefore, unfair to say that this committee is working under some influence. So far as the delay in submitting the report is concerned, we have asked the committee to expedite the submission of report but they could not do so because some of the members of the committee are busy in other important

works and they go abroad also from time to time. The Government is anxiously waiting for the report and we want to take action thereon.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि आज स्वतन्त्रता के 19 वर्ष बाद देश निर्धनों और धनाढ्यों का देश बन गया है ? प्रोफेसर महलनवीस द्वारा प्रतिवेदन का प्रथम भाग प्रस्तुत किये जाने पर, एकाधिकार आयोग नियुक्त किया गया । क्या सरकार का विचार धन के केन्द्रीयकरण के सम्बन्ध में इस आयोग की किसी सिफारिश को क्रियान्वित करने का है ? इसके अतिरिक्त आय में असमानता को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री ल० ना० मिश्र : समिति के तीन निर्देश पद थे । समिति के प्रतिवेदन में दूसरे और तीसरे निर्देश पद, अर्थात् आय के वितरण में असमानता और धन के केन्द्रीयकरण का उल्लेख किया गया है । प्रतिवेदन का पहला भाग इन दो विषयों से सम्बन्धित है । दूसरा भाग दूसरी पंचवर्षीय योजना में जीवन स्तर से सम्बन्धित है । हम इस प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

जहां तक एकाधिकार आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का सम्बन्ध है, हम उन पर विचार कर रहे हैं और आशा है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ठोस कार्यवाही की जायेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या इन सिफारिशों को क्रियान्वित भी किया जायेगा ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या सरकार को पता है कि धन कुछ धनी लोगों के हाथों में केन्द्रीकृत होने के कारण पूंजी निवेश उचित ढंग से नहीं हो रहा है और यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय आय का जनसाधारण में समान वितरण करने के हेतु इस प्रकार के धन के केन्द्रीयकरण के रोकने के लिए सरकार का ठोस कार्यवाही करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री ल० ना० मिश्र : इस बुराई के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है । आर्थिक शक्ति के कुछ हाथों में चले जाने से कई बुराइयां पैदा हुई हैं । हमारी योजना का उद्देश्य ही इसे रोकना है । हम धन के कुछ हाथों में चले जाने के विरुद्ध हैं । हम इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं ।

Shri Sinhasan Singh : May I know whether Government are not aware that the wealth has been concentrated in few hands and country has become a country of poverty and plenty and, if so, whether Government have themselves taken any steps to prevent this concentration of wealth ?

Shri L. N. Mishra : Late Pandit Jawahar Lal Nehru knew this fact and that was why he appointed this committee. It is true that the rich have become richer but I do not agree that the poor have become poorer. I have already stated in my answers that the conclusions arrived at in Part I of the Mahalanobis Committee's Report have, naturally influenced the formulation of policies in this field. That is why this fact has been given due weight in the Fourth Five Year Plan.

श्री वारियर : क्या यह सच नहीं है कि सत्तारूढ़ दल ने एकाधिकार आयोग की सिफारिशों के बारे में अपने तरीके से निर्णय किया है और इसीलिए विमति टिप्पणि सहित सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : सिफारिशों को क्रियान्वित न किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। उन पर विचार किया जा रहा है। वास्तव में इन पर मंत्रिमंडल विचार कर रहा है और शीघ्र ही निर्णय की घोषणा की जायेगी।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार को पता है कि भारत में कुछ धनी लोग आज इतने धनी बन गये हैं जिसकी इतिहास में कोई मिसाल नहीं है और ये फर्में भारत के बैंकों के दो तिहाई ऋणों पर नियंत्रण करती हैं ? क्या सरकार को ब्रिटेन में एकाधिकारों का, जिनके आधार पर हमने अपनी संस्थाएं स्थापित की हैं, पता है और क्या सरकार को यह भी पता है कि ब्रिटेन में एकाधिकार आयोग की नियमित बैठक होती है और वह बड़ी से बड़ी कम्पनियों की आलोचना करता है; और हाल में उसने एक टायर कम्पनी को बहुत बड़ा जुर्माना किया है ? सरकार शीघ्र कुछ उपाय क्यों नहीं करती ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह बुराई विद्यमान है। इसके लिए आयोग नियुक्त किया गया था और उसका प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। माननीय सदस्य जानते हैं कि कुछ सिफारिशें उग्र तथा आमूल परिवर्तनवादी हैं। सरकार उन पर विचार करेगी और यथासंभव उन्हें क्रियान्वित करेगी।

सरकारी दफ्तरों का स्थानान्तरण

*663. **श्री नि० रं० लास्कर :** क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 7 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3379 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली क्षेत्र में अत्यधिक भीड़-भाड़ के विचार से सरकारी दफ्तरों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के बारे में आज तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या कुछ मंत्रालय/सम्बद्ध दफ्तरों में केन्द्रवर्ती स्थान से दूर जाने के लिए अनिच्छा पाई जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती): (क) दिल्ली से बाहर भेजे जाने वाले प्रस्तावित 16 कार्यालयों में से अभी तक तीन कार्यालय बाहर गये हैं। वे हैं :—

(i) दी सेन्ट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन (वाटर विंग), फरीदाबाद को।
(ii) दी नेशनल सैम्पल सर्वे डायरेक्टरेट (अधिकांश भाग), फरीदाबाद को।
(iii) दी फर्टलाइजर कार्पोरेशन आफ इन्डिया (केवल अंश), गोरखपुर को।

(ख) जी हां।

(ग) मुख्य कारण है दिल्ली से बाहर जाने पर उठने वाली प्रशासनिक तथा कार्यात्मक असुविधायें।

श्री नि० रं० लास्कर : क्या सरकार ने देश के कुछ उन नगरों का सर्वेक्षण किया है जहां पर दिल्ली से कुछ कार्यालय ले जाये जा सकते हैं ।

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): आरम्भ में स्थिति कुछ ठीक थी किन्तु जनसंख्या के बढ़ जाने से तथा स्थानीय सरकारों के लिए अपेक्षित कार्यालयों की संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण मुख्य नगरों में हमें स्थान नहीं मिल रहा है ।

Shri Yashpal Singh : Mahatma Gandhi promised to decentralise but the Government are evading the issue by saying that they do not find accommodation in any of the important cities, why these offices are shifted to rural areas ?

Shri Mehr Chand Khanna : Government offices cannot be shifted there.

श्री श्रीनारायणदास : मंत्री महोदय ने प्रश्न (ख) भाग का उत्तर स्वीकारात्मक दिया है । इस बात के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि ये कार्यालय तथा उनके सम्बद्ध कार्यालय अन्य स्थानों पर ले जाये जाने के बारे में अनिच्छा प्रकट न करें ?

श्री भगवती : हमने उन्हें अपने कार्यालय फरीदाबाद तथा अन्य स्थानों पर, जहां हमने उन के लिये स्थान की व्यवस्था की थी, ले जाने के लिए कहा था किन्तु उन्होंने इन्कार कर दिया ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि कर्मचारियों ने कार्यालयों के दिल्ली से बाहर ले जाये जाने के बारे में आन्दोलन आरंभ किया है क्योंकि दिल्ली से बाहर जाने पर वे उन सुविधाओं से वंचित हो जायेंगे जो उन्हें दिल्ली के प्रथम श्रेणी के नगर होने से उन्हें दिल्ली में मिलती हैं ? क्या उन्हें इस प्रकार का कोई आश्वासन दिया जायेगा कि फरीदाबाद या अन्य किसी स्थान पर कार्यालय ले जाने की स्थिति में उनके वेतन की कुल राशि सुरक्षित रहेगी ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : सरकारी कर्मचारियों के दिल्ली छोड़ कर फरीदाबाद जैसे स्थानों में जाने के बारे में झिझक का कारण यह नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : सरकार का क्या निर्णय है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : हमने इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय से बातचीत की है । वित्त मंत्रालय का विचार है कि यदि फरीदाबाद अथवा समीपवर्ती स्थानों का दर्जा एक बार बढ़ाया गया तो उसके लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो जायेगी । अतः वह अब तक इसके लिये सहमत नहीं हुआ किन्तु उसने कुछ लाभ दिया है । उसने अब तक दिल्ली के बराबर नगर भत्ता देना मान लिया है ।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether Government have acquired some land near Ghaziabad for some office and, if so, whether the Central Government have paid the price to the Uttar Pradesh Government for the land acquired through them and if so, the amount thereof and by what time this amount will be given to the farmers ?

Shri Mehr Chand Khanna : We will pay the compensation as soon as the acquisition will be completed. I can assure that there will be no delay on our part.

Socio-Economic Standard of Adivasis

+

*664. **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri Rishang Keishing :
Shri M. K. Kumaran :

Will the Minister of **Planning and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to take any special steps to raise the socio-economic standard of Adivasis equal to that of other classes of the society ;

(b) if so, the main features thereof ; and

(c) when their backwardness is likely to be removed ?

Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b) ; All the schemes for the welfare of Scheduled Tribes in the successive Five Year Plans have been designed to raise the economic and social standards of the Scheduled Tribes to the level of the rest of the population. These schemes are to supplement the provisions made in the general sector of the plan for the socio-economic development of the country, as a whole.

(c) The nature of the problem is such and its extent so vast, that it will yet take some time to bring them on par with the rest of the population. It is not possible to fix any time-limit for the purpose.

Shri Sidheshwar Prasad : May I know whether attention of Government has been drawn to this fact that the advanced sections have been benefitted more by three Plans as compared to backward sections and that the tribals (Adivasis) have been benefitted much less ? Keeping this and the past experience in view have Government going to take some special measures during the Fourth Plan ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : केन्द्रीय क्षेत्र तथा राज्य क्षेत्र दोनों में बहुत से कार्यक्रम हैं । मैं सभी कार्यक्रमों का उल्लेख करके सभा का समय नहीं लेना चाहता । लेकिन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आदिम जातीय खण्डों का है । विशेष आदिम जातीय खण्ड 25,000 जनसंख्या वाले लगभग 150 से 200 वर्ग मील क्षेत्र में हैं, जिनमें 66⅔ प्रतिशत व्यक्ति आदिम जातियों के हैं । हमने यह देखा कि इससे आदिम जातियों के काफी भाग को लाभ नहीं होगा क्योंकि हमेशा ही ऐसा जमाव न हो, इसलिए, अब हम विचार कर रहे हैं 10,000 जनसंख्या वाले 60 से 100 वर्ग मील के उप-जातीय खण्ड हों, जिनमें आदिम जातीय लोग केवल 50 प्रतिशत ही हों, फिर भी कुछ लोग बच सकते हैं जो अन्य भागों में फैले हुए हों । उनके लिये भी कुछ कार्यक्रम बनाये जाने चाहिए । योजना अवधि में प्रति 1,000 आदिम जातीय लोगों के लिये 10,000 के कार्यक्रम की व्यवस्था होगी ।

Shri Sidheshwar Prasad : Adequate transport, medical and educational facilities are not available in the predominantly tribal areas such as Chhota Nagpur, Bastar or Assam. Therefore, are Government going to chalk out a programme of providing these facilities in addition to the formation of tribal blocks ?

श्री अशोक मेहता जहां आदिम जातीय लोगों तथा आदिम जातीय क्षेत्रों के लिये विशेष

व्यवस्था की गई—वहां प्रत्येक योजना में पहली योजना से अधिक धन नियत किया गया—यह भी आशा की जाती है कि इन क्षेत्रों को सामान्य नियतन में से भी उचित अंश मिलेगा, जो पूरे राज्य के लिये किया जाता है। इसलिए आदिम जातियों तथा आदिम जातीय क्षेत्रों के लिये की गई व्यवस्था का पूरक है। इन दोनों राशियों को मिलाकर काफी प्रगति होगी, ऐसा हमारा विश्वास है।

श्री स्वैल : क्या सरकार को मालूम है कि आदिम जातियों के लोगों में यह भावना व्याप्त है कि सरकार अपने वचनों को कार्यरूप देने में सुस्त और असफल रही है तथा इसकी घोषणायें आदिम जातियों के लोगों के लिये वास्तविक चिन्ता के लिये न होकर दिखावे के लिये हैं ? सरकार की घोषणाओं के प्रति आदिम जातीय लोगों का विश्वास प्राप्त करने के हेतु सरकार का विचार उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या विशेष कार्यवाही करने का है ?

श्री अशोक मेहता : माननीय सदस्य को मालूम होगा कि जहां तक आसाम के पहाड़ी जिलों का सम्बन्ध है अभी हाल में एक दल सभी जिलों में गया था और एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया है, जो मैं विश्वास करता हूं सदस्य महोदय ने देखा होगा। शायद श्री त्रिलोक सिंह ने, जो इस दल के नेता थे, उसके बारे में उनसे बातचीत की है। यह विशेष ठोस तथा विस्तृत कार्यक्रम आसाम सरकार के परामर्श से तैयार किया गया है। हम शीघ्र ही अन्तिम रूप देने की आशा करते हैं। यह घोषणा का प्रश्न नहीं है, यह तो निर्धारित समय में पूरा किये जाने वाले ठोस कार्यक्रम का प्रश्न है। यदि माननीय सदस्य इस विषय पर कोई सुझाव देना चाहें, तो रूपरेखा पर चर्चा के समय हमें उनकी राय से लाभ उठाने का अवसर मिलेगा।

Shri M. L. Verma : The Hon. Minister just now stated that tribal development blocks have been started in accordance with the report of Dheboor Commission whereas the fact is that tribal development blocks have not been set up in accordance with the report. Since the Fourth Plan is going to be taken up, will you kindly take care of it ?

Shri Ashoka Mehta : He should inform me where these have not been set up, we will enquire about it. He never mentioned in the meetings of the Consultative Committees.

श्री हेम बरुआ : यह दुर्भाग्य की बात है कि आसाम के आदिम जातियों के लिए कल्याण योजनाओं के अधीन आदिवासी लोग नहीं आते, जो चाय बागान क्षेत्रों में मजदूरों में सबसे अधिक हैं। क्या सरकार का विचार आसाम चाय बागान क्षेत्रों में काम करने वाले इन आदिवासियों को आदिम जातियों की कल्याण योजनाओं में सम्मिलित करने का है ?

श्री अशोक मेहता : बिना नोटिस के मैं इसका निश्चित उत्तर तो नहीं दे सकता लेकिन माननीय सदस्य को मैं यह बता दूं कि मैं कह चुका हूँ कि जिन स्थानों में आदिम जातीय लोगों की संख्या अधिक नहीं है, वहां के लिए भी हम कुछ कल्याण योजनाएं बना रहे हैं। ये लोग वास्तव में चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिक हैं या बचे हुए आदिम जातीय लोग, इस बारे में पता करूँगा।

श्री जयपाल सिंह : आंकड़ों के अनुसार तीनों योजनाएं प्रभावशाली रही हैं, आदिवासियों के कल्याण के लिए सरकार ने कितना रुपया नियत किया है। लेकिन तीनों योजनाएं असफल रही हैं क्योंकि विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति में, चाहे वे आदिम जातीय खण्डों में हों अथवा सामान्य योजनाएं हों, क्योंकि काम आदिम जातियों के लोगों के जरिये नहीं कराया गया। कर्त्तव्य-निष्ठ स्वैच्छिक कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वे बहुत कम हैं और कठिनाई से मिलते हैं। अधिकांशत: आदिवासी विद्रोही रहे हैं क्योंकि उन्हें इन योजनाओं का अंग नहीं बनाया गया है। हमें अब काफी शिक्षा मिल चुकी है, तो क्या चौथी योजना में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जायगा तथा आदिवासियों के विकास कार्यों में उन्हें भागीदार बनाया जायगा क्योंकि वे पहले जैसे पिछड़े हुए नहीं रहे हैं और अपने विकास के कार्यों में भाग ले सकते हैं।

श्री अशोक मेहता : जहां तक प्रशासनिक व्यवस्था का प्रश्न है, आदिम जातीय क्षेत्रों में कुछ पदालियां बनाने का प्रस्ताव है। इन पदालियों के अधिकारियों को ठीक प्रकार अभिमुख किया जायगा और उनसे काफी समय तक आदिम जातीय क्षेत्रों में काम करने को कहा जायगा। हमने बहुत से राज्यों में पंचायती राज कार्यक्रम लागू किया, उससे मैं समझता हूँ यह सम्भव हो सकेगा, शायद सभी राज्यों में सम्भव हो सकेगा कि अधिकांशत: आदिम जातीय जनसंख्या वाले जिलों में जिला परिषद्, जिला पंचायत बनाई जायें, जो अपना विकास कार्यक्रम पूरा कर सकें। माननीय सदस्य को यह देखना चाहिए कि बिहार में विकेन्द्रित प्रशासन व्यवस्था का कार्यक्रम पहले से अधिक तेजी से होता है।

Shrimati Jayaben Shah : Jungles are being cleared and the adivasis living there are being uprooted. What concrete steps being taken to rehabilitate them and provide employment to them ?

Shri Ashoka Mehta : The Hon. Member is aware that we have started a number of forest cooperatives and forest industries in Maharashtra and Gujarat and our efforts are to extend them to other states as well. A separate provision has been made in the Fourth Five Year Plan for the rehabilitation of adivasis displaced as a result of setting up of new industries.

श्रीमती रेणुका राय : इस समय दूर-दूर फैले हुए गैर-आदिम जातीय खण्ड क्षेत्रों के लोग भूमिहीन श्रमिक हैं। क्या चौथी योजना में उन्हें भूमि देने तथा भूमि जोतने वाले को भूमि का स्वामी बनाने की कोई बृहत् योजना है ?

श्री अशोक मेहता : जब योजना की रूपरेखा पर चर्चा होगी, उस समय यदि माननीय सदस्या ये सुझाव दें तो मैं इनका स्वागत करूँगा।

शहरों में भूमि के मूल्य

+

*665. **श्री बागड़ी :**

श्री मधु लिमये :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान शहरों में भूमि के अत्यधिक मूल्यों की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि भूमि और मकानों आदि में काले धन के लगाये जाने से ये मूल्य और भी बढ़ रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के सहयोग से इन जमीनों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए कोई व्यापक योजना बनाई जा रही है और यदि आवश्यकता हो तो क्या इस प्रयोजन के लिए संविधान में संशोधन किया जायगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) सरकार को समस्या का पता है ।

(ख) नगरीय क्षेत्रों में भूमि की अत्यधिक मूल्य वृद्धि का बहुत बड़ा कारण नागरिक जन-संख्या का तेजी से बढ़ने तथा नई जनसंख्या के आगमन से भूमि की मांग में वृद्धि है ।

(ग) और (घ). नगरीय क्षेत्र के भूमि-उपयोग को सक्रिय रूप से नियमित करने के लिए, राज्य सरकारें सभी नगरों तथा कस्बों के लिए जिनकी जनसंख्या पचास हजार से अधिक है, वृहत् योजनाएं (मास्टर प्लान) तैयार करा रही हैं । वृहत् योजनाओं को लागू किया जा सकने के लिए वे समुचित नगर-योजना-विधान बना रही हैं । इसी के साथ-साथ वे निम्न तथा मध्य आय वर्ग के व्यक्तियों को उचित दर पर मकान के स्थानों को भूमि आवंटन के लिए बड़े पैमाने पर भूमि का अर्जन तथा विकास कर रही हैं । वृहत् योजनाओं को तैयार करने तथा भूमि के अर्जन और विकास के खर्चे को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार उन्हें निधियां दे रही है । आशा की जाती है कि ये उपाय भूमि के मूल्यों को कुछ समय में कम कर सकेंगे ।

Shri Bagri : Will the Hon. Minister kindly state the difference between the price of land paid and the price charged after 5 years ? Is it not a fact that Government is charging 20 times of the price paid to the original owner, which is a form of profiteering ? Will the Government stop this kind of profiteering so that genera profiteering may be checked ?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : Proper compensation is always paid for the land acquired and it is plotted out according to the Master Plan after development. It is my personal view 50-60 per cent. space is left out and 30 or 40 per cent. cost of all these things is shifted to the built-up area. Then the land is sold to the low-income group at a reserved price and to the rich people by auction. The later may result in price appreciation to some extent.

Shri Bagri : The compensation is paid at the rate of Re. 1, Rs. 2 or Rs. 5 per yard whereas after 5 or 10 years it is sold at exhorbitant prices. For instance take the case of Ghaziabad.

Mr. Speaker : What Shri Bagri wants to know is this whether you mean to say that Government is not taking any profit.

Shri Mehr Chand Khanna : We pay compensation to the owners according to laws and the land is sold according to a certain policy. If there is any price appreciation, it goes to the general revenues. What does the Government profit ?

Shri Bagri : My basic question about the difference between the purchase price and the selling price after 5 years, has not been answered. Will this appreciation not affect the general prices ?

Shri Mehr Chand Khanna : It is not possible for me to give details of sale and purchase of land throughout India but if the Hon. Member wants to know about a particular place I will give the information.

Shri Bagri : Let the Hon. Minister reply about Delhi, Ghaziabad.

श्री कपूर सिंह : मंत्री महोदय ने कहा कि हम मुआवजा कायदे, कानून के मुताबिक देते हैं। कानून कहता है कि भूमि के मालिक को भूमि का बाजार मूल्य दिया जाना चाहिए। प्रश्न यह है कि क्या ऐसा किया जा रहा है ? इसका सीधा उत्तर दीजिए। आप 1 अथवा 2 रुपये देते हैं जब कि बाजार मूल्य कभी-कभी 50,100 अथवा 200 रुपये होता है।

श्री मेहर चन्द खन्ना : मुआवजा निर्धारित किये गये कानूनों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। यह राज्य सरकारें निर्धारित करती हैं। कलक्टर फैसला करता है। उस फैसले के अधीन उपाय भी हैं। पंचायत निर्णय के बाद भारत सरकार मुआवजा देती है।

अध्यक्ष महोदय : उत्तेजना का कारण यह है कि वर्तमान कानून के अन्तर्गत मुआवजे की राशि भूमि के हस्तांतरण के समय कृषि भूमि के रूप में कलक्टर द्वारा निर्धारित की जा रही है, जो स्वभावत: उस समय केवल 1, 5, 6 अथवा 7 रुपये प्रति गज होती है।

श्री कपूर सिंह : लेकिन कानून में तो "बाजार मूल्य" कहा गया है।

अध्यक्ष महोदय : कानून में कहा गया है कि "अधिसूचना जारी होने की तिथि को बाजार मूल्य।" यह सीमा भी है।

श्री कपूर सिंह : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : इसलिए अधिसूचना के बाद पांच अथवा छः साल तक भूमि पड़ी रहती है और मूल्य बढ़ जाता है। मालिक को यह नहीं मिल सकता। लेकिन उस कृषि भूमि के रूप में बेची गई भूमि के आधार पर यह मूल्य निर्धारित किया जाता है। उत्तेजना का कारण यही है कि इसी भूमि को बाद में बहुत अधिक मूल्य पर बेचा जाता है। मैं स्वयं नुकसान उठा चुका हूँ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : हम पानी, नाली आदि की व्यवस्था करते हैं; बृहत् योजना होती है; फिर बहुत सा क्षेत्र खाली छोड़ दिया जाता है। भूमि का मूल्य निर्धारित करते समय इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। इन सब बातों को ध्यान में न रखते हुए सरकार पर अनुचित लाभ कमाने का आरोप लगाना ठीक नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान, कृपया हमें बतायें कि आपको कैसे नुकसान हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास मथुरा रोड पर 3,000 गज भूमि थी जिसका मूल्य इस समय लगभग 6 लाख रुपए होगा लेकिन मुझे केवल 28,000 रुपये मुआवजा मिला। लेकिन यह यहां का

कानून है । मैं क्या कर सकता हूँ ?मैं न्यायालय में भी मुकदमा लड़ता रहा हूँ । मेरी अपील पर विचार किया जाना है; यह सब पिछले चार साल से चल रहा है, अन्य बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा । इसमें मंत्री अथवा कोई अन्य क्या कर सकता है ?

श्री जी० भ० कृपालानी : क्या कानून इन सौदों में चोर बाजारी और मुनाफा खोरी करने की अनुमति देता है ?

अध्यक्ष महोदय : दो अधिसूचनायें होती हैं, एक धारा 4 के अन्तर्गत तथा दूसरी 6 अथवा 7 के अन्तर्गत होती है । पहली अधिसूचना उस समय जारी की जाती है जब सरकार की केवल अर्जन करने की मंशा होती है । जब धारा 6 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की जाती है, तो उस तिथि को बाजार भाव में 15 प्रतिशत जमा करके मूल्य निर्धारित किया जाता है, मैं तो यही समझता हूँ । यही कानून है। लेकिन जो समय बीत गया है उसमें दिल्ली में मूल्य बहुत बढ़ गये हैं और भारी असमानता है । इसलिए सदस्य उत्तेजित हैं ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : प्रश्न गाजियाबाद में, जो उत्तर प्रदेश में है, भूमि के अर्जन के बारे में है । मुझे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुआवजे के भुगतान की समस्या के प्रति उचित दृष्टिकोण में पूरी आस्था है ।

श्री कपूर सिंह : अभी आपने कहा कि यह देश का कानून है और सरकार कुछ भी करने में असमर्थ है । मैं आपकी टिप्पणी को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह कानून पिछले सौ वर्षों से चला आ रहा है और मेरा तो यह अनुभव है कि विभाजन के बाद की अवधि को छोड़कर कभी भी जमीन मालिकों को दिन दहाड़े नहीं लूटा गया । हमने अनेक बार यह प्रश्न सभा में उठाया है लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया । असली समस्या को समझने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? यदि देश का कानून यही है, तो इस समय इसके पहले से भिन्न अर्थ क्यों लगाये जा रहे हैं ?

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । श्री कपूर सिंह ने स्पष्ट प्रश्न पूछा था कि क्या मुआवजा बाजार मूल्य के अनुसार दिया गया था और मंत्री महोदय को इसका सीधा उत्तर हां या नहीं में देना चाहिए था । हमने सभा में भूमि अर्जन विधेयक पर, जो सबसे अधिक विवादास्पद विधेयक था, चर्चा की थी, जिसके बारे में महान्यायवादी से परामर्श किया गया था । अन्त में अरोड़ा बनाम राम रतन गुप्ता के मुकदमें में निर्णय हुआ था, उच्चतम न्यायालय ने भी निर्णय किया था । क्या मंत्री महोदय मुख्य प्रश्न का उत्तर न देकर कुछ अन्य प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

Shri K. D. Malaviya : It becomes incumbent on the ruling party to act according to the law of the land. This House, which is legislating body, should feel more concerned about the laws which are to-day resulting in price racketting. In this background may I know from

the Hon. Minister whether it is not high time for Government to take steps to check the chain reaction on price resulting from this profiteering and amend the law so that people may get land at reasonable rates ?

Shri Mehr Chand Khanna : I will forward this suggestion of the Hon. Member to the Ministry concerned.

तलवाड़ा (व्यास बान्ध) में सिलिंडर का फटना

अ०सू०प्र० 17. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रा० स० तिवारी : **श्री हेमराज :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7अगस्त,1966 को तलवाड़ा(व्यास बांध, पंजाब)में एक सिलिंडर फटने से घटना-स्थल पर ही कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और कुछ अन्य व्यक्ति घायल हुये;

(ख) यदि हां, तो मृतकों अथवा घायलों की संख्या क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) तथा (ख). व्यास बान्ध की एक सुरंग में 7 अगस्त, 1966 को वैल्डिंग करते समय आग लग गई थी। सुरंग में श्वासरोधी धुआं भर जाने से तीन व्यक्ति मर गये। कोई और व्यक्ति घायल नहीं हुआ था। सिलिंडर के फटने की कोई वारदात नहीं हुई, ऐसी सूचना मिली है।

(ग) परियोजना के जनरल मैनेजर ने इस दुर्घटना की जांच करके इसकी रिपोर्ट करने के लिये अधिकारियों की एक जांच समिति स्थापित की है। पंजाब सरकार से भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि इस दुर्घटना की जांच कर के रिपोर्ट करें।

Shri Vishwa Nath Pandey : As reported in the newspapers that five hundred workers were at work when this explosion occurred in the tunnel. Had the cylinder expert and technical engineer incharge of the tunnel first examined the place and if so, why so many workers were allowed to go there and if not, what is the reaction of Government thereto ?

Shri Fakhruddin Ali Ahmed : Even persons working in the first shift who had reported for work at 5 a.m. could not notice the fire as there were many machines around the place which emit smoke. When the workers of the second shift went there they found it impossible to stay there and work on account of heavy smoke. They immediately tried to return, 11 workers returned and all were sent to the hospital. Three of them died and all the rest recovered.

Shri Vishwa Nath Pandey : The workers there had reported to the officers last year also that the cylinder was poor and it might explode or burst any moment. May I know the action that had been taken by the Engineer and the senior officials ?

Shri Fakhruddin Ali Ahmed : Cylinder did not burst at all. Fire had broken out there

and three persons died of suffocation due to smoke. The two enquiries are in progress and the details will be known on receipt of the reports.

श्री दी० चं० शर्मा : इस दुर्घटना के दो कारण हैं, एक तो कर्मचारियों ने समय पर चेतावनी नहीं दी और दूसरे मशीनों की देखभाल और मरम्मत के मामले पर्यवेक्षण की कमी। सरकार इन दोषों तथा समय समय पर मालूम होने वाले दोषों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ताकि कर्मचारियों की जानें व्यर्थ में न जायें ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह घटना किसी खराबी के कारण नहीं हुई; यह तो इस कारण हुई कि सुरंग में वेल्डिंग का काम हो रहा था जिससे कुछ लकड़ियों में आग लग गई। लपटें नहीं उठीं बल्कि धीरे-धीरे धुआं निकल रहा था। इसलिए यह मशीनों में खराबी के कारण नहीं थी। फिर भी हम आगे जांच कर रहे हैं और तथ्य पता लगने पर हम देखेंगे क्या अग्रेतर कार्यवाही की जा सकती है।

Shri Hem Raj : Work was in progress at four or five points there, may I know whether fire fighting equipment was there or not and if not, how much time did it take for the same to be brought there?

Shri Fakhruddin Ali Ahmed : When the fire and smoke was noticed, the fire fighting equipment was brought there and the fire was extinguished within two or three hours.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

House Rent Allowance

*661. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Rameshwaranand :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that class III and class IV Employees of the Ministries of Defence and Railways and Posts and Telegraphs Department who reside in cities other than 'A', 'B' and 'C' grade cities and in the countryside do not get any house rent allowance ; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri L. N. Mishra) : (a) Yes, Sir.

(b) The criterion of population for the classification of cities for the purpose of grant of House Rent Allowance was adopted on the basis of recommendations of the First and the Second Pay Commissions. The level of rentals in rural areas and in smaller towns does not justify the grant of a subsidy in the shape of House Rent Allowance.

भारत में विदेशी विनियोजन

*666. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास उर्वरक परियोजना करार पर हस्ताक्षर होने के बाद से अमरीकी और

अन्य विदेशी विनियोजकों ने भारत में पेट्रो-रसायन, उर्वरकों और इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के बारे में अधिक रुचि दिखानी आरम्भ कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तब से भारतीय विनियोजन केन्द्र (इंडियन इनवेस्टमेंट सेंटर) से इसके बारे में ऐसे कितने उद्योगपतियों ने पूछताछ की है और उन देशों के क्या नाम हैं, जिनके उद्योगपतियों ने पूछताछ की है :

(ग) उनमें से कितने उद्योगपतियों ने वास्तव में पूंजी लगाई है और कितनो ने पूंजी नहीं लगाई है ; और

(घ) 1 अप्रैल, 1966 से लेकर अब तक प्रत्येक देश ने पृथक्-पृथक्, कितनी पूंजी लगाई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) मद्रास रासायनिक खाद (फर्टिलाइजर) प्रायोजना करार पर, औपचारिक रूप से, 14 मई, 1966 को हस्ताक्षर किये गये थे और अभी यह कहना कठिन है कि अमेरिका और दूसरे देशों के निवेशकों ने इन उद्योगों की स्थापना में पहले से अधिक दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है या नहीं ।

(ख) सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है ।

(ग) और (घ) जो बातें पूछी गयी हैं उन पर अभी विचार किया जा रहा है ।

विवरण

भारतीय निवेश केन्द्र (इंडियन इनवेस्टमेंट सेंटर) से, अप्रैल, 1966 से लेकर अब तक, रासायनिक खाद, इलेक्ट्रानिक्स और पेट्रो-केमिकल्स के क्षेत्रों के बारे में जो पूछताछ की गई है, उसकी संख्या इस प्रकार है :

रासायनिक खाद			
संयुक्त राज्य अमेरिका		6	
कनाडा		1	
हालैंड		1	
	जोड़	8	
इलेक्ट्रानिक्स			
संयुक्त राज्य अमेरिका		8	
पश्चिम जर्मनी		1	
	जोड़	9	
पेट्रो-केमिकल्स			
संयुक्त राज्य अमेरिका		2	
	जोड़		19

Aid From U. K.

*667. **Shri M. L. Dwivedi:** **Shri S. C. Samanta:**
Shri Subodh Hansda: **Shri Bhagwat Jha Azad:**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the likely effect on India of Britain's not being able to keep up the aid commitments to the Commonwealth countries on account of its delicate economic condition;

(b) whether Government have made any assessment in respect of the period for which the reduced aid is likely to continue; and

(c) whether Government have had any correspondence with the British Government in this regard and if so, the nature thereof?

The Minister of Finance (**Shri Sachindra Chaudhuri**): (a) It is fully expected that Britain will keep up her aid commitments to India; The Government of India have no information relating to Britain's aid transactions with other Commonwealth countries.

(b) and (c) Do not arise.

जीवन बीमा निगम का 1966 में कारोबार

*668. **श्री बागड़ी :** **श्री मौर्य :**
श्री मधु लिमये : **श्री रामसेवक यादव :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री किशन पटनायक :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में जीवन बीमा निगम का कारोबार कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) जीवन बीमा निगम की बीमा पालिसियां कराने के लिये लोगों को प्रोत्साहन देने के हेतु क्या जीवन बीमा निगम की 'प्रीमियम' की राशि को कम करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं। चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में किया गया नया कारोबार पिछले वर्ष की इसी अवधि में किये गये नये कारोबार से करीब 5 प्रतिशत अधिक था।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) जीवन बीमा निगम की किस्त की दरों को कम करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन बीमा किये गये व्यक्तियों की 1961-64 में मृत्यु दर आदि बातों के बारे में आजकल जांच की जा रही है और उस जांच के परिणामों के आधार पर ही जीवन बीमा निगम किस्त-व्यवस्था (प्रीमियम स्ट्रक्चर) की समीक्षा करेगा।

जीवन बीमा निगम के बीमाधारियों की मृत्यु दर

*669. **श्री उटिया :**

श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री 3 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 328 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1961-64 की अवधि में जीवन बीमा निगम के बीमाधारियों की मृत्यु दर का अध्ययन इस बीच पूरा किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या मृत्यु दर कम होती जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या जीवन बीमा निगम का विचार 'प्रीमियम' की दरों को कम करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल०ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

नागार्जुनासागर तथा शरावती परियोजनायें

*670 **श्री हु०चा० लिंग रेड्डी :**

श्री प्र०रं० चक्रवर्ती :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागार्जुन सागर तथा शरावती परियोजनाओं की क्रियान्विति का काम इस समय किस अवस्था में है;

(ख) इन परियोजनाओं पर कुल कितना खर्च आने का अनुमान है और उनसे कितनी बिजली तैयार की जा सकेगी तथा वे कार्य कब पूरे हो जायेंगे; और

(ग) देश को खाद्य में आत्म निर्भर बनाने के उद्देश्य से क्या उन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिये कोई विशेष वित्त की व्यवस्था की जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):(क) से (ग). सूचना का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6908/66**]

पी० एल० 480 की निधियों का दिया जाना

*671. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० एल० 480 की निधियों के दिये जाने से भारत की अर्थ-व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में छानबीन कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उस छानबीन के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) पी० एल० 480 की निधियों के दिये जाने से हो सकने वाले प्रतिकूल प्रभावों को रोकने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). चूँकि पी०एल० 480 निधियां आयातित कृषि-पदार्थों की बिक्री से प्राप्त रकमों से बनती हैं और चूँकि इन निधियों से किया जाने वाला व्यय बजट सम्बन्धी नीतियों के अनुसार होता है, इसलिए अर्थ-व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता ।

Causes and Cure of Cancer

*672. **Shrimati Savitri Nigam**: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Cancer Research Centre, Bombay has discovered some wonder drugs which can effectively cure cancer; and

(b) whether any definite data has been collected to find out the causes of cancer?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): (a) No, Sir. Experimental work is in progress to test Chemotherapeutic and Bio-therapeutic effect of different types of substances like a fraction isolated from snake venom, an antibiotic like Jawaharene and plant products suspected to have growth-inhibiting effects.

(b) While experiments are still in progress to determine causative factors in different cancer types, the data in hand prove the following :—

(1) Tobacco chewing has a definite contributory role in cancer of the mouth.

(2) Burning chinar leaves in the 'Kangri' used by Kashmiris—has a specific contributory role in inducing cancer of the abdominal skin.

(3) Certain ovarian hormonal imbalances play an important role in inducing breast-cancer.

भारत तथा पाकिस्तान में बैंक

*673. **डा० म० मो० दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत तथा पाकिस्तान के बीच हुए पिछले युद्ध से तुरन्त पहले कितने भारतीय बैंकों की शाखायें पाकिस्तान में थीं तथा उस समय भारत में कितने पाकिस्तानी बैंक थे;

(ख) उस समय पाकिस्तान में भारतीय बैंकों की तथा भारत में पाकिस्तानी बैंकों की कुल आस्तियां कितनी थीं;

(ग) पाकिस्तान स्थित भारतीय बैंकों तथा उनके कर्मचारियों की और भारत स्थित पाकिस्तानी बैंकों तथा उनके कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति कैसी है; और

(घ) क्या उन बैंकों के कारोबार को सामान्य बनाने के बारे में दोनों में से किसी देश की सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब०रा० भगत) : (क) और (ख). सितम्बर, 1965 से पहले पाकिस्तान में 17 भारतीय बैंकों की शाखायें थीं जिनकी आस्तियां 22.79 करोड़ रुपये और दायितायें 21·48 करोड़ रुपये थीं ।

दो पाकिस्तानी बैंकों की शाखायें भारत में थीं और उनकी आस्तियां 1·99 करोड़ रुपये और दायितायें 1·96 करोड़ रुपये थीं ।

(ग) सितम्बर, 1965 में पाकिस्तान में सभी भारतीय बैंकों को पाकिस्तान में शत्रु सम्पत्ति-परिरक्षक ने अपने अधिकार में ले लिया था । एक को छोड़कर सभी भारतीय मूलक कर्मचारी वापस आ गये हैं । भारत में दो पाकिस्तानी बैंकों को सितम्बर, 1965 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत प्रारंभ में मॉरेटोरियम मंजूर किया गया था और फरवरी, 1966 में उनका प्रबन्ध भारत में शत्रु सम्पत्ति परिरक्षक को सौंप दिया गया था । दोनों बैंकों के सभी पाकिस्तानी कर्मचारी भारत से पाकिस्तान चले गये हैं ।

(घ) इन बैंकों के कार्यों का पुनः आरम्भ किया जाना भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों के सामान्य होने के प्रश्न के साथ सम्बद्ध है ।

मैसर्ज बर्ड एण्ड कम्पनी

*674. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्ज बर्ड एण्ड कम्पनी की सहायक कम्पनियों 'उड़ीसा मिनरल्ज' और 'बैकर ग्रे' द्वारा मैंगनीज अयस्क और बोरियों में भेजे गये अन्य सामान के मामले में जांच क्यों नहीं की जा रही है; और

(ख) क्या यह सच है कि सभी सम्बन्धित कागजात कलकत्ता के कस्टम हाउस में हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब०रा० भगत) : (क) यह कहना सही नहीं है कि मेसर्स उड़ीसा मिनरल्ज तथा बैकर ग्रे द्वारा जहाज से विदेशों को भेजे गये कच्चे मैंगनीज और दूसरे माल के बारे में जांच-पड़ताल नहीं की जा रही है । आवश्यक जांच-पड़ताल की जा रही है ।

(ख) कच्चे मैंगनीज और जूट के माल के निर्यात सम्बन्धी पकड़े गये सारे कागजात अभी भी कलकत्ता सीमा-शुल्क गृह के कब्जे में हैं ।

डाक और तार कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता दिया जाना

*675. **श्री हेमराज** :

श्री दलजीत सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहाड़ी क्षेत्रों में नियुक्त डाक तथा तार कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता देने के बारे में कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). जी, नहीं। पहाड़ी क्षेत्रों में प्रतिपूर्ति भत्ते की वर्तमान योजना डाक-तार कर्मचारियों सहित सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है।

ब्रिटेन द्वारा बैंक की दर का बढ़ाया जाना

*676. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन द्वारा बैंक की दर 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिये जाने का भारत द्वारा देय राशि और भारत में ब्रिटेन से पूंजी विनियोजन तथा ब्रिटेन से भारत को मिलने वाले व्यापारिक ऋणों पर कोई असर पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब०रा० भगत) : (क) ब्रिटेन की बैंक-दर में वृद्धि हो जाने से भारत की बकाया देनदारियों पर और ब्रिटेन से मिलने वाले सरकारी ऋणों पर, जो अक्टूबर, 1965 से व्याज मुक्त हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन 20 अक्टूबर, 1965 से पहले की अधिकृत रकमों के इस्तेमाल न किये गये अंशों से भविष्य में लिये जाने वाले ऋणों पर अधिक ब्याज देना पड़ेगा। वाणिज्यिक ऋण और गैर-सरकारी विदेशी निवेश केवल बैंक-दर पर ही निर्भर नहीं होता।

(ख) भारत सरकार को इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाई करने की आवश्यकता नहीं।

Family Planning Departments in Universities

*677. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have proposed to establish Departments of Family Planning in Universities ; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) No, Sir,

(b) Does not arise.

अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये स्वयं सेवी संगठन

*679. **श्री ह० च० सोय** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त

के 1963-64 के प्रतिवेदन में तथा उसके पृष्ठ 43 पर दिये हुए टिप्पणों में कहा गया है कि बिहार राज्य की सरकार ने स्वयं सेवी संगठनों द्वारा किये गये कार्य का कोई विवरण पेश नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार से मांगी गई जानकारी अब दे दी है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन निधियों के सम्बन्ध में अनेक अनियमितताओं तथा इन निधियों का इन्तजाम करने वाले लोगों के बारे में जनता की ओर से अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन अनियमितताओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां।

(ख) बिहार सरकार से अनुदान पाने वाली गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के कल्याण के लिये किए गए काम के बारे में सूचना अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने अपनी वर्ष 1964-65 की रिपोर्ट में शामिल कर ली है। यह रिपोर्ट मुद्रणाधीन है।

(ग) इस प्रकार की शिकायतों की सूचना सरकार को नहीं मिली है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों को सुविधायें

*680. **श्री मोहन नायक** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अनुसूचित जातियों के लिये दी जाने वाली सुविधाओं का उपयोग मुख्यत: उन्नत वर्ग के लोग ही करते हैं और इसके परिणाम-स्वरूप उनमें से सबसे अधिक पिछड़े हुये वर्ग उन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

समाज-कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) तथा (ख). यह हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में पूर्ण रूप से अनुसूचित जातियों के लिये चलाई गई योजनाओं से कुछ जातियों अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त करती हों। पर इसका यह मतलब नहीं कि वे अन्य वर्गों को सभी सुविधाओं से वंचित रखती हैं।

Electricity Supply for Agricultural Purposes

*681. **Shri Singhasan Singh** : **Shri Madhu Limaye** :
Shri Prakash Vir Shastri : **Shrimati Savitri Nigam** :
Shri Ram Sewak Yadav : **Shri Mahadeo Prasad** :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the Central Government have communicated its decision

to the State Governments to subsidise the electricity rates for electric and diesel operated tube-wells with a view to increase the agricultural production;

(b) if so, when and what is the percentage of subsidy to be given and whether Government would lay a copy of the communication on the Table;

(c) whether all the State Governments are implementing the aforesaid scheme of the Central Government; and

(d) whether Government are aware that the Uttar Pradesh Government have stopped giving subsidy to the electricity operated tubewells?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ali Ahmed): (a) Yes, Sir.

(b) Excess of electricity rates for agricultural purposes over 12 paise per unit will be subsidized by the Central and State Governments in the ratio of 50:50. A copy of Ministry of Irrigation and Power letter No. ELII-24(5)/66, dated the 11th February, 1966 communicating the above decision is placed on the Table of the House.

(c) and (d) A statement is laid on the Table of the House giving the details. **[Placed in Library. See No. L. T.-6909/66].**

Damage Due to Floods

*682. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Yudhvir Singh:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that heavy damage has been caused by floods in the various parts of the country;

(b) whether it is also a fact that very heavy damage has been caused to the crops in some parts of Uttar Pradesh;

(c) whether it is also a fact that heavy damage is caused by flood in Ganga River almost every year in Hasanpur Tehsil of District Moradabad, Uttar Pradesh; and

(d) if so, the arrangements made to provide relief there and also in other areas?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ali Ahmed): (a) The floods during the current year have caused heavy damage in some parts of the country.

(b) According to preliminary estimates, a cropped area of about 35,000 acres has been affected in Uttar Pradesh during the recent floods. Detailed estimates of damage are, however, awaited.

(c) Detailed information has been called for from the State Government. During the current flood season, however, 150 villages covering an area of 20,000 acres are reported to have been affected by floods in the Hasanpur Tehsil.

(d) The State Government have arranged for the evacuation of the affected population and also of cattle. Kerosene oil, salt, matches, etc. are being distributed free and other relief measures are also in progress. Abadis of 15 low lying villages have been shifted to higher places. Relief measures such as distribution of rations, gratuitous relief in cash, grant of house subsidy, distress taqavi, are being taken by the State Government in other flood hit areas also.

रविदास नगर के निवासियों में क्षय रोग और आमाशय की बीमारियां

*683. **श्री नवल प्रभाकर :** **श्री बालकृष्णन :**
श्री प० ला० बारूपाल : **श्री इलियापेरुमाल :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री गुरु रविदास नगर (अमृतकौरपुरी प्रसाद नगर), दिल्ली के निवासी क्षय रोग और आमाशय की बीमारियों से बहुत पीड़ित हैं, क्योंकि पत्थर तोड़ने के मिल से, जो उस बस्ती के बीच में स्थित है, पत्थर का चूरा उड़ता रहता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि एम० ई० प्राथमिक विद्यालय के, जो उस मिल के बिल्कुल पास है, दो बच्चे पत्थर के चूरे के कारण उत्पन्न हुई आमाशय की बीमारियों के कारण मर गये,

(ग) क्या उस बस्ती के लोगों ने इस मामले की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया है; और

(घ) यदि हां, तो उस मिल को उस स्थान से अन्य स्थान पर ले जाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) इस क्षेत्र में क्षय रोग के क्या कारण हैं अथवा यहां ठीक ठीक इसका कितना प्रकोप है यह जानने के लिये कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । क्षय रोग क्लीनिक में उपचार के लिये पंजीकृत रोगियों की संख्या इस प्रकार है :—

1. अमृतकौर पुरी	40 रोगी
2. प्रसाद नगर	106 रोगी

पत्थर के चूरे से उत्पन्न हुई आमाशय की बीमारियों के कारण हुई किसी मृत्यु का इस क्षेत्र के 'जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कार्यालय' में पंजीकरण नहीं किया गया है ।

(ग) इस क्षेत्र के लोगों ने इस बारे में कोई अभ्यावेदन न तो दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को और न सरकार को ही भेजा लगता है ।

(घ) क्योंकि पत्थर पीसने की यह मिल बिना लायसेंस के तथा अनधिकृत है और एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जो इस व्यवसाय के अनुरूप नहीं है अतः इसके मालिक का चालान कर दिया गया है । किन्तु इस मिल के मालिक ने सिविल कोर्ट से एक निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली है ।

संयंत्र तथा मशीनों के बीमे का अध्ययन करने के लिए रूस को भेजा गया दल

*684. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयंत्र तथा मशीनों के बीमा क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर

सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए एक भारतीय दल हाल ही में रूस गया था;

(ख) यदि हां, तो किन-किन प्रस्तावों पर विचार किया गया और यदि कोई निर्णय किये गये तो क्या; और

(ग) उन्हें किस प्रकार क्रियान्वित किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) भारत में रूसी सहायता से चलायी जाने वाली परियोजनाओं के लिए रूस से भेजे जाने वाले संयंत्र और माल का बीमा करने की नई व्यवस्था पर बात-चीत करने के लिए जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक भारतीय दल रूस गया ।

(ख) भारत को भेजे गये संयंत्र तथा माल के लिए अन्तर-सरकार-करारों के अंतर्गत समेकित बीमा की एक योजना पर अभी भी विचार किया जा रहा है । रूसी दल के यहां पर आने के बाद इस योजना पर अंतिम करार किये जाने की आशा है ।

भिक्षा-वृत्ति

*685. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी** : **श्री हेमराज** :

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : **श्री कंडप्पन** :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री 25 फरवरी, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 213. के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भिखारियों के लिये किस सीमा तक रोजगार ढूंढ़ा गया है;

(ख) क्या इस बात का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है कि देश में कितने लोग भीख मांगते हैं;

(ग) क्या देश में से किसी निर्धारित अवधि के भीतर भिक्षा-वृत्ति को पूर्णत: समाप्त करने के लिये किन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत कोई कार्यवाही करने का विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) भिखारियों को रोजगार दिलाने के लिये कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किये गये हैं ।

(ख) जनगणना के लिये जो सर्वेक्षण अपेक्षित है उसके अतिरिक्त और कोई सर्वेक्षण अब तक नहीं किया गया है ।

(ग) तथा (घ) . देश में सामाजिक-आर्थिक विकास की वर्तमान अवस्था में भिक्षावृत्ति जैसे सामाजिक दुर्गुणों के, जिनकी जड़ें बहुत गहरी तथा विस्तृत हैं, पूर्ण उन्मूलन के लिये कोई समय अनुसूची नियत करना कठिन है । सरकार का पहला उद्देश्य यह है कि तीर्थ स्थानों, पर्यटक केन्द्रों तथा बड़े नगरों जैसे चुने हुए केन्द्रों से भिक्षावृत्ति समाप्त कर दी जाये । चतुर्थ योजना की स्कीमों को अन्तिम रूप दिये जाने पर ही अपनाये जाने वाले उपायों का संकेत मिलेगा ।

सीमा-शुल्क विभाग के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिये अध्ययन दल

*686. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री दे० द० पुरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा-शुल्क विभाग के कार्यकरण की जांच करने के लिये एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम तथा इसके निर्देशपद क्या हैं; और

(ग) इसका प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत हो जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) अध्ययन-दल की नियुक्ति के सरकारी आदेश की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०**-6910/66] इसमें दल के सदस्यों के नाम तथा निर्देश-पद भी उल्लिखित हैं ।

(ग) अध्ययन-दल से रिपोर्ट दिसम्बर 1966 तक मिलने की अपेक्षा है । समय बढ़ाने के लिये सरकार को अध्ययन-दल से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

केन्द्रीय योजनाओं का राज्यों को हस्तांतरण

*687. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने 900 करोड़ रुपये की लागत से केन्द्रीय योजनाओं को राज्यों को हस्तांतरित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी लागत की योजनाएं हस्तांतरित की जायेंगी तथा उनका ब्योरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है; और

(घ) हस्तांतरण किये जाने के क्या कारण हैं ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख), (ग) और (घ) . प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों की शिकायतें

*688. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री पाराशर :
श्री द० ब० राजू :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री नी० श्रीकान्तन नायर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बृजवासी लाल :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा डाक्टरों ने अपनी शिकायतें दूर कराने के हेतु 7 अगस्त, 1966 को उनके निवास स्थान तक जलूस निकाला था;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है;

(ग) डाक्टरों की शिकायतों का मोटा ब्योरा क्या है;

(घ) इन शिकायतों पर विचार करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों को उनकी सेवा की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए, सहायता देने में कितना समय लगेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-**6911/66]

विहार में कल्याण केन्द्र

3291. **श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :** क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अधीन विहार में विभिन्न कल्याण केन्द्रों में काम करने वाले अनेक कर्मचारियों और कार्यकर्त्ताओं को समय पर और नियमित रूप से वेतन नहीं दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारी कितने हैं और इसके क्या कारण हैं ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) तथा (ख) . जी, हां। इस सम्बन्ध में एक साधारण शिकायत प्राप्त हुई है। अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथा सम्भव सभा पटल पर रख दी जायेगी।

'केरल हाउस', कौरतलम

3292. **श्री मे० का० कुरान** : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कौरतलम स्थित 'केरल हाउस' मद्रास सरकार को बेच देने के बारे में फैसला कर लिया है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि पहले केरल की लोकप्रिय सरकार ने इसको बेचने से झार-बार इन्कार किया था; और

(ग) यदि हां, तो इस बहुमूल्य सम्पत्ति को वर्तमान राज्य सरकार द्वारा बेचे जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) . केरल राज्य सरकार की मंत्री परिषद ने मार्च, 1963 में यह निर्णय किया था कि भारत में विभिन्न स्थानों पर केरल सरकार के भवनों की एक सूची बनाई जाये तथा उनको बेचने के प्रश्न पर विचार किया जाये । कौरतलम का ट्रावनकोर हाउस (प्रश्न में उल्लिखित केरल हाउस) उनमें से एक संपत्ति है । क्योंकि इस संपत्ति का अनुरक्षण महंगा पड़ रहा था अतएव उसे बेचने के लिए विज्ञापित कर दिया गया, किन्तु उसके लिए प्राप्त हुए दो टेन्डरों को रद्द कर दिया गया क्योंकि वे अत्यधिक कम थे । केरल सरकार ने मद्रास सरकार से भी इस संपत्ति को खरीदने के विषय में उनकी रुचि मालूम की थी । केरल सरकार को मद्रास सरकार का अन्तिम उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

केरल में चेचक का उन्मूलन

3293. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य में राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत काम करने वाले लगभग 600 टीका लगाने वालों (वैक्सीनेटरों) की छंटनी फरवरी, 1966 में की गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि टीका लगाने वाले इन लोगों को छंटनी के लिये विधिवत नोटिस नहीं दिये गये थे; और

(ग) उन्हें दूसरा रोजगार दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) छंटनी के औपचारिक नोटिस नहीं दिये गये थे क्योंकि उनके नियुक्तिपत्र में यह स्पष्ट निर्देश था कि उनकी नियुक्ति सर्वथा अस्थायी है और उसे बिना किसी पूर्व सूचना के किसी

भी समय समाप्त किया जा सकता है। तथापि उन्हें सूचित कर दिया था कि फरवरी, 1966 के बाद उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं रहेगी।

(ग) सभी छंटनी किए हुए टीका लगाने वाले स्टाफ को पहले ही दूसरा उचित रोजगार दिला दिया गया है।

दिल्ली में सामुदायिक विकास परियोजनाएं

3294. **श्री राम हरख यादव** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में दो सामुदायिक विकास परियोजनाएँ आरम्भ की हैं ताकि लोग अपनी रहन-सहन की दशा सुधार सकें;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्योरा क्या है तथा उनसे किन लोगों को लाभ पहुँचेगा; और

(ग) क्या ऐसी परियोजनाएं देश के अन्य भागों में भी आरम्भ की गई हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना कर्मचारियों (एक परियोजना अधिकारी तथा 14 सामुदायिक संयोजक) के 2 महीनों के प्रशिक्षण के पश्चात् परियोजनाएं 20 अप्रैल, 1966 से चालू हो गई थीं। 45,000 की जनसंख्या से आरम्भ करके इनके अन्तर्गत लाख व्यक्तियों को लाने का विचार है। इस प्रयोजन के लिये चुनी गई चार बस्तियां दिल्ली-दक्षिण में महरौली और मदनगीर तथा शहादरा में सलिमपुर और मदनगीर हैं। जिन लोगों को इनसे लाभ पहुँचा है वे निम्न आय वर्ग तथा मध्यम श्रेणी के लोग हैं।

(ग) यह योजना प्रयोगात्मक आधार पर आरम्भ की गई है। इसमें सारे देश में 20 प्रायोगिक परियोजनाओं की व्यवस्था है। $13\frac{1}{2}$ परियोजनाएं पहले ही विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चल रही हैं, 4 परियोजनाओं का नियतन किया जा चुका है लेकिन उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना है और शेष $2\frac{1}{2}$ परियोजनाओं का नियतन किया जाना है।

दिल्ली में मकान मालिक सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

3295. **श्री मे० का० कुमारन** : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि उन सरकारी कर्मचारियों को, जिनके दिल्ली तथा नई दिल्ली में अपने मकान हैं, सरकारी आवास दिया जाता है जब कि जरूरतमन्द कर्मचारियों को आवास नहीं दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस अन्याय को मिटाने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख). दिसम्बर, 1955 में यह निर्णय किया गया था कि जिन सरकारी कर्मचारियों के पास उनके तैनाती के स्थानपर मकान हैं, उन्हें सरकारी वास के लिये पात्र न माना जाये। इस स्थिति का समय-समय पर पुनरीक्षण किया गया तथा जब इस मामले पर पिछलीबार अप्रैल, 1966 में पुनर्विचार किया गया तो यह निर्णय लिया गया कि सरकारी वास के लिए सरकारी कर्मचारियों की पात्रता के मामले में कोई भेद-भाव न किया जाये, तथा सभी सरकारी कर्मचारियों को चाहे उनके पास मकान हैं अथवा नहीं पात्र माना जाये। रक्षा कर्मचारियों के संबंध में, मकान मालिकों को आवंटन के लिए अपात्र घोषित करने वाले पूर्वनिर्मित नियम उनकी सेवा की शर्तों के विरुद्ध पाये गये। क्योंकि नियमों का रक्षा सेवाओं के लिए लागू न किया जाना तथा सिविल सेवा में लागू किया जाना इन दो सेवा वर्गों में भेद-भाव के समान था, अतएव यह निर्णय किया गया कि इसे समाप्त कर दिया जाये तथा मूल स्थिति पर वापस पहुँचा जाये।

त्रिवेन्द्रम में जल की सप्लाई

3296. **श्री मे० का० कुमारन :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि त्रिवेन्द्रम शहर में, जहां जनसंख्या में बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है, निकट भविष्य में जल की कमी होने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस शहर में जल की सप्लाई बढ़ाने तथा निरन्तर जल सप्लाई बनाये रखने के लिये कोई योजना बनाई गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) उस राज्य में जल पूर्ति के विकास के लिये अनुमानतः 516 लाख रुपये की लागत की एक योजना तकनीकी दृष्टि से मंजूरी लेने के लिये केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन को भेज दी गई है। इसकी जांच की जा रही है।

दिल्ली में अस्पतालों के नामों को बदलना

3297. **श्री लखमू भवानी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या राजधानी में विलिंगडन तथा इर्विन अस्पतालों तथा कुछ सड़कों के नाम, जो तत्कालीन गवर्नर जनरलों के नाम पर रखे गये थे, निकट भविष्य में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो नये क्या नाम रखने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

त्रिवेन्द्रम में लोक निर्माण विभाग की लकड़ी के काम की वर्कशापें

3298. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा त्रिवेन्द्रम में लोक निर्माण विभाग की लकड़ी का काम करने वाली वर्कशाप को भूतपूर्व-सैनिकों की सहकारी समिति को हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस प्रस्ताव के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां।

(ख) लकड़ी का काम करने वाली वर्कशाप नुकसान में चल रही है।

(ग) जी हां।

(घ) अभ्यावेदन विचाराधीन है।

पुनर्वास वित्त प्रशासन से ऋण

3299. **श्री वीरेन दत्त** :
श्री दशरथ देव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में पुनर्वास वित्त प्रशासन से ऋण लेने वालों की कुल संख्या कितनी है और उनके नाम में ब्याज समेत ऋण की कुल कितनी रकम बाकी है;

(ख) क्या यह सच है कि विभिन्न विपरीत परिस्थितियों के कारण केवल कुछ ही क्षेत्रों में ऋण लेने वाले इस ऋण का उस प्रयोजन के लिये इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके लिये उनको यह ऋण दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार और विलम्ब किये बिना इन ऋणों का अपलेखन (राइट-आफ) करने के बारे में विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 255 मूल ऋण-खातों में से 203 खाते अब भी शेष हैं, जिनके अन्तर्गत लगभग 15 लाख रुपया वसूल किया जाना है जिसमें 31 दिसम्बर, 1965 तक के ब्याज की रकम भी शामिल है।

(ख) यह सच है कि ऋण लेने वाले कुछ व्यक्ति, विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण, ऋणों को उन कामों के लिये कारगर ढ़ंग से इस्तेमाल नहीं कर सके जिनके लिये उन्हें वे ऋण दिये गये थे।

(ग) इस समय प्रत्येक ऋण-खाते पर, उसकी विशिष्ट स्थिति की दृष्टि से विचार किया जाता है और जहां उचित होता है वहां ऋण की आंशिक वसूली करके या ऋण की रकम बट्टे खाते डालकर सहायता दी जाती है ।

अमरीका में आयकर अधिकारियों को प्रशिक्षण

3301. **श्री राम हरख यादव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के वर्षों में आय-कर प्रणाली में प्रशिक्षण के लिये बड़ी संख्या में आय-कर अधिकारियों को अमरीका भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों हुई ; और

(ग) पिछले पांच वर्षों में इस प्रशिक्षण के लिये भेजे गये अधिकारियों का क्या ब्योरा है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) (क) पिछले 5 वर्षों में 14 सहायक आयकर आयुक्त संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रशिक्षण के लिए भेजे गये थे ।

(ख) कर-अपवंचन का पता लगाने के अधुनातन तरीकों और प्रत्यक्ष करों के प्रशासन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के सम्बन्ध में अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक समझा गया था ।

(ग) अधिकारियों के नाम और उनकी प्रतिनियुक्ति के समय के उनके पदनाम नीचे दिये गये हैं :—

1—श्री एस० नारायण, उपसचिव, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली ।

2—श्री अवतार सिंह, उप निरीक्षण निदेशक (आयकर), नई दिल्ली ।

3—श्री सी० सी० गणपति, निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त (प्रशिक्षण), आयकर अधिकारी प्रशिक्षण कालेज, नागपुर ।

4—श्री एम० डी० वर्मा, उपसचिव, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली ।

5—श्री आर० डी० सक्सेना, उपनिदेशक (संगठन और प्रणाली), संगठन और प्रणाली प्रभाग, मंत्रिमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली ।

6—श्री आर० वी० रामस्वामी, उप-निरीक्षण निदेशक (जांच-पड़ताल) ; नई दिल्ली ।

7—श्री एस० सी० वर्मा, निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त, कलकत्ता ।

8—श्री टी० ए० बालकृष्णन, निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त, बम्बई ।

9—श्री आर० एल० मल्होत्रा, उप-निरीक्षण निदेशक गवेषणा (सांख्यिकी और प्रकाशन), नई दिल्ली ।

10—श्री पी० एस० भास्करन, निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त, बम्बई ।

11—श्री एस०आर० झा, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, लखनऊ ।

12—श्री डी० एन० पाण्डे, अधिकृत प्रतिनिधि, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, कलकत्ता ।

13—श्री एफ० जी० जिलानी, निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त, बम्बई ।

14—श्री एस० भट्टाचार्य, निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त, कलकत्ता ।

कल्लाई में फ्यूल ब्रिकेटिंग प्लांट

3302. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री अ० व० राघवन :
श्री उमानाथ :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री 17 मार्च 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2308 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कल्लाई (केरल) में फ्यूल ब्रिकेटिंग प्लांट स्थापित करने के मामले में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) कोजीकोड में लकड़ी चीरने की 73 मिलों से कितना बुरादा उपलब्ध होता है ; और

(ग) यह प्लांट कब चालू हो जायेगा ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) (क) से (ग). परियोजना अधिकारी, ग्रामोद्योग, कोजीकोड ने परियोजना क्षेत्र में फ्यूल ब्रिकेटिंग प्लांट स्थापित करने के बारे में जानकारी प्राप्त की है । ग्रामोद्योग परियोजना समिति ने प्रस्तावित संयंत्र के सम्बन्ध में एक माडल योजना तैयार की है और उसे परियोजना अधिकारी कोजीकोड को दिया है । परियोजना अधिकारी, कोजीकोड की जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र के 73 आरा मिलों से लगभग 23,000 मीट्रिक टन लकड़ी का बुरादा उपलब्ध है । कल्लाई कोजीकोड परियोजना क्षेत्र से बाहर है, अतः संयंत्र कल्लाई में न होकर कोजीकोड परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत होगा । फिलहाल यह ठीक ठीक बताना सम्भव नहीं है कि संयंत्र कब काम करना शुरू कर देगा ।

केरल में ग्रामोद्योग परियोजनाएं

3303. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमानाथ :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कण्णनूर जिले में ग्रामोद्योग परियोजना मंजूर करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) और (ख). केरल सरकार से दो अतिरिक्त ग्रामोद्योग परियोजनाओं के लिये प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें उनके स्थानों के बारे में कोई संकेत नहीं था। योजना आयोग ने ग्रामोद्योग परियोजनाओं की संख्या बढ़ाने के बारे में अभी तक निर्णय नहीं किया है।

केरल के अस्पतालों के कम्पाउंडरों से अभ्यावेदन

3304. **श्री अ०क० गोपालन :** क्या **स्वास्थ्य यथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को केरल के अस्पतालों के कम्पाउन्डरों से जनवरी, 1965 से जून, 1966 तक की अवधि में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या हैं ; और

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां।

(ख) (एक) सभी वर्ग दो के योग्य कम्पाउन्डरों की वर्ग एक में पदोन्नति।

(दो) वरिष्ठता सूची का प्रकाशन।

(तीन) एस० ए० टी० अस्पताल में स्टोर कीपर के रूप में क्लर्क के स्थान पर एक कम्पाउन्डर की नियुक्त।

(चार) औषध निर्माण शास्त्र में एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ करना।

(पांच) सेवा करने वाले कर्मचारियों के लिये औषध निर्माण शास्त्र में डिप्लोमा के बराबर एक संक्षिप्त पाठयक्रम आरम्भ करना।

(छः) कम्पाउन्डरों के लिये भिन्न-भिन्न अधिक वेतनक्रम मंजूर करना।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में मांग संख्या (एक), (तीन) तथा (चार) मान ली गई हैं। मांग संख्या (दो) विचाराधीन है और मांग संख्या (पांच) पर विचार किया जायेगा। मांग संख्या (छः) स्वीकार नहीं की गई है। तथापि, कम्पाउन्डरों को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड के अध्यक्ष

3305. **श्री उटिया :**

श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष ने 1960 में किसी समय जांच

निदेशक का पद छोड़ने से पूर्व जल्दबाजी में ऐसे कई मामलों के बारे में निर्णय किये जिनमें बहुत धन अन्तर्ग्रस्त था ;

(ख) क्या इस निदेशालय के अधिकारियों ने विभिन्न फर्मों से शेयरों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये बहुत अधिक ट्रंक काल किये थे ; और

(ग) इन ट्रंक कालों पर उसके पहले के दो वर्षों में उसी अवधि में इसी प्रकार के ट्रंक कालों पर हुए कुल व्यय की तुलना में कितना व्यय हुआ ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) मार्च और अप्रैल, 1960 में निदेशालय में निबटाये गये मामलों से सम्बन्धित फाइलें यह जांच करने के लिए इकट्ठी की जा रही हैं कि उनमें उल्लिखित किस्म का कोई मामला है या नहीं ।

(ख) यदि ट्रंक कालों के द्वारा कोई सूचना इकट्ठी की गयी थी तो यह कहना सम्भव नहीं है कि क्या सूचना इकट्ठी की गई थी ।

(ग) टेलीफोन के ट्रंक कालों पर 1958-59,1959-60 और 1960-61 में क्रमश: 684.86 रुपये, 743.66 रुपये और 716.86 रुपये खर्च हुए ।

Loans from Abroad

3306. **Shri Sidheshwar Prasad:** **Dr. P. Srinivasan:**
Shri Gulshan: **Shri Sivamurthi Swamy:**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of loans received by India from abroad upto 31st July, 1966 together with the names of the countries from whom received ; and

(b) the amount of interest paid during the above period together with the names of the countries to whom it was paid ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) and (b). A statement containing the information asked for is placed on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-6912/66]..**

भारत से चीन को चोरी छिपे माल ले जाया जाना

3307. **श्री मधु लिमये :**
श्री बागड़ी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत से चीन को चोरी-छिपे माल ले जाये जाने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय आसूचना अभिकरणों (सेन्ट्रल इन्टेलिजेंस एजेन्सीज) ने इन गतिविधियों के बारे में कोई जांच की है ;

(ग) इसका क्या परिणाम रहा है ; और

(घ) इस तस्कर व्यापार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). केन्द्रीय गुप्तचर्या विभागों द्वारा इस प्रकार चोरी-छिपे माल ले जाने की कुछ शिकायतों की जांच-पड़ताल की गयी थी किन्तु अब तक कोई विशिष्ट मामला पकड़ा नहीं गया है । जहां तक सरकार को जानकारी है, भारत से कोई खास मात्रा में माल चोरी-छिपे चीन नहीं ले जाया जाता ।

(घ) सीमा क्षेत्रों के अधिकारी बराबर सजग हैं ।

सिंचाई की सुविधाएँ

3308. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 3840 लाख एकड़ कृषि भूमि में से, जिसमें अभी तक सिंचाई नहीं होती है, 3200 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिये, क्या योजनाएं बनाई गई हैं ;

(ख) इस समय हर राज्य में कितनी भूमि में सिंचाई नहीं होती है ; और

(ग) 1966-67 में इन योजनाओं के अन्तर्गत हर राज्य में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिये विशेष रूप से कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):(क) कुल बोया गया क्षेत्र 3340 लाख एकड़ है । यह अनुमान लगाया गया है कि इस में से केवल 1870 लाख एकड़ क्षेत्र में बृहत्, मध्यम तथा छोटी सिंचाई परियोजनाओं द्वारा सिंचाई की जा सकती है । तीसरी योजना के अन्त तक कुल लगभग 860 लाख एकड़ में सिंचाई करने की संभावना है । यह क्षेत्र सिंचाई योग क्षेत्र का 46 प्रतिशत है शेष शक्यता को 20-25 वर्षों में काम में लाने का विचार है । परन्तु अभी तक कोई विशेष कार्यक्रम नहीं बनाया गया है ।

(ख) और (ग). प्रत्येक राज्य में असिंचित भूमि कितनी है और योजना में सम्मिलित परियोजनाओं के लिये 1966-67 वर्ष निमित्त कितनी धनराशि नियत की गई है इसका एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-6913/66]**

Water Scarcity in Indore

3309. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Rameshwaranand :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the boring machine of Bhilai Steel Plant has failed to work in Indore,

(b) whether it is also a fact that two boring machines are being brought from Holland by air and if so, their value ;

(c) whether it is also a fact that Government have exhibited the water scarcity of Indore in foreign countries on television and if so, the reasons therefor ;

(d) whether Government are making arrangements to get water from Narbada for Indore ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) The site where the rig procured from the Bhilai Steel Plant was used was rocky and the machine did not prove useful at that site.

(b) Two well drilling rigs have been procured one each from Holland and the U.S.A. by a valuntary body known as "Action for Food Production Organisation (AFPRO)". The machine imported from Holland was air-lifted and has been in use in Indore since 30th May, 1966. The cost of that machine is $ 1,10,970 exclusive of freight charges. The drilling rig which is being procured from the U.S.A. has not arrived so far and its price is also not known to Government.

(c) No.

(d) and (e) The State Government propose to carry out a full scale survey and investigation of the various possible sources for augmenting the water supply of Indore from Kschipra, Chambal, Kalisindh or Narbada rivers. Further action will be taken after the survey is completed.

Transfers in Defence Accounts Department

3310. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Rameshwaranand :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Class III employees of the Defence Accounts Department are transferred to far off places as a punishment without informing them the reasons therefor ; and

(b) whether it is also a fact that no reply is sent to the representationists in such cases who represent against such transfers ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) Transfers in the Defence Accounts Department are made on administrative grounds. No transfer is ordered as a measure of punishment ;

(b) In view of (a) above the question does not arise.

However, it may be stated that all representations from members of the staff of the Defence Accounts Department are dealt with in accordance with the procedure laid down under the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.

सिंगापुर से मद्रास में माल का चोरी-छिपे लाया जाना

3311. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**

श्री रिशांग किशिंग :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर से मद्रास में विलास सम्बन्धी उपभोक्ता माल के चोरी-छिपे लाये जाने के समाचारों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस तस्कर व्यापार में वृद्धि क्यों हो रही है ; और

(ग) इसकी रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) सरकार को मालूम है कि विलास सम्बन्धी उपभोक्ता माल सिंगापुर से चोरी-छिपे मद्रास लाया जाता है।

(ख) सरकार की सूचना के अनुसार सिंगापुर से मद्रास में उपभोक्ता माल को चोरी-छिपे लाने की स्थिति सरकार के काबू में है।

(ग) चोरी-छिपे माल लाने ले जाने को रोकने के लिए निम्नलिखित मुख्य उपाय अपनाए गये हैं :—

(i) संदिग्ध जलयानों तथा वायुयानों की ठीक तरीके से खाना-तलाशी ;

(ii) समुद्री किनारों तथा भू-सीमाओं के उन भागों की, जहां से चोरी-छिपे माल लाया ले जाया जा सकता हो, नियमित तथा आकस्मिक गश्त ;

(iii) सूचना मिलने पर तुरन्त कार्यवाही करना ;

(iv) सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन भारी दण्ड लगाना जिसमें अवैध माल की जब्ती भी शामिल है ;

(v) उचित मामलों में मुकदमे चलाना ;

(vi) विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों के चोरी-छिपे माल लाने ले जाने की रोकथाम के काम का समन्वय करने के लिए केन्द्र में राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय की स्थापना ;

(vii) आर्थिक अपराधों की जांच पड़ताल करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो में आर्थिक अपराध जांच-उपभाग की स्थापना ; और

(viii) निम्नलिखित कार्यों के लिए सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के अधीन अधिकार प्राप्त करना ;

(क) यदि पकड़े गये सामान का बाजार मूल्य एक लाख रुपये से अधिक हो तो मुकदमा में दी गयी जेल की सजा की अवधि बाढ़ाना ; और

(ख) चोरी-छिपे लाये जाने के यथोचित विश्वास पर पकड़ी गयी घड़ियों और दूसरे निर्दिष्ट सामान के बारे में चोरी-छिपे न लाये जाने की सबूत देने की जिम्मेवारी उस व्यक्ति पर डालना जिसके पास से माल पकड़ा गया था ।

जीवन-बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

3312. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर न होने के बराबर हैं ;

(ख) क्या निगम ने अपने कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने का कोई निर्णय नहीं किया है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या निगम के कर्मचारियों को मकानों के निर्माण के लिये ऋण भी नहीं दिये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख). इस समय जीवन बीमा निगम के पास अपने कर्मचारियों के लिए केवल 1,100 क्वार्टर हैं तथा 100 और क्वार्टरों का निर्माण हो रहा है । जिन स्थानों पर आवास की सख्त कमी है वहां निगम का अपने कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने का विचार है ।

(ग) सवाल ही नहीं उठता ।

(घ) जी, नहीं । निगम द्वारा बनायी गयी विशिष्ट योजनाओं के अन्तर्गत कर्मचारी व्यक्तिगत तौर पर अथवा सहकारी समितियों के सदस्य के तौर पर ऋण ले सकते हैं ।

Opium Smuggling

3313. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Rameshwaranand :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that one and a half maund of opium was seized while being smuggled by Pakistanis from Ferozepur area to India during the 1st week of May, 1966 ;

(b) the action taken by Government against the Pakistani smugglers who illegally enter India ;

(c) since when the persons detained in this case were carrying on this activity ; and

(d) whether any Indians have also a hand in this activity ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) Opium weighing 54·032 kilos was seized at Police Station Mamdot, District Ferozepur, Punjab, while being smuggled from Pakistan to India during the first week of May, 1966, but all the four persons accused of the offence of smuggling are Indians and not Pakistanis.

(b); (c) and (d). The persons involved in this case are all Indians. They are reported to have been carrying on these illegal activities since 1960 from Amritsar-Pakistan border. Pakistani smugglers who illegally enter India are liable to action under the Foreigners Act, besides departmental proceedings as well as prosecution in a court of law under the Customs Act and other allied Acts.

Delhi Hospitals Association

3314. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Rameshwaranand :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Secretary, Delhi Hospitals Association has resorted to fast for an indefinite period for the acceptance of certain demands ;

(b) whether it is also a fact that so long as their demands are not met, one member of the association will resort to fast every day ; and

(c) the steps being taken by Government in the matter ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) No.

(b) In the Silver Jubilee Tuberculosis Hospital, a few workers went on hunger strike on the question of over-time for night duty and arrears. This strike has already been called off on the 28th July, 1966 and the Class IV staff concerned have returned to duty.

(c) Action has been taken by the Management in accordance with the ruling of the authority under the Minimum Wages Act.

बम्बई में घड़ियों का चोरी-छिपे लाया जाना

3315. **श्री बागड़ी :** **श्री रामसेवक यादव**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक : **श्री मौर्य :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि बम्बई में बड़े पैमाने पर चोरी-छिपे घड़ियां लाई जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या मई, 1966 में उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा कुछ घड़ियां तथा विदेशों में बनी कुछ अन्य वस्तुएं पकड़ी गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो कुल कितनी वस्तुएं पकड़ी गई हैं ; और

(घ) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) सरकार को यह मालूम है कि बम्बई में घड़ियों का कुछ तस्कर व्यापार होता है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) 1966 के मई मास में, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा 77,155 रुपये मूल्य की 748 घड़ियां तथा 20,47,229 रुपये मूल्य का अन्य विदेशी माल बम्बई में पकड़ा गया।

(घ) अभिग्रहण के कुछ मामलों पर न्याय निर्णय पहले ही हो चुका है तथा कुछ घड़ियां और अन्य माल जब्त कर लिया गया है। अन्य मामलों में न्याय निर्णय की कार्यवाही अभी चल रही है।

स्वास्थ्य एकक तथा अस्पताल

3316. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में कितने स्वास्थ्य एकक तथा अस्पताल होंगे ; और

(ख) इनमें से कितने अस्पतालों में डाक्टरों की व्यवस्था है और कितनों में नहीं है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). सम्बद्ध विवरण में जानकारी दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6914/66]**

नगरीय सामुदायिक विकास खंड

3317. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि

(क) कितने तथा किन किन स्थानों पर नगरीय सामुदायिक विकास खंड स्थापित किये गये हैं ;

(ख) वे किस प्रकार कार्य कर रहे हैं और उन पर कितनी राशि व्यय की गई है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में कुछ और विकास खंड स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो कितने और किन किन स्थानों पर ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6915/66]**

(ख) नगर सामुदायिक विकास योजना को भारत सरकार ने जुलाई, 1965 में मंजूर किया था। राज्य तथा संघ क्षेत्रों से मिले अनुरोधों के आधार पर इन परियोजनाओं के नियतन करने, कर्मचारियों के चुनाव करने तथा विभिन्न समाज-कार्यों स्कूलों में उन्हें प्रशिक्षण देने में समय लग गया और इसलिये वास्तविक रूप में ये परियोजनायें फरवरी, 1966 के बाद से जैसे ही कर्मचारियों का प्रशिक्षण पूरा हुआ, चालू हुई हैं। अगरतला की परियोजना जून, 1966 में ही शुरू हुई है। अतः इतनी जल्दी इसके निष्कर्षों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

(ग) और (घ). इस कार्यक्रम के विस्तार के प्रश्न पर उपलब्ध निष्कर्षों के आधार पर विचार किया जायेगा। अनियतित परियोजनाओं के नियतन के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में सिंचाई और बिजली सम्बन्धी योजनाएं

3318. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की सिंचाई तथा बिजली सम्बन्धी कितनी योजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी के लिये पड़ी हैं और उन पर व्यय होने वाली राशि का ब्योरा क्या है तथा उनसे क्या लाभ प्राप्त होने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-6916/66]**

उत्तर प्रदेश में बिजली का तैयार किया जाना

3319. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की बिजली तैयार करने की वर्तमान क्षमता कितनी है ;

(ख) क्या 1966-67 में उस राज्य में अधिक बिजली तैयार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) उत्तर प्रदेश में वर्तमान प्रतिष्ठापित बिजली उत्पादन क्षमता 910 मैगावाट है।

(ख) जी हां।

(ग) आशा है कि निम्नलिखित बिजली घरों को 1966-67 के दौरान चालू कर दिया जायेगा :—

1. ओबरा ताप बिजली घर	50 मैगावाट (प्रथम यूनिट)
2. पंकी ताप बिजली घर (कानपुर)	64 मैगावाट (32-32 मैगावाट की दो यूनिट)
कुल	114 मैगावाट

दिल्ली में एक यात्री से चोरी छिपे लाया गया सोना बरामद किया जाना

3320. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 मई, 1966 को दिल्ली रेलवे पुलिस ने इटावा (उत्तर प्रदेश) के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया तथा उसके कब्जे से चोरी छिपे लाया गया 120 तोले सोना बरामद किया ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) सरकारी रेलवे पुलिस की सहायता से सीमा-शुल्क कर्मचारियों ने 12 मई, 1966 को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इटावा (उत्तर प्रदेश) के एक व्यक्ति को पकड़ा और उसके पास से विदेशी मार्का का 120 तोला सोना बरामद किया ।

(ख) उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया । मामले का न्याय-निर्णय हो रहा है ।

गोरखपुर डिवीजन में आयकर की बकाया राशि

3321. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिवीजन में 31 मार्च, 1966 को आयकर की कुल कितनी राशि वसूल करनी बाकी है ;

(ख) इन राशियों को कितने वर्षों से वसूल नहीं किया गया है ;

(ग) उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) 1965-66 में कितने मामलों में अपील दायर की गई है जिनका अभी निर्णय नहीं हुआ है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) (क) 35.10 लाख रुपये ।

(ख) उपर्युक्त बकाया 1949-50 से लेकर 1965-66 तक के वित्तीय वर्षों में की गयी मांगों के बारे में है ।

(ग) उपर्युक्त बकाया की वसूली नहीं होने के मुख्य कारण ये हैं :—

(I) मांग का एक भाग परिसमाप्त होने वाली कम्पनियों से मिलना है ।

(II) बकाया की मागों में विवादग्रस्त मागें भी शामिल हैं जिनमें से कुछ मामलों में वसूली को अपीलों के निबटारे होने तक के लिए रोक दिया गया है ।

(III) बाकी मामलों में बकाया मांगे 'कर वसूली अधिकारियों' के पास वसूली के लिए पड़ी हैं, और उन मामलों में कर को लगान के रूप में वसूल करने के लिए कार्यवाही की गयी है ।

(घ) 1965-66 के साल में गोरखपुर डिवीजन में 472 अपीलें दायर की गयीं । इनमें से 31-3-1966 तक 67 मामलों में अपीलों का फैसला नहीं हुआ था ।

दरभंगा में पकड़ा गया अवैध सोना

3322. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री मौर्य :
श्री बागड़ी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1966 में दरभंगा में 25 किलोग्राम अवैध सोना पकड़ा गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) 1965-66 में कुल कितना अवैध सोना पकड़ा गया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) जी, हां। केन्द्री उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा 1966 के मई मास में लहेरिया सराय में करीब 25 किलोग्राम सोना पकड़ा गया जिसमें सोने के जेवर भी शामिल थे। एक व्यक्ति गिरफ्तार भी किया गया था और बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया।

(ख) मामलों पर विभागीय न्यायनिर्णय की कार्यवाही हो रही है और कागजातों की जांच के बाद काफी सबूत पाया गया तो न्यायालय में मुकदमे दायर कर दिये जायेंगे।

(ग) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा 1965-66 में चोरी छिपे लाये गये के रूप में पकड़ा गया सोना कुल 1895 किलोग्राम के करीब था।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम

3323. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री स० चं० समान्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रम समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बाद से राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के कार्य में सुधार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या 1965-66 में हानि अथवा लाभ की स्थिति में सुधार हुआ है ; और

(ग) क्या इस संगठन में कमियों को दूर करने के लिये कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख). जी हां। समस्त क्रय-विक्रय पर हानि के प्रतिशत का 1963-64 के दौरान 9.72 प्रतिशत से कम होकर 1965-66 के दौरान 4 प्रतिशत हो जाने की संभावना है ।

(ग) जी हां । कमियों को दूर करने के लिए कुछ उपाय किये गये हैं ।

दिल्ली में समर्थाग अंधे व्यक्ति

3324. **श्री लीलाधर कटकी :** क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में समर्थाग अंधे व्यक्तियों ने अपने जीविकोपार्जन के लिये दिल्ली में एक वर्कशाप चलाने की योजना बनाई है और उन्होंने सरकार से सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर कोई निर्णय कर लिया है ;

(ग) इन अंधे व्यक्तियों की किस प्रकार सहायता करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) क्या अन्य शहरों में समर्थाग अंधे व्यक्तियों को अपने जीविकोपार्जन के लिये ऐसे कोई प्रोत्साहन दिये गये हैं ?

समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) (क) : जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चौथी योजना के दौरान एक कार्य समंजन केन्द्र तथा एक शेल्टर्ड वर्कशाप खोलने की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है।

(घ) भारत सरकार ने एक छोटी शेल्टर्ड वर्कशाप देहरादून में तथा विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिये देश के विभिन्न भागों में विकलांग व्यक्तियों के लिये 9 विशेष रोजगार कार्यालय स्थापित किये हैं।

नोट

3325. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कलकत्ता तथा उसके उपनगरों में कुछ बैंकों से प्राप्त किये गये विभिन्न राशियों के नये नोटों की क्रम संख्या में गड़बड़ी के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसे तावों (शीट) से छांटे गये अच्छे नोटों से बनी गड्डियों में क्रमागत संख्या (कंजिक्यूटिव नम्बरिंग) बनाये रखना हमेशा ही सम्भव नहीं होता, जिनमें खराब छपाई वाले कुछ नोट भी हो सकते हैं। इस प्रकार की गड्डियां जारी करते समय, रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को सलाह देता है कि इन्हें पूरी गड्डियों के रूप में इस्तेमाल न किया जाय, बल्कि उन लेनदेनों में इस्तेमाल किया जाय, जिनमें सौ से कम संख्या में नोटों की आवश्यकता होती है।

मद्रास हवाई अड्डे पर जब्त किया गया सोना

3326. **श्री च० का० भट्टाचार्य :**
श्री दिगे :
श्री बड़े :
श्री सोनावने :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री यु० द० सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों ने मीनाम्बक्कम हवाई अड्डा, मद्रास पर जुलाई, 1966 के दूसरे सप्ताह में तीन यात्रियों से जो बम्बई से आये थे, सोने की दो हजार छड़ें जब्त की थीं ; और

(ख) ये सोने के टुकड़े उस समय क्यों नहीं जब्त किये गये जब ये यात्री बम्बई हवाई अड्डे पर पहुंचे थे अथवा वहां से चढ़े थे ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 13 जून, 1966 को सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने मीनाम्बक्कम् हवाई अड्डे पर बम्बई से आए तीन यात्रियों के पास से चोरी छिपे लाये गए के रूप में सोने के दो हजार टुकड़े तो नहीं परन्तु दो सौ छड़ें पकड़ीं जिनका वजन 2,000 तोला था ।

(ख) ये व्यक्ति किसी विदेशी हवाई अड्डे से बम्बई नहीं आये थे और इनके मद्रास के लिये जहाज में चढ़ने के पहले इनके पास सोना होने की कोई पूर्व-सूचना बम्बई सीमा शुल्क अधिकारियों को नहीं थी ।

आन्ध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड

3327. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वक्फ अधिनियम 1959 के अन्तर्गत 1961 में बनाये गये आन्ध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड को आन्ध्र प्रदेश सरकार ने समाप्त कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कब तथा इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश के लिये नया वक्फ बोर्ड बनाया जा चुका है ;

(घ) यदि हां, तो कब ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसमें देरी होने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). 29 नवम्बर, 1965 से आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आन्ध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड का काम अपने हाथ में ले लिया था। इसका कारण यह था कि वक्फ अधिनियम 1954 के अन्तर्गत इसको सौंपे गए कार्यों को पूरा

करने में यह असमर्थ रहा और लगातार उनकी अवहेलना करता रहा और इसने अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी किया। वास्तव में बोर्ड ने अपने इस अधिकार-वंचन को स्वयं ही मान लिया था जब वक्फ अधिनियम 1954 की धारा 64 (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार ने इसको शो काज नोटिस दिया।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) चूंकि राज्य सरकार ने महसूस किया कि ठीक ढंग से वक्फ के प्रशासन को पुनः व्यवस्थित करने में कुछ और समय लगेगा, उसने बोर्ड को अधिकारों से वंचित रखने की अवधि को 31 सितम्बर, 1966 तक बढ़ा दिया है।

चौथी योजना में निर्यात

3328. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्यात की सम्भावनाओं तथा उस अवधि के दौरान उद्योगों को चालू रखने के लिए आयात सम्बन्धी आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए दो उच्च शक्ति प्राप्त दल स्थापित किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन दलों के निर्देशपद क्या हैं ; और

(ग) उनके प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (ग). चौथी पंचवर्षीय योजना की प्रारूप रूपरेखा तैयार करने के सम्बन्ध में योजना आयोग ने क्रमशः (क) चौथी योजना अवधि में संभावित निर्यात आय के प्राक्कलन और (ख) इस अवधि में अत्यावश्यक आयात की आवश्यकता के आंकड़े तैयार करने के लिये जून, 1966 के उत्तरार्ध में राजकीय स्तर पर क्रमशः दो अनौपचारिक अध्ययन दल बनाये गये थे। प्रारूप रूपरेखा, जो चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं में प्रस्तुत की जायेगी, तैयार करने में इन दो अध्ययन दलों द्वारा तैयार किये गये निर्यात आय तथा अत्यावश्यक आयात के प्रारम्भिक प्राक्कलनों को ध्यान में रखा गया है।

केसरी दाल को साफ करना

3329. **श्री च० का० भट्टाचार्य :**

श्री श्रीनारायण दास :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् ने 'केसरी दाल' को साफ करने का एक तरीका सुझाया है, जिससे उसके विषैलेपन को दूर करके मानव द्वारा खाये जाने योग्य बनाया जा सकता है और जिससे त्रिपुट रोग (लैथिरिज्म) होने की आशंका भी नहीं रहती ;

(ख) यदि हां, तो उस तरीके का ब्योरा क्या है ; और

(ग) भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् के सुझाव को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) मनुष्यों द्वारा खाये जाने से पूर्व उसमें निहित विषैले तत्वों को दूर करने के लिये हैदराबाद स्थित पोषण अनुसन्धान प्रयोगशालाओं ने केसरी बीज के उपचार का एक तरीका सुझाया है ।

(ख) विषैले तत्वों के दूर करने के तरीके का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-6917/66]**

(ग)यह तरीका पूर्णतः प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित है और इस पर अभी भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् के विशेषज्ञ विचार कर रहे हैं ।

कृषि पुनर्वित्त निगम के ऋण

3330. **श्री कोल्ला वैंकैया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमीन को समतल बनाने तथा उसे सिंचाई के लिये तैयार करने के लिये भू-स्वामियों को नागार्जुन सागर परियोजना के अन्तर्गत सहकारी भू-बन्धक बैंकों के माध्यम से कृषि पुनर्वित्त निगम ऋणों का मंजूर किया जाना तथा दिया जाना बन्द कर दिया गया है ;

(ख) क्या ये ऋण केवल एक किस्त देने के बाद ही बन्द कर दिए गए थे ;

(ग) ऋण बन्द करने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या जिन किसानों ने पहली किस्त ले ली है, उन्हें इसे लौटाने के लिये कहा गया है ;

(ङ) जून, 1966 के अन्त तक नागार्जुन सागर परियोजना में कितने रुपये के ऋण मंजूर किये गये थे ;

(च) कितने रुपये के ऋण दिये गये ; और

(छ) ये ऋण कितनी किस्तों में दिये जाते हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) 3193 प्रार्थियों को दूसरी किस्त भी दे दी गयी है ।

(ग) ऋण देना बंद नहीं किया गया है । जहां पहले दिये गये ऋण, भूमि को कृषि-योग्य बनाने के लिये इस्तेमाल नहीं किये गये हैं वहां और किस्तों की अदायगी तब तक के लिए स्थगित कर दी गयी है जब तक पहले दिये गये अग्रिमों का उचित उपयोग न कर लिया जाय ।

(घ) किस्तों की वापसी के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया है, लेकिन कृषिकों को

चेतावनी दे दी गयी है कि यदि उनके द्वारा लिये गये ऋणों का जल्दी ही उचित इस्तेमाल नहीं किया गया, तो उनसे उनकी वापसी की मांग की जायगी ।

(ङ) 27,814 प्रार्थियों को 563.33 लाख रुपये ।

(च) 23,019 प्रार्थियों को 285.86 लाख रुपये ।

(छ) आमतौर पर ऋण दो किस्तों में दिये जाते हैं ।

दिल्ली में हरिजनों को मकान बनाने के लिये राज-सहायता

3331. **श्री गुलशन :**
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री कपूर सिंह :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में हरिजनों को मकान बनाने के लिये राज सहायता दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है और इस प्रयोजन के लिये कुल कितनी राशि नियत की गई है ;

(ग) क्या नियत राशि हाल ही में बढ़ाई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां ।

(ख) हरिजनों को मकान बनाने के लिये राजसहायता देने सम्बन्धी दिल्ली प्रशासन नियमों के अन्तर्गत निम्नलिखित मुख्य शर्तों पर दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिये भूमि की लागत के अतिरिक्त मकान की 75 प्रतिशत लागत के बराबर अथवा 900 रुपए, जो भी कम हो, राजसहायता दी जाती है :—

(एक) आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति का तथा गन्दगी से सम्बन्धित काम में लगा होना चाहिए परन्तु कुल राजसहायता का 20 प्रतिशत राशि भंगियों और मेहतरों के अतिरिक्त अन्य अनुसूचित जातियों के लिये नियत होगी ।

(दो) आवेदनकर्ता के पास दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में, जहां पर वह मकान बनाना चाहता है, कम से कम 60 वर्ग गज भूमि होना चाहिए ।

(तीन) आवेदनकर्ता अथवा उसकी पत्नी अथवा उसके परिवार के किसी भी आश्रित सदस्य का दिल्ली संघ-राज्यक्षेत्र में कहीं भी अपना पक्का मकान नहीं होना चाहिए ।

(चार) आवेदनकर्ता को नकदी अथवा मकान निर्माण सामग्री अथवा स्वैच्छिक श्रम के रूप में मकान के निर्माण में उसे मंजूर की गई कुल राज सहायता का कम से कम एक तिहाई लागत लगाने के लिये सहमत होना चाहिए ।

1966-67 में इस प्रयोजन के लिये 4 लाख रुपए नियत किये गये हैं।

(ग) और (घ). तीसरी योजना में इस प्रयोजन के लिये 12 लाख रुपए नियत किये गये थे। चौथी योजना में नियतन को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रस्तावित योजना में कुल नियतन कम अथवा अधिक होगा।

वाशिंगटन में वैदेशिक कार्यों के सम्बन्ध में परामर्शदाता के रूप में श्री जे० एन० गंजू की नियुक्ति

3332. **श्री गुलशन :**
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री कपूर सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री जे० एन० गंजू को वैदेशिक कार्यों के सम्बन्ध में परामर्शदाता के रूप में वाशिंगटन डी० सी० में नियुक्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने वेतन पर ; और

(ग) क्या सरकार ने उसे इससे पहले भी कभी नियुक्त किया था ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) संयुक्त राज्य अमरीका में हमारे दूतावास के आर्थिक अनुभाग के लिये मैसर्स पब्लिक रिलेसंज अटैची इंटरनेशनल, आई० एन० सी० वाशिंगटन, डी० सी० की सेवायें जन संपर्क परामर्शदाता के रूप में प्राप्त की गई थीं और श्री जे० एन० गंजू इस फर्म के मुख्य अधिकारी थे।

(ख) इस फर्म की सेवायें 9 अगस्त, 1965 से एक वर्ष के लिये साठ हजार डालर में प्राप्त की गई थीं।

(ग) उन्होंने सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में जन संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य किया था। उन्होंने वाशिंगटन में स्थित भारतीय दूतावास में भी ठेके के आधार पर प्रैस अटैची के रूप में कार्य किया था तथा उन्होंने 1 फरवरी, 1965 से सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था।

M/s Oriental Timber Trading Corporation and M/s Meckenzees Ltd.

3333. **Shri Kashi Ram Gupta :** **Shri Raghunath Singh :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Bade :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Messrs: Oriental Timber Trading Corporation and Messrs. Meckenzees Ltd., and some of the firms in Bombay obtained insurance policies for lesser amounts under the Workmen's Compensation Act so that they may not have to pay more amount as premium ;

(b) if so, whether it is also a fact that higher rebate is obtained by giving wrong figures of premias to the Income-tax Department; and

(c) if so, whether Government have enquired into the matter and the results thereof?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) There is no provision in the Workmen's Compensation Act requiring employers to take out insurance policies. This is done by the employers voluntarily. Therefore, the amount for which a policy is taken out is a matter between the insurer and the insured. The Government is not concerned with it.

(b) The assessments made on the two companies do not show that the claim for deduction of insurance premium was inflated.

(c) Does not arise.

दिल्ली नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारियों का दर्जा

3334. **श्री लीलाधर कटकी :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जुलाई, 1966 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "स्वास्थ्य अधिकारी के दर्जे के मामले में गतिरोध" (स्टेलमेंट ओवर हेल्थ आफिसर्स स्टेट्स) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो निगम आयुक्त और दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी के बीच क्या विवाद है ; और

(ग) उनके मतभेदों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) आयुक्त ने दिल्ली में निगम के 7 अस्पतालों का प्रशासकीय नियंत्रण सीधे अपने हाथ में ले लिया जिस पर निगम स्वास्थ्य अधिकारी ने विरोध किया है।

(ग) दिल्ली के महापौर ने दल नेता तथा निगम के आयुक्त से इस विषय पर बातचीत की। निगम स्वास्थ्य अधिकारी को यह बताया गया कि उन्होंने जो पक्ष लिया है वह अरक्षणीय है क्योंकि आयुक्त ने जो कदम उठाया है वह प्रशासनिक कारणों से उठाया है।

नई दिल्ली के एक अस्पताल में उपेक्षा का व्यवहार

3335. **श्री बूटा सिंह :**
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री कपूर सिंह :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि .

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जुलाई, 1966 के "मार्च आफ दि नेशन" वीकली में

"अस्पतालों में किये गये उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण मृत्यु हो जाती है" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). श्रीमती त्रिषला देवी जैन मिट्टी के तेल से बहुत अधिक जल जाने के कारण 8 मई, 1966 को विलिंगडन अस्पताल में भर्ती की गई थीं। वे बहुत अधिक भयभीत थीं और उनके शरीर का 35 प्रतिशत भाग जल गया था। उन पर यथासम्भव सर्वाधिक ध्यान दिया गया था, पूरी सावधानी से काम लिया गया था व पूरी सहानुभूति दिखाई गई थी और उनके इलाज में किसी प्रयास अथवा दवाई में कमी नहीं रखी गई थी। अस्पताल ने खून चढ़ाने पर 1,200 से 1,500 रुपये खर्च किये तथा अस्पताल में रहने की उनकी सारी अवधि में उनका बराबर हर प्रकार से इलाज किया जाता रहा था। चिकित्सा में सर्वाधिक सावधानी रखने तथा देने पर ही रोगी की 22 जून, 1966 को मृत्यु हो गई। यदि इतना अधिक ध्यान न दिया गया होता वे इतने समय तक भी जीवित नहीं रहतीं।

जल जाने वाले सभी रोगियों का इलाज चिकित्सा एवं कानूनी मामलों के रूप में करने की प्रणाली है। अतः पुलिस को बुलाकर शव दे दिया गया था।

Smuggling on West Bengal—East Pakistan Border

3336. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri P. H. Bheel :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that large-scale smuggling of jute and bidi leaves is going on, on West Bengal—East Pakistan border ; and

(b) if so, the steps taken by Government to put an end to it ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) As far as Government are aware, there is no large-scale smuggling of jute and bidi leaves on the West—Bengal—East Pakistan border. Some small quantities might, however, be occasionally smuggled in or out.

(b) Customs officers on the border continue to be vigilant.

योगिक संस्थाओं को सहायता

3337. **श्री हेम राज** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) 1964-65, 1965-66 और 1966-67 में अब तक देश में योगिक संस्थाओं को कितनी सहायता दी गई है और इन संस्थाओं के नाम क्या हैं तथा ये कहां-कहां पर हैं; और

(ख) यह सहायता किन कार्यों के लिए दी गई थी और इन संस्थाओं ने क्या-क्या अनुसंधान कार्य किये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). इन वर्षों में किसी योगिक संस्था को कोई अनुदान नहीं दिया गया है ।

Recovery of Contraband Nepalese Ganja

3338. **Shri Vishwa Nath Pandey :**
Shri Brij Basi Lal :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Assistant Excise Superintendent recovered contraband Nepalese Ganja worth rupees one lakh near the check post in Shahabad on the Molnia border of Bihar—Uttar Pradesh, which was being smuggled in a truck from Bombay during July, 1966 ; and

(b) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) On the 30th June, 1966, a Sub-Inspector of Excise recovered Nepali ganja weighing 499 kgs. at Mohania check post in Sahabad, on the border of Uttar Pradesh, which was being smuggled in a truck plying from Calcutta to Bombay.

(b) Three persons were arrested and the truck was also seized. The case is under investigation.

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से सहायता

3339. **श्री दिगे :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को हाल में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से वित्तीय सहायता मिली है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि की सहायता मिली है; और

(ग) वित्तीय सहायता किन शर्तों पर मिली है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) से (ग). भारत को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से 1 अप्रैल, 1966 से वित्तीय सहायता मिली है, जिसका विवरण सम्बद्ध तालिका में दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-6918/66]**

सोने का तस्कर व्यापार

3340. **श्री दे० जी० नायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों में सोने का तस्कर व्यापार बढ़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि तस्कर व्यापार में यह वृद्धि स्वर्ण नियंत्रण आदेश में ढील दिये जाने के कारण हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) पिछले दो वर्षों में भारत में चोरी-छिपे लाये गये सोने की मात्रा का ठीक-ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है, और इसलिए यह बताना भी मुश्किल है कि उक्त अवधि में सोने का तस्कर व्यापार बढ़ा है अथवा घटा है। 1964 और 1965 के प्रत्येक वर्ष में चोरी-छिपे लाया गया जो सोना पकड़ा गया वह 1963 में पकड़े गये सोने से अधिक था। लेकिन 1966 की पहली छमाही में इस प्रकार के पकड़े गये सोने की मात्रा में भारी कमी हुई है। पर यह आवश्यक नहीं है कि अलग-अलग वर्ष में पकड़े गये माल की घट-बढ़, चोरी-छिपे माल की आमद में कमी या वृद्धि होने का सूचक हो।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए असल में यह प्रश्न उठता ही नहीं। स्वर्ण नियंत्रण आदेश में सितम्बर 1963 में जो ढील दी गई थी उसके अन्तर्गत प्रमाणित स्वर्णकारों को पुराने आभूषणों से तत्तुल्य शुद्धता के नये आभूषण बनाने की अनुमति दी गई थी। आमतौर पर विशुद्ध सोना ही चोरी-छिपे रूप में भारत में लाया जाता है और सुनारों को विशुद्ध रूप में सोना काम में लेने की अनुमति नहीं दी गई है।

चोरी-छिपे लाये गये सोना तथा चांदी का करनाल में पकड़ा जाना

3341. **श्री पन्नालाल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बृजवासी लाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 जुलाई, 1966 को चोरी हुए आभूषण के लिए मारे गये छापे के दौरान करनाल (पंजाब) में सात सर्राफों के घरों से अनुमानतः 6 लाख रुपये के मूल्य की 40 मन से अधिक चांदी और 6 किलोग्राम सोने के आभूषण पकड़े गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 18 जुलाई, 1966 को करनाल (पंजाब) में सात सर्राफों के घरों पर मारे गये छापों में पुलिस ने लगभग 876 किलोग्राम चांदी और चांदी के गहने तथा लगभग 3 किलोग्राम सोने के गहने पकड़े। पकड़े गये माल की कीमत लगभग 3 लाख रुपये आंकी गई है।

(ख) प्राप्त सूचना के अनुसार, पुलिस द्वारा मुख्य न्यायिक दण्डनायक, करनाल की अदालत में मुकदमा दायर किया गया था। पकड़ी गई वस्तुओं को छोड़ देने के लिए मुख्य न्यायिक दण्डनायक द्वारा दिये गये फैसले के खिलाफ अब यह मामला जिला और सेशन जज, करनाल के यहां पुनरीक्षण के लिए पेश है। आयकर अधिकारियों द्वारा भी जांच-पड़ताल शुरू की गई है और वह चल रही है।

Recovery of Opium at Ratlam Station

3342. **Shri Bade :** **Shri Sonavane :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Y. D. Singh :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 12 kilograms of opium were recovered from a Railway

employee at Ratlam as reported in the "Hindustan Times" dated the 14th July, 1966 ;

(b) if so, the place from where this opium was brought; and

(c) the action taken in this regard ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) 10·450 kilograms of opium was recovered from a Railway employee at Ratlam Railway Station on 12-7-1966.

(b) The opium is reported to have been smuggled from Sailanipura, Ratlam (Madhya Pradesh).

(c) The accused was arrested but later released on bail. Investigation is in progress.

Smuggling of Ganja

3343. **Shri Bade :** **Shri Sonavane :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Y. D. Singh :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Income-tax authorities recovered five bags of 'Ganja' worth Rs. 24,200 from a car in Bombay during the second week of July, 1966 ;

(b) whether it is also a fact that three persons in the car were held up in this connection ; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) Ganja weighing 94·700 kilos and valued at about Rs. 24,240/- was recovered by the Anti-corruption and Prohibition Intelligence Bureau, Bombay, from a car in Bombay on the 2nd July, 1966.

(b) Three persons were arrested on the 2nd July, 1966, and one on the 7th July, 1966.

(c) All the accused persons have been arrested and the ganja and the car have been seized. The case is still under investigation.

Agartala Municipality

3344. **Shri Dasaratha Deb :**
Shri Biren Dutta :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the Agartala Municipality is superceded by Government for the last 10 years ; and

(b) if so, the reasons for keeping the Municipality under the direct administration of Government ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) The administration of the Agartala Municipality was taken over by Government in April, 1955 when the Municipal Commissioners of the Municipality, holding office under the old Tripura Municipal Law, 1939, resigned **en bloc**.

(b) Government felt that this border town with its special problems required continued supervision to ensure the realisation of arrears of taxes and proper utilisation of funds, to improve the standard of services rendered by it and to improve the conditions of roads etc., for which purposes various grants and loans were sanctioned. A water works has just been constructed and drainage substantially improved. The delay in holding elections has also been caused by the fact that the old Tripura Municipal Law had to be repealed as it contained no provisions for levy of taxes in respect of Municipal services and the provisions in respect of elections were outmoded. The Bengal Municipal Act, which is more comprehensive has since been extended to Tripura replacing the old law and taxes levied under the Act to improve the financial position of the Agartala Municipality, which is still not satisfactory. The question of including some areas adjacent to this expanding town is under consideration. After this is decided it will be necessary to undertake delimitation of wards and preparation of electoral rolls, before fresh elections are held.

नई दिल्ली में श्रमजीवी महिला होस्टल

3345. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में वाई० डब्ल्यू० सी० ए० को उसके श्रमजीवी महिला होस्टल के लिए 50,000 रुपये या इससे कम राशि का अनुदान दिया था;

(ख) यदि हां, तो वह किस वर्ष अथवा वर्षों में दिया गया;

(ग) क्या यह सच है कि प्रबन्धक बोर्ड में सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं है;

(घ) क्या वाई० डब्ल्यू० सी० ए० को एक लाख रुपये का ऋण भी दिया गया था और यदि हां, तो किस वर्ष में;

(ङ) क्या गत 12 मास में होस्टल की दरों में तीन बार वृद्धि की गई है;

(च) क्या यह भी सच है कि अधिकांश लड़कियों की आय 300 और 600 रुपये के बीच में हैं; और

(छ) क्या प्रबन्धक बोर्ड ने ऐसे नये नियम पास किये हैं जिनका होस्टल में रहने वालों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). जी हां। सरकार के द्वारा 1953 में 50,000.00 रुपये का सहायतार्थ अनुदान दिया गया था।

(ग) प्रबन्धक समिति में सरकार की ओर से सम्पदा निदेशक प्रतिनिधि हैं।

(घ) वाई० डब्ल्यू० सी० ए० को होस्टल बनाने के लिए पचास, पचास हजार रुपये की दो किस्तों में ऋण दिया गया था, एक 1953 में तथा दूसरा 1955 में।

(ङ), (च) तथा (छ). इस मामले में सरकार को कोई सूचना नहीं है क्योंकि पिछले वर्ष इस मामले पर विचार करने के लिए समिति की किसी भी बैठक में सरकार के प्रतिनिधि को आमंत्रित नहीं किया गया।

आदिम जातीय क्षेत्रों में औद्योगिक परियोजनाएं

3346. **श्री ह० च० सोय** : क्या **योजना तथा समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में बड़ी औद्योगिक परियोजनाएं आरम्भ करने से न केवल उनकी पैतृक भूमि और उनके निर्वाह के स्थाई साधनों की क्षति हुई है अपितु उनमें आर्थिक और नैतिक नैराश्य भी आ गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आदिवासी क्षेत्र में परियोजनाएं तैयार करते समय इन पंच-वर्षीय योजनाओं की अवधियों में इस बात का कोई भी ध्यान नहीं रखा गया है कि इनसे सीधे तौर पर प्रभावित आदिम जाति के लोगों को इस आकस्मिक तथा विशाल औद्योगीकरण का लाभ उठाने के योग्य बनाया जाय; और

(ग) यदि हां, तो आगामी योजना में क्या प्रतीकारक कार्यवाही करने का विचार है ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) से (ग). विभिन्न सिंचाई, बिजली तथा औद्योगिक परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के समय पर तथा पर्याप्त पुनर्वास के प्रश्न पर भारत सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है । राज्य सरकारों ने जिनका ऐसे लोगों के पुनर्वास से पहला सम्बन्ध है, औद्योगिक उमक्रमों ने तथा परियोजना प्राधिकारियों ने, ऐसे विस्थापित लोगों के तेजी से तथा उपयुक्त पुनर्वास के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में आवश्यक कदम उठाये हैं । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किये जाने वाले उपायों पर भारत सरकार तथा योजना आयोग विचार कर रहे हैं ।

केरल में ग्राम जल सम्भरण योजनाएं

3347. **श्री प० कुन्हन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी योजना में केरल में विशेषकर पालघाट जिले में, आरम्भ की गई अनेक ग्राम जल सम्भरण योजनाएं काफी बड़ी राशि खर्च करने के बाद त्याग दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका किन-किन पंचायतों पर प्रभाव पड़ा है और इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और राज्य सरकार से मिलते ही उसे सभा-पटल पर रख दिया जायगा ।

आदिवासियों की शिक्षा

3348. **श्री ह० च० सोय :** क्या **योजना तथा समाज-कल्याण** मंत्री 21 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4152 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासियों के दो वर्गों के बीच शिक्षा सम्बन्धी विकास में यह असमानता कब तक समाप्त हो जायगी;

(ख) क्या यह सच है कि बहुत से स्कूल, विशेष रूप से हाई स्कूल और कालेज खुल गये हैं और बिहार में सिंहभूम और सन्थाल परगना की अपेक्षा रांची जिले में राज्य सरकार से सहायता तथा मान्यता अधिक तत्परता से दिये जाने से गैर-ईसाई आदिवासी विद्यार्थियों की तुलना में ईसाई आदिवासियों के लिए सुविधाएं बढ़ गई हैं;

(ग) अधिकांशतः गैर-ईसाई आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रों में कितने रिहायशी स्कूल खोले गये हैं; और

(घ) क्या शिक्षा की दृष्टि से आदिवासियों के कम उन्नत वर्ग को अधिक शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के हेतु अगली योजना में अधिक धन नियत करने का प्रस्ताव है ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) पिछड़े हुए आदिवासियों को शीघ्रातिशीघ्र शेष समुदाय के स्तर तक लाने के लिए राज्य सरकारें प्रयत्न कर रही हैं। ईसाई तथा गैर-ईसाई आदिवासियों की असमानता दूर होने की निश्चित तारीख बताना सम्भव नहीं है।

(ख) से (घ). अपेक्षित सूचना सम्बन्धित राज्य सरकार से मांगी गई है तथा प्राप्त होते ही वह सभा पटल पर रख दी जायगी।

इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली

3349. **श्री मुहम्मद कोया :** **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार द्वारा इर्विन अस्पताल को अपने नियंत्रण में लिए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या दिल्ली नगर निगम इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार द्वारा इर्विन अस्पताल को अपने नियंत्रण में लिए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, प्रशासन को सुधारने तथा उसके परिणामस्वरूप चिकित्सा सेवा तथा शिक्षा का स्तर ऊँचा

उठाने के उद्देश्य से दिल्ली प्रशासन ने मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता में एक प्रबन्ध बोर्ड बनाया है, जो तीनों सम्बद्ध संस्थाओं, अर्थात् मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, इर्विन अस्पताल और गोविन्द वल्लभ पन्त अस्पताल, के कार्यों में समन्वय करेगा। दिल्ली के महापौर (मेयर) इस बोर्ड के सदस्य हैं।

राज्यों में बिजली में कटौती

3350. **श्री द० ब० राजू** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के कितने राज्यों ने 1965-66 में बिजली तथा पावर की सप्लाई में कटौती की है;

(ख) कितने राज्यों ने कृषि कार्यों के लिए दिये गये पावर कनेक्शनों के लिए पावर में कटौती किये जाने के पश्चात् श्रमी कृषकों से न्यूनतम निर्धारित वार्षिक शुल्क वसूल किया है; और

(ग) पावर में कटौती करने वाले राज्यों में से कितने राज्य वसूल किये गये न्यूनतम वार्षिक शुल्क में कुछ छूट देने का विचार कर रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायगी।

कोलार स्वर्ण क्षेत्रों में श्रमिक

3351. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में कोलार स्वर्ण क्षेत्रों में इस समय कितने श्रमिक काम में लगे हुए हैं;

(ख) छंटनी के कारण अथवा खानों को बन्द कर दिये जाने के कारण गत तीन वर्षों में कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई;

(ग) इस क्षेत्र में छंटनी किये गये श्रमिकों और अन्य फालतू व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए अन्य क्या व्यवस्था की गई है और रोजगार की क्या अन्य सम्भावनाएं पैदा की गई हैं; और

(घ) इस समय काम में लगे श्रमिकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए खानों में कब तक काम चलते रहने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) पहली अगस्त, 1966 को श्रमिकों की संख्या 13,128 थी।

(ख) पहली अगस्त, 1966 से पहले के तीन वर्षों में किसी कर्मचारी की छंटनी नहीं हुई।

(ग) मेसर्स भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड, जो एक सरकारी कम्पनी है, वहां एक कारखाना खोल रही है जिसमें 3,000 श्रमिकों को काम मिल सकेगा। इस कारखाने से, कोलार की सोने की खानों से सेवा-निवृत्त होने वाले या और तरह से जाने वाले श्रमिकों को सहायता मिलेगी।

(घ) खानों में जितना खनिज पाये जाने का प्रमाण मिला है उसके आधार पर अनुमान है कि खानों के अधिकतर विभागों में 10 से 15 वर्ष तक काम चलता रहेगा। और खनिज भण्डारों का पता लगाने के लिए अन्वेषण किया जा रहा है। लेकिन श्रमिकों की संख्या केवल खनिज भण्डारों पर ही निर्भर नहीं रहती, बल्कि उत्पादन के तकनीकों और अन्य सम्बद्ध बातों के आधार पर तय की जाती है।

केरल में बेकार सफाई निरीक्षक

3352. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ सफाई निरीक्षक, जो थावनूर ग्राम्य संस्था (केरल) की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे, अब भी बेकार हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बेकार सफाई निरीक्षक कितने हैं; और

(ग) उन्हें सरकार द्वारा रोजगार न देने के क्या कारण हैं जब कि उनके प्रशिक्षण पर काफी धन खर्च किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग). सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायगी।

Supply of Water to Pakistan

3353. **Shri P. L. Barupal :**
Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the quantity of water in thousand cusecs supplied to Pakistan from the Gang Canal area of Rajasthan this year ;

(b) the quantity of water in thousand cusecs similarly supplied from Bhakra Canal area this year ;

(c) whether it is a fact that on account of the supply of water to Pakistan this year, the quantity of water decreased in Gang Canal and Bhakra Canal and eonsequently substantial portion of crop was ruined in this area for want of irrigation ; and

(d) if so, the reasons for increased supply of water to Pakistan while there was already shortage of water here ?

Minister for Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) and (b). No water is supplied to Pakistan from the Gang Canal or the Bhakra Canal. No water was released in the Sutlej below Ferozepore from April 1, 1966 to June 20, 1966.

(c) No.

(d) Does not arise.

Hindi Officer in Revenue Department

3354. **Shri Y. D. Singh:** **Shri Onkar Lal Berwa:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya: **Shri Kashi Ram Gupta:**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the class and pay scale originally sanctioned for the post of Hindi Officer in the Department of Revenue; and

(b) whether the post has been upgraded and the pay scale has been raised?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri); (a) Class II in the pay scale of Rs. 350-25-500-30-590-EB 30-800-EB-30-830-35-900.

(b) Yes Sir. On the recommendation of the Staff Inspection Unit who assessed the work-load of the Hindi Section in the Department of Revenue and Insurance, the post of the Hindi Officer was upgraded to a Class I post with effect from 1-7-66 in the pay scale of 700-40-1100-50/2-1,250.

Work-Load of Gazetted Officers and Stenographers

3355. **Shri Y. D. Singh:** **Shri Onkar Lal Berwa:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya: **Shri Kashi Ram Gupta:**

Will the Minister for **Finance** be pleased to state:

(a) Whether Government propose to assess the work of Gazetted Officers and Stenographers as was done in the case of other categories of employees; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) and (b) The Staff Inspection Unit of the Ministry of Finance is already engaged on assessing the work load of personnel in the Government of India offices according to a phased programme. These studies cover gazetted officers and Stenographers also, but the top levels of Joint Secretaries and above are not studied as their work is not generally susceptible of measurement in accordance with the usual techniques.

पम्पिग सेटों को बिजली से चलाना

3356. **श्री वृजवासी लाल :** **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **डा० महादेव प्रसाद :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई 1966 तक देश में पम्पिग सेटों के लिए कितनी बिजली की मांग थी;

(ख) उपलब्ध बिजली से कितने पम्पिग सेटों को चलाया जा सकता है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए, राज्य वार धनराशि की मांग और आवंटन का क्या ब्योरा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):(क) से (ग). पम्पों के लिए बिजली की बहुत मांग है । यह आंका गया है कि चालू वर्ष के दौरान ग्राम विद्युतन पर 44.39 करोड़ रुपये के खर्च से लगभग 99,580 पम्पों/नलकूपों को ऊर्जित किया जा सकता है । राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों का विचार है कि यदि अतिरिक्त धन उपलब्ध हो जाय तो 61,000 और पम्पों/नलकूपों को ऊर्जित किया जा सकता है ।

साधारणत: यह कहा जा सकता है कि उपलब्ध बिजली देश में कृषि कार्यों के लिए पम्पों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी है । बिजली का अभाव पम्पों को ऊर्जित करने के लिए बाधक नहीं है । मुख्य बाधक देश में पारेषण और वितरण पथों के आवश्यक तार जाल का अभाव है । परन्तु तीसरी योजना के अन्तिम दो वर्षों के दौरान सिंचाई पम्पों और नलकूपों को विशेष रूप से ऊर्जित करने के लिए राज्यों की योजना के लिए निर्धारित धनराशियों के अलावा 11·21 करोड़ रुपयों का प्रबन्ध किया गया था । राज्य अधिकारियों को यह भी सलाह दी गई है कि वे चौथी योजना के दौरान कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्राम विद्युतन स्कीमें इस प्रकार से बनायें जिससे ग्रामों के एक समूह में स्थित पम्पों के समूहों के समूह यथा सम्भव ऊर्जित किये जा सकें । 1966-67 के दौरान ग्राम विद्युतन कार्यक्रम से सम्बद्ध नियत की गई केन्द्रीय सहायता नीचे बताई जाती है । वार्षिक योजना में इस उद्देश्य के लिए मांगी गई रकमें भी एक अलग कालम में बताई गई हैं ।

	मांग	नियत की गई धनराशियां (लाख रुपये)
1. आन्ध्र प्रदेश	300.00	300.00
2. असम	100.00	90.00
3. बिहार	275.00	275.00
4. गुजरात	270.00	270.00
5. जम्मू और काशमीर	50.00	59.20
6. केरल	60.00	60.00
7. मद्रास	600.00	600.00
8. महाराष्ट्र	750.00	247.13
9. मैसूर	300.00	300.00
10. उड़ीसा	120.00	110.00
11. पंजाब	300.00	297.00
12. उत्तर प्रदेश	900.00	900.00
13. पश्चिमी बंगाल	100.00	100.00
14. राजस्थान	250.00	250.00
15. मध्य प्रदेश	106.52	75.00
	4481.52	3933.33

पंचायतों के हरिजन सदस्य

3357. **श्री प० कुन्हन :** क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वर्ष 1963-64 के प्रतिवेदन की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि कुछ पंचायतों के हरिजन सदस्यों को बैठकों में बैठने नहीं दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस भेद-भाव-पूर्ण व्यवहार को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) तथा (ख). अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के निष्कर्ष राज्य सरकारों तथा सामुदायिक विकास विभाग को सूचित कर दिये गये हैं ताकि वे उपचारी उपाय कर सकें ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए शिक्षा सुविधाएं

3358. **श्री प० कुन्हन :** क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए शिक्षा सुविधाओं के हेतु कितनी राशि नियत की गई थी;

(ख) इस पर वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) क्या खर्च नियत की गई राशि से कम हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जहां कम खर्च हुआ है ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :

(रुपये लाख की राशियों में)

(क)	अनुसूचित जातियां	1535.72
	अनुसूचित आदिम जातियां	1303.16
(ख)	अनुसूचित जातियां	1672.28*
	अनुसूचित आदिम जातियां	1160.90*
		* प्रत्याशित खर्च
(ग)	अनुसूचित जातियाँ	जी, नहीं ।
	अनुसूचित आदिम जातियां	जी, हां ।

(घ) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मनिपुर, त्रिपुरा तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप ।

ऊपर दी गई सूचना केवल पिछड़े वर्गों के राज्य क्षेत्र के बारे में है। जहां तक केन्द्रीय क्षेत्र का सम्बन्ध है, वहां तक मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियों के तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए लड़कियों के होस्टलों के वास्ते नियतन किये गये थे। मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में समाज-कल्याण विभाग वह सभी खर्च उठाने के लिए वचनबद्ध है, जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिये गये नियत अनुदानों के तथा राज्य सरकारों द्वारा 1958-59 के स्तर पर उठाये जाने वाले खर्च के हिस्से के अतिरिक्त हो। इस बात को देखते हुए जहां तक इस योजना का सम्बन्ध है, वहां तक कम खर्च का प्रश्न नहीं उठेगा। तृतीय योजना की कालावधि में इस योजना पर नीचे दिया गया खर्च किये जाने की सम्भावना है :—

अनुसूचित जातियां	766.50 लाख रुपये
अनुसूचित आदिम जातियां	125.38 लाख रुपये

लड़कियों के होस्टलों के सम्बन्ध में राज्यवार नियतन नहीं किये गये थे और इसलिए कम खर्च का प्रश्न नहीं उठता। इस योजना के लिए निम्नलिखित राशियां मंजूर की गईं थीं और तृतीय पंचवर्षीय योजना की कालावधि में उनका खर्च किये जाने की सम्भावना है :—

अनुसूचित जातियां	4.51 लाख रुपये
अनुसूचित आदिम जातियां	9.54 लाख रुपये

Recovery of Imported Goods

3359. **Y. D. Singh:** **Shri Bade:**
Dr. L. M. Singhvi: **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Kashi Ram Gupta: **Shri P. C. Borooah:**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is fact that imported goods worth Rs. 4 lakhs were recovered recently from the store of a company in Nagapatinam, Madras;

(b) if so, the number of persons arrested in this connection; and

(c) the particulars of foreign currency included in these goods?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) No Sir.

(b) and (c). Does not arise.

मेहतर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए होस्टल

3360. **श्री मोहन नायक :** क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में मेहतर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विशेष होस्टल स्थापित करने के लिए राज्यों को अनुदान दिये थे;

(ख) यदि हां, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रत्येक राज्य में उक्त होस्टलों के लिए कितनी राशि मंजूर की गई थी; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए उड़ीसा सरकार ने कितनी राशि खर्च की ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

उड़ीसा में अनसूचित जातियों के छात्रों को मैट्रिक के बाद की शिक्षा के लिये छात्रवृत्तियां

3361. **श्री मोहन नायक** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में उड़ीसा राज्य में अनुसूचित जातियों के छात्रों को मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्तियां देने के लिए कितनी राशि मंजूर की गई;

(ख) इस अवधि में उड़ीसा राज्य में अनुसूचित जातियों के कितने छात्रों को उक्त छात्र-वृत्तियां दी गई हैं; और

(ग) इस बारे में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और कितने अस्वीकार किये गये ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है–

(क) वर्ष 1965-66 में अनुसूचित जातियों के छात्रों को मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियां देने के लिए उड़ीसा सरकार ने अनन्तिम रूप से 3.30 लाख रुपये दिये हैं । शिक्षा मंत्रालय द्वारा उस वर्ष के दौरान दिये गये 0.78 लाख रुपये की नियत अनुदान से तथा राज्य सरकार द्वारा 1958-59 में इस योजना पर किये गये खर्च के बराबर उसके अपने हिस्से के खर्च से यह अलग है ।

(ख) तथा (ग).

प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की संख्या		अस्वीकार किये गये आवेदन-पत्रों की संख्या		मंजूर की गई छात्र-वृत्तियों की संख्या	
नवीकरण	नये	नवीकरण	नये	नवीकरण	नये
213	433	15	90	198	343

मेहतरों के लिए बस्तियां

3362. **श्री मोहन नायक** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली, दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधियों में मेहतरों के लिए

बस्तियां बनाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को कितनी धनराशि मंजूर की थी;

(ख) उक्त प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई और योजना अवधियों के पश्चात् कितनी राशि व्यपगत हुई; और

(ग) वे कौन-कौन से राज्य हैं जिन्होंने अनुदानों की पूरी-पूरी राशि का उपयोग किया ?

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) से (ग). प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भंगियों के लिए बस्तियां बनाने के वास्ते कोई विशिष्ट विनिधान नहीं किया गया था। इसलिए इन दो योजनाओं के दौरान इस स्कीम पर वास्तविक रूप से खर्च की गई राशि तथा कमी की मात्रा ठीक-ठीक आंकना सम्भव नहीं है।

भंगियों तथा मेहतरों को मकानों के लिए उपदान की तथा अनुसूचित जातियों के उन लोगों को, जो (क) गन्दे व्यवसायों में लगे हैं अथवा (ख) भूमिहीन मजदूर हैं, मकानों के लिए जमीनों की व्यवस्था करने की योजना के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में केवल 299.00 लाख रुपये की मिली जुली व्यवस्था की गई थी। इस योजना के लिए किया गया विनिधान तथा खर्च दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**-6919/66]

"अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन

3363. **श्री जेधे** : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के अन्तर्गत राजपथ के दोनों ओर के मैदानों का सब्जियां तथा खाद्यान्न पैदा करने के लिए प्रयोग किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन मैदानों का सब्जियां अथवा खाद्यान्न पैदा करने के लिए उपयोग करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) से (ग). मैदान के कुछ भाग खाद्यान्न तथा सब्जियां अधिक उपजाने के लिए जोते गये थे। परिणाम उत्साहवर्धक नहीं पाया गया क्योंकि उत्पादन की लागत अधिक थी।

कुष्ठ रोग

3364. **श्री कन्डप्पन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों में मद्रास राज्य में कुष्ठ रोग का प्रकोप बढ़ा है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस रोग को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) इस निष्कर्ष का कोई आधार नहीं है कि मद्रास राज्य में कुष्ठ का प्रकोप बढ़ रहा है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 1955 में देशभर में चलाये गये राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मद्रास राज्य में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 21 कुष्ठ नियन्त्रण एकक और 81 सर्वेक्षण शिक्षा एवं उपचार केन्द्र खोले जा चुके हैं । इनके अतिरिक्त पांच स्वयंसेवी एजेन्सियां कुष्ठ के क्षेत्र में काम कर रही है और निम्नलिखित संस्थायें भी कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम में भाग ले रही हैं:—

1. वेलजियम लेप्रसी मिशन, पोलाम्बकम् ।
2. केन्द्रीय कुष्ठ अध्यापन एवं अनुसंधान संस्थान्, चिंगलपट ।
3. सेक्रेड हार्ट हास्पिटल, कुम्बकोणम् ।
4. कण्ट्रोल सेण्टर, वाण्डीवाश ।
5. सेण्ट एण्टनी सेण्टर, टिण्डीवनम् ।

वहां 26 अन्तरंग रोगी संस्थायें हैं जहां रोगियों को अस्थायी रूप से अस्पताली सुविधायें दी जाती हैं तथा 127 ग्राम एवं नगर कुष्ठ क्लीनिक हैं जहां बहिरंग रोगियों का उपचार किया जाता है । तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक 39 लाख व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया तथा 1,65,050 रोगी रिकार्ड किये गये ।

कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम को चौथी पंचवर्षीय योजना में तीव्र किया जायेगा । इस राज्य में डी० डी० एस० रोगरोधन कार्यक्रम भी चलाया जायेगा । दस वर्ष तक की आयु के बच्चों का रोगरोधी उपचार किया जायगा ताकि भविष्य के लिये वे सुरक्षित हो जायें ।

उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता

3365. **श्री मुहम्मद कोया :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बृजवासी लाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को सरकारी कर्मचारियों के हाल में बढ़ाये गये मंहगाई भत्ते की मांग को पूरा करने के लिए कोई सहायता दी है;

(ख) क्या सभी राज्यों को ऐसी सहायता दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल राज्य में पजहासी परियोजना

3366. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में पजहासी परियोजना को किसी अन्य परियोजना से बहुत पहले मंजूरी दी गई थी लेकिन उसके लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में केवल एक लाख रुपया ही आवंटित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कुल कितना धन व्यय होने का अनुमान है; और

(ग) इस परियोजना को प्राथमिकता न देने के क्या कारण हैं जब कि यह काफी पिछड़े हुए क्षेत्र में है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) वर्ष 1966-67 के लिए एक लाख रुपये आवंटित किये गये हैं और चौथी योजना के बाकी वर्षों के लिए नियतन अभी तय नहीं किया गया है ।

(ख) परियोजना की कुल अनुमानित लागत 442.40 लाख रुपये है ।

(ग) ऐसी परियोजनाओं को, जो निर्माण के काफी आगे के चरण में हैं तथा जिनसे वार्षिक लाभ होंगे, प्राथमिकता दी गई हैं । पजहासी परियोजना का निर्माण-कार्य प्रारम्भिक अवस्था में है ।

नागार्जुन सागर बांध

3367. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागार्जुन सागर बांध में पानी छोड़ने के लिए लगाये गये दो दरवाजों को नीचे नहीं किया गया जब कि इनको जलाशय में पानी का स्तर नहर से ऊपर आ जाने पर बन्द किया जाना था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जब पानी का स्तर ई० एल० 412 से ऊपर चढ़ा, नागार्जुना सागर में अस्थायी व्यपवर्तन सुरंग के दो दरवाजों को नीचे नहीं किया गया ।

(ख) इसके कारणों की जांच की जा रही है ।

निःसंवर्ग पद (ऐक्स केडर पोस्ट) पर प्रतिनियुक्ति भत्ता

3369. **डा० चन्द्रभान सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समान वेतनक्रमों में निःसंवर्ग पदों पर काम कर रहे उन व्यक्तियों के लिए जिनका कार्यकाल अब अथवा अधिक से अधिक छः महीने के भीतर समाप्त हो रहा है, प्रतिनियुक्ति भत्ता तत्काल बन्द किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे कोई खास मितव्ययता होगी और यदि हां, तो कितनी;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे व्यक्तियों के अपने पूर्व पदों पर वापस लौट आने पर काम अस्त-व्यस्त हो जायगा और उसके परिणामस्वरूप इस प्रकार की गई मितव्ययता से कहीं अधिक अकार्यकुशलता बढ़ जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) समतुल्य या समान वेतन-मान वाले संवर्ग-वाह्य पदों में प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं देने का फैसला, वर्तमान प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति का कार्य-काल बढ़ाने अथवा उनकी फिरसे प्रतिनियुक्ति करने पर लागू होगा ।

(ख) इस समय यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि खर्च में कितनी कमी हो सकेगी ।

(ग) और (घ). प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को उनके वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति पर ही वापस भेजा जायगा, इसलिए काम के अस्त-व्यस्त होने का प्रश्न नहीं उठता ।

योजना आयोग में अनुसंधान अधिकारी

3370. **श्री किशन पटनायक** :
श्री रामसेवक यादव :
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना परियोजनाओं सम्बन्धी समिति के इनवैस्टिगेटरों तथा अनुसन्धान अधिकारियों का संवर्ग योजना आयोग की समिति के इनवेस्टिगैटरों तथा अनुसंधान अधिकारियों के संवर्ग के समान है और क्या उनकी पारस्परिक वरिष्ठता और पारस्परिक स्थानान्तरण की व्यवस्था है;

(ख) क्या दोनों के भर्ती सम्बन्धी तथा पदोन्नति की प्रक्रिया एक ही है;

(ग) यदि नहीं, तो योजना आयोग का नाम योजना परियोजनाओं सम्बन्धी समिति के साथ सम्बद्ध करने के क्या कारण हैं; और

(घ) योजना आयोग के नाम से योजना परियोजनाओं सम्बन्धी समिति के पदों का विज्ञापन दिये जाने तथा योजना आयोग के सचिव द्वारा अधिकारियों के नियुक्ति-पत्र जारी किये जाने के क्या कारण हैं ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख). योजना कार्य समिति के अनुसंधान अधिकारियों और अन्वेषकों का वेतनमान वही है जो कि योजना आयोग में है। नई भर्ती के नियम और पदोन्नति की प्रक्रिया भी समान है। परन्तु समिति द्वारा गठित दलों को, अध्ययन के लिए चुने गये विषय और क्षेत्र के अनुसार विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। अतः अध्ययन दलों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योजना कार्य समिति को अलग से नई भर्ती करनी पड़ती है। इसके अलावा अध्ययन दलों द्वारा जो अध्ययन किये जाते हैं वे थोड़े समय के लिए होते हैं। इन दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो वरिष्ठता सूचियां तैयार की जाती हैं वे योजना आयोग से भिन्न हैं।

(ग) और (घ). योजना कार्य समिति का सचिवालय योजना आयोग में स्थित है। रोजमर्रा जो कार्य किया जा रहा है उसके लिये यह योजना आयोग के एक सदस्य के अधीन कार्य कर रहा है। महत्वपूर्ण मामले उपाध्यक्ष योजना आयोग तथा अध्यक्ष योजना कार्य समिति को प्रस्तुत किये जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सारी समिति के सामने प्रस्तुत किया जाता है। केन्द्रीय असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अन्तर्गत, योजना कार्य समिति में कुछ वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में सचिव, योजना आयोग, नियुक्ति प्राधिकारी हैं और नियुक्ति के आदेश उन्हीं के नाम से जारी किये जाते हैं।

योजना परियोजनाओं सम्बन्धी समिति

3371. **श्री किशन पटनायक :** **श्री राम सेवक यादव :**
श्री मधु लिमये : **डा० राम मनोहर लोहिया :**

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना परियोजनाओं सम्बन्धी समिति द्वारा समय-समय पर नियुक्त किये गये दलों द्वारा तैयार किये गये प्रतिवेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या योजना परियोजनाओं सम्बन्धी समिति में अथवा योजना आयोग में इन दलों द्वारा अपने प्रतिवेदनों में की गई उत्तरदायी कोई नियमित एकक है; और

(ग) यदि नहीं, तो योजना आयोग यह कैसे सुनिश्चित करता है कि सम्बन्धित मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों द्वारा इन दलों की सिफारिशें क्रियान्वित की जा रही हैं ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) से (ग). राष्ट्रीय विकास परिषद् की समिति के रूप में 1956 में योजना कार्य समिति का गठन किया गया था। तबसे समिति द्वारा गठित अध्ययन दलों ने, कई महत्वपूर्ण विषयों की जांच की है। प्रत्येक प्रतिवेदन में दिये गये प्रस्तावों को, योजना कार्य समिति का सचिवालय सम्बन्धित मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के ध्यान में लाता है। सम्बन्धित मंत्रालय, अध्ययन दल के प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई करते हैं और योजना आयोग के सम्बन्धित प्रभाग मंत्रालयों से सम्पर्क रखते हैं। जब प्रत्येक प्रतिवेदन तैयार हो जाता है तो अन्वेषित विषय के अनुसार, इस बात पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है कि सिफारिशों का सबसे अच्छा अनुसरण किस प्रकार किया जा सकता है।

मद्रास में रामानदी और गडाना जलाशय योजनाएं

3373. **श्री म० प० स्वामी :** क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास सरकार ने योजना आयोग को बताया है कि तिरुनेलवेली जिले में रामानदी और गडाना जलाशय योजनाएं आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के विकास में क्या-क्या सहायता कर सकती हैं;

(ख) इन योजनाओं पर अनुमानतः कितना व्यय होगा; और

(ग) क्या योजना आयोग ने इन योजनाओं को तकनीकी स्वीकृति दे दी है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) मद्रास सरकार ने रामानदी और गडाना जलाशय योजनाओं के विषय में प्रोफार्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं।

(ख) रामानदी और गडाना जलाशय योजनाओं की अनुमानित लागत क्रमशः 87 लाख और 158 लाख है।

(ग) योजना आयोग ने मार्च, 1966 में रामानदी परियोजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी थी, और राज्य सरकार को इस बात की सूचना दे दी गई थी।

गडाना जलाशय की योजना विचाराधीन है।

नेपाल को भारत से निर्यात किया गया माल

3374. **श्री फ० गो० सेन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से निर्यात किये गये माल पर नेपाल को इस वर्ष केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की कितनी रकम भारत से वापस की जायेगी; और

(ख) गत वर्ष नेपाल को इस बारे में कितनी रकम प्राप्त हुई ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख). अनुमान है कि भारत से नेपाल को निर्यात किये जाने वाले उत्पादन शुल्क लगने योग्य सामानों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की वापसी के रूप में नेपाल सरकार को वर्ष 1966-67 में लगभग 230 लाख रुपये मिलेंगे।

इस सम्बन्ध में 1965-66 के वर्ष में दी गई वास्तविक रकम 246.6 लाख रुपये थी।

बारी से पहले सरकारी फ्लैटों का दिया जाना

3375. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुपात्र व्यक्तियों को असाधारण परिस्थितियों में बारी से पहले सरकारी क्वार्टर एलाट किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान उन्होंने ऐसी कितनी एलाटमेंन्ट की हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) बगैर पारी के आवंटन (i) उन सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को जोकि मर गये हैं, अथवा सेवा से निवृत्त हो गये हैं, तथा (ii) सरकारी कार्य करने के हित में, मंत्रियों के एक अथवा दो निजी स्टाफ को नियमों के अंतर्गत किया जाता है । यह विशेष रूप से कठिन मामलों में भी किया जाता है ।

(ख) मर गये अथवा सेवा निवृत्त हो गये 129 सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को, 11 मंत्रियों आदि के निजी स्टाफ को तथा 31 अन्य पात्र व्यक्तियों को । इस अवधि के दौरान किये गये आवंटनों की कुल संख्या 14100 से ऊपर है ।

(ग) प्रत्येक मामले की विषयानुसार नियमों तथा आदेशों के आधार पर जांच की जाती है ।

प्रकाशन प्रबन्धक, दिल्ली

3376. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रकाशन प्रबन्धक, दिल्ली के विरुद्ध भ्रष्टाचार, सरकारी सम्पत्ति तथा धन के दुरुपयोग, पक्षपात आदि की गई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) कुछ शिकायतों की तफतीश की जा चुकी है और बाकियों की अभी तफतीश की जा रही है ।

(ग) तफतीश किये गये कतिपय आरोपों के संबंध में संबंधित अपराधी को आरोप-पत्र (चार्ज शीट) दिया जा रहा है ।

प्रकाशन प्रबन्धक, दिल्ली

3377. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के प्रकाशन प्रबन्धक को, चिकित्सा बोर्ड ने सरकारी सेवा के लिए शारीरिक दृष्टि से अयोग्य घोषित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर तथा किस तिथि को; और

(ग) उसके सरकारी सेवा में बने रहने का क्या कारण है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) जी हां।

(ख) 24 मार्च, 1966 को, इस आधार पर कि संबंधित अधिकारी समुचित रूप से स्वस्थ नहीं है तथा उसके द्वारा की जाने वाली ड्यूटी के लिए उसमें शारीरिक क्षमता तथा बौद्धिक चेतना का अभाव है।

(ग) मेडिकल बोर्ड के द्वारा दिया गया मेडिकल सर्टीफिकेट लागू नियमों के अनुसार निर्धारित फार्म पर नहीं था। अधिकारी 21 जुलाई, 1966 से छुट्टी पर चला गया है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इंजीनियर

3378. **श्री युद्धवीर सिंह :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियरों, एक्जिक्यूटिव इंजीनियरों तथा सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियरों (सीधे भर्ती किये गये और विभागीय उम्मीदवार) की भर्ती, स्थायीकरण तथा पदोन्नति के सम्बन्ध में क्या नियम हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-6920/66]

उड़ीसा के भूमिहीन आदिम जातीय लोगों के लिए मकान और भूमि के नियतन के बारे में सर्वेक्षण

3380. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा राज्य के भूमिहीन आदिम जातीय लोगों के लिए भूमि के नियतन तथा मकानों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा राज्य के भूमिहीन आदिम जातीय लोगों को मकानों के लिए भूमि तथा जमीन देने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में अस्थायी रूप से कोई राशि नियत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में गावों में बिजली लगाना

3381. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने 1966-67 में राज्य के गांवों में बिजली लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अधिक धन मंजूर करने की प्रार्थना की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी, नहीं। उड़ीसा सरकार ने अपने वार्षिक योजना प्रस्तावों में 1966-67 के लिए ग्राम विद्युतनार्थ 120 लाख रुपये के खर्च का प्रस्ताव रखा था। इसके प्रति 1966-67 के लिए उड़ीसा राज्य की योजना की जांच करने के लिए स्थापित किये गये बिजली सम्बन्धी कार्यकारी दल ने 110 लाख रुपये के खर्चे का सुझाव दिया जो कि स्वीकार कर लिया गया हुआ है और यह राशि राज्य सरकार को आवंटित कर दी गई है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में वास्तुकला विज्ञों (आर्किटैक्ट्स) के सेवा-काल का बढ़ाया जाना

3382. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में वरिष्ठ वास्तुकला विज्ञों, वास्तुकला विज्ञों

तथा सहायक वास्तुकला विज्ञों की सेवा की अवधि में वृद्धि की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उनके पद-नाम क्या हैं उनकी संख्या कितनी है और उन्हें कितनी अवधि के लिए सेवा में वृद्धि की गई है और उसके कारण क्या हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कोई वरिष्ठ वास्तुकला विज्ञ तथा सहायक वास्तुकला विज्ञ नहीं है जिसकी कि सेवा की अवधि में वृद्धि की गई हो। तथापि, एक वास्तुकला विज्ञ है जिसकी सेवा की अवधि में वृद्धि की गई है।

(ख) 700-1250 के वेतनमान में एक वास्तुकला विज्ञ जिसकी कि आयु 9 नवम्बर, 1961 को 55 वर्ष की हो गयी थी, समय-समय पर 8 नवम्बर, 1966 तक सेवा की अवधि में वृद्धि की गई है। विभाग में अनुभवी वास्तुकला विज्ञों की कमी के कारण सेवा की अवधि में वृद्धि की गई है।

म्युनिसिपल स्टेडियम, कालीकट

3383. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को कालीकट नगर निगम से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें म्युनिसिपल स्टेडियम को पूरा करने के लिए अधिक सहायता की प्रार्थना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख). केरल सरकार से आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और मिलते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

विशाखापतनम् में समुद्र से भूमि का कटाव

3384. **श्री मि० सू० मूर्ति**: क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब प्रधानमंत्री विशाखापतनम् गईं तो उन्हें इस आशय का एक अभ्यावेदन दिया गया था कि विशाखापतनम् नगर की भूमि समुद्र से कट रही है;

(ख) क्या इस कार्य के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने तकनीकी तथा वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में कोई अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जब प्रधान मंत्री जी ने गत जून में विशाखापतनम् शहर का दौरा किया था तो वहां की समुद्र-कटाव समस्या उनके ध्यान में लाई गई थी।

(ख) राज्य सरकार ने परिवहन तथा विमानन मंत्रालय से प्रार्थना की है कि चूंकि शहर की समुद्र-कटाव समस्या मुख्यतः पत्तन सम्बन्धी क्रियाओं के कारण बनी हुई है इसलिए पत्तन अधिकारियों अथवा केन्द्रीय सरकार को सुरक्षात्मक उपायों का खर्च देना चाहिए। अमरीकी विशेषज्ञ डा० जार्ज एम० वाट्स ने 1964 में इस क्षेत्र का निरीक्षण किया था। उनकी सिफारिशों के आधार पर सुरक्षा कार्य की एक स्कीम पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

(ग) इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सहायतार्थ राज्य सरकार की प्रार्थना पर विचार हो रहा है। राज्य सरकार जो भी तकनीकी सहायता मांगती है, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग उनको दे रहा है। राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि सुरक्षात्मक कार्यों को आरम्भ करने के लिए तात्कालिक कार्यवाही करे।

अनुवंरीकरण (वैसेक्टोमी) के मामले

3385. **श्री हेमराज :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) देश में जुलाई, 1966 के अन्त तक कितने व्यक्तियों का अनुवंरीकरण किया गया;

(ख) पंजाब में इस कार्य के लिए कितने शिविर लगाये गये; और

(ग) प्रत्येक शिविर में कितने डाक्टर काम करते हैं और प्रत्येक शिविर पर कितना व्यय हुआ है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और तैयार होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पंजाब में लूप शिविर

3386. **श्री हेमराज :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) पंजाब में 1965 में तथा जुलाई, 1966 के अन्त तक कितने लूप शिविर स्थापित किये गये;

(ख) वहां उक्त अवधि में कितने लूप लगाये गये;

(ग) प्रत्येक शिविर में कितनी लेडी डाक्टर काम करती हैं और इस काम के लिए उन्हें कितना पारिश्रमिक दिया जाता है; और

(घ) ये लेडी डाक्टर अस्पतालों में अपने दैनिक कार्य से कितनी देर के लिए अनुपस्थित रहती हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर):(क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

नदी के जल की हानि के लिए पाकिस्तान द्वारा प्रतिकर की मांग

3387. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने नदी के जल को उस तथा कथित हानि के लिए प्रतिकर की मांग की है जो उसे सितम्बर, 1965 में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान उठानी पड़ी थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गृह-कार्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में (प्रश्न)
Re. QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (Query)

श्री अ० क० गोपालन (केसरगोड) : 12 अगस्त, 1966 को मैंने गृह-कार्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी थी.....

अध्यक्ष महोदय : मैंने गृह-कार्य मंत्री के साथ बातचीत करने का वचन दिया था । उनके साथ विचार विमर्श के बाद मैं इस सम्बन्ध में बता दूंगा ।

विशेषाधिकार-भंग के प्रश्न के बारे में
Re. QUESTION OF BREACH OF PRIVILEGE

अध्यक्ष महोदय : कल जब मैंने विशेषाधिकार के प्रस्ताव के बारे में अपना निर्णय दिया था तब श्री मधु लिमये ने कहा था कि जब तक आप कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे, इस सभा की शोभा और शान नहीं बढ़ सकती ।

इसका अर्थ यह है कि क्योंकि मैं कांग्रेस दल का सदस्य हूं,.....यद्यपि वास्तव में मैं उसका सदस्य नहीं हूं ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : You told us in a committee that you were a Member of the Congress. If not, I withdraw those words.....(**Interruptions**)

Mr. Speaker. For the present, it is besides the point, whether I am a member of the Congress or not. The question is that whatever Shri Madhu Limaye said means that I cannot be impartial so long as I am a member of the Congress and that my decision in not impartial.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : नियम 222 के अधीन कोई मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपने के लिए किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव किया जाना चाहिये, कल ऐसा नहीं किया गया था ।

स्पष्ट रूप से आपने कल नियम 227 के अधीन कार्यवाही की है । नियम 227 के अधीन अध्यक्ष किसी भी विशेषाधिकार के मामले को समिति को सौंप सकता है । परन्तु सभा में विशेषाधिकार का प्रश्न तब तक नहीं उठाया जा सकता जब तक कि कुछ शर्तें पूरी न की जायें और उसके बाद ही अध्यक्ष वह मामला समिति को सौंप सकता है । वे शर्तें नियम 222, 223 तथा 224 में दी गई हैं । शर्तें यह हैं कि जो सदस्य विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहते हैं, उसे उस दस्तावेज के साथ लिखित रूप में देना चाहिये जिस पर वह मामला आधारित है । यह विषय सभा के सामने केवल तभी जा सकता है जब वे शर्तें पूरी हो जायें । नियम 227 अन्य नियमों से पृथक नहीं रखा जा सकता । जब तक कि इन शर्तों को पूरा करते हुए सभा के समक्ष प्रस्ताव पेश नहीं किया जाता, तब तक अध्यक्ष महोदय यह मामला अपने आप समिति को निर्दिष्ट नहीं कर सकते ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : नियम 227 के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय को अधिकार है कि वह कोई भी मामला विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर सकते हैं । परन्तु नियम 223 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी मामला उठाया जाये, वह दस्तावेज पर आधारित होना चाहिये और यह दस्तावेज सूचना के साथ संलग्न की जानी चाहिये । इस मामले में कल कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं थी । वह केवल शीघ्रलिपि में रिपोर्टर के पास थी । इसलिए, यह मामला कल समिति को निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता था । इसके अतिरिक्त नियम 224 के अधीन एक समय केवल एक ही मामला उठाया जा सकता है । कल पहले से ही सभा के समक्ष एक मामला प्रस्तुत था । अतः दूसरा मामला नहीं उठाया जा सकता था ।

श्री दे० द० पुरी (कैथल) : एक ओर नियम 222 तथा 223 में और दूसरी ओर नियम 227 में बहुत स्पष्ट अन्तर है । नियम 222 और 223 सदस्यों पर लागू होते हैं । जब कोई सदस्य विशेषाधिकार का मामला उठाना चाहता है तो उसे उन नियमों के अधीन कुछ औपचारिकताओं का पालन करना होता है । परन्तु नियम 227 के अधीन अध्यक्ष को यह निरंकुश शक्ति प्राप्त है कि वह अन्य नियमों के होते हुए भी विशेषाधिकार का कोई मामला समिति को सौंप सकते हैं । नियम 227 का नियम 222 और 223 से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं श्री दे० द० पुरी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि सभा के साधारण सदस्यों तथा अध्यक्ष में कुछ अन्तर होना चाहिये। यह मामला अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति को निर्दिष्ट किया जाना बिलकुल उचित है । इसके अतिरिक्त, देश में इस प्रकार की कोई प्रथा नहीं है कि अध्यक्ष को बिना विरोध के चुना जाये । मेरा बिचार यह है कि अध्यक्ष महोदय किसी दल में शामिल नहीं रहते ।

Shri Maurya (Aligarh) : Apart from the rules, even if we admit that the Speaker can, **suo motu,** send any matter to the Privileges Committee, it does not look proper in view of the importance of the office of the speaker that he should refer a matter pertaining to himself to the Committee.

श्री शिव मूर्ति स्वामी (कोप्पल) : यह मान लेते हुए कि आपको अधिकार है कि कोई मामला विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करें, मेरा आपसे निवेदन है कि आप श्री मधुलिमये के इन शब्दों पर विचार करें कि चूंकि उनकी यह धारणा थी कि अध्यक्ष महोदय कांग्रेस दल के सदस्य हैं, इसलिए, उन्होंने यह टिप्पणी की है, और अब चूंकि यह बात ठीक नहीं है, इसलिए वह अपने शब्द वापस ले रहे हैं। इसलिए, इस मामले को आगे बढ़ाने का कोई कारण नहीं है।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : मेरे विचार में इस सम्बन्ध में तीन प्रश्न उठते हैं ? पहला, क्या अध्यक्ष महोदय स्वयं किसी मामले को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर सकते हैं; दूसरे, क्या वह वर्तमान मामला समिति को निर्दिष्ट कर सकते हैं और क्या मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह मामला समिति को सौंपा जाय अथवा नहीं। ऐसा मालूम होता है कि नियम 227 के अधीन अध्यक्ष महोदय स्वयं समिति को मामला निर्दिष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा, अध्यक्ष से सम्बन्धित विशेषाधिकार का प्रत्येक मामला वह समिति को सौंप सकते हैं। परन्तु इस मामले को देखते हुए और श्री मधु लिमये ने जो कुछ कहा है, उस पर विशेष रूप से ध्यान रखते हुए, यह अधिक अच्छा होगा कि यह मामला समाप्त कर दिया जाये।

श्री सिंहासन सिंह : क्या विशेषाधिकार समिति का कोई सदस्य इस मामले पर अपने विचार पहले से ही व्यक्त कर सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : समिति के किसी सदस्य को अपना मत पहले ही नहीं प्रकट करना चाहिये। श्री कपूर सिंह इस बारे में विचार प्रकट नहीं कर रहे हैं कि यह विशेषाधिकार का मामला है अथवा नहीं।

श्री वासुदेवन नायर : (अम्बलपुजा) : मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बात पर विचार करें कि सामान्य नियमों का प्रयोग किया जाये। यदि ऐसे अपवाद के नियमों को उपयोग में लाया जाना है तो असाधारण स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिये। ऐसी धारणा हो गई है कि संसदीय लोकतंत्र के स्वरूप के विकास के लिए यह आवश्यक हो गया है कि अध्यक्ष महोदय राजनीतिक दलों से पृथक रहें। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह बात स्पष्ट किये जाने पर, कि वह कांग्रेस दल के सदस्य नहीं हैं, श्री मधु लिमये ने अपने शब्द वापिस ले लिए हैं, इसलिए यह मामला स्पष्ट किया जाना चाहिये।

श्री त्यागी (देहरादून) : यहाँ तथा विश्व के पुराने प्रजातन्त्रीय देशों में, विशेष रूप से इंग्लैंड में, यह पुरानी प्रथा है कि कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनने के बाद अपने दल का सक्रिय सदस्य नहीं रहता। यह बात सभी को विदित है कि अध्यक्ष महोदय लोकतन्त्रीय प्रथाओं को देखते हुए कांग्रेस दल की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है।

जहां तक प्रक्रिया का सम्बन्ध है अध्यक्ष का निर्णय स्वीकार किया जाना चाहिये और उसका पालन किया जाना चाहिये। सभा को न्यायालय नहीं बनाना चाहिये जहाँ विवाद होता है और निर्णय सुनाया जाता है। सदस्यों को यह बताने का अधिकार नहीं है कि निर्णय क्या हो, अपितु अध्यक्ष ने अपने स्वविवेक से निर्णय देना है।

Shri Bagri : (Hissar): Whatever Shri Madhu Limaye said, should be considered in the light of circumstances and the situation that will have effect on the public. If the Hon. Speaker is a member of any party, it will producc effect as such a situation should produce effect on the public. From that point of view, whatever has been said by Shri Madhu Limaye, does not constitute a breach of privilege.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) **:** Mr. Speaker, Sir, as you know, I have been endeavouring for the reform of parliamentary practice from my own angle. This matter was once raised in a committee meeting and you were pleased to say that you were a member of the Congress Party but you did not take part in its proceedings. You also said that machinery would work for you during the elections. I, then said that I was prepared to work for you during the election alongwith other members of the opposition. We still hold the same view.

I had written a letter to the Hon. Speaker on 16th August, requesting him to set a new example by resigning from the Congress. If he had replied to my letter before yesterday, I would not have said those words.

This whole matter should be considered for the point of a matter of principle. We are following the conventions of the House of Commons and we should adopt their democratic traditions. The Speaker there is a non-party man. If the Speaker belongs to a party, it has some definite repercussions and it does not have good effect. When I said those words I was not doubting your bonafides but I was saying so being inspired by the democratic traditions.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : नियम 227 में यह शब्द शामिल हैं "इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी" जिसका अर्थ यह है कि अध्यक्ष महोदय प्रक्रिया आदि का पालन न करते हुए "कोई प्रश्न निर्दिष्ट कर सकते हैं"। इसका अर्थ यह है कि प्रश्न पहले होना चाहिये, तभी उसे निर्दिष्ट किया जा सकता है। इस मामले के सम्बन्ध में सभा के समक्ष कोई प्रश्न नहीं रखा गया है। अध्यक्ष महोदय कोई मामला स्वयं समिति को निर्दिष्ट नहीं कर सकते। ऐसा करना नियमों के विरुद्ध होगा।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक मुझे याद है, श्री लिमये ने कहा कि मैं कांग्रेस दल से त्याग-पत्र दे दूं तो मैंने श्री मधु लिमये को बताया कि यह मामला कैसे चला आ रहा है। जैसा कि श्री मावलंकर ने कहा था, यह दोनों मामले साथ साथ चल सकते हैं अर्थात् अध्यक्ष को उस दल से त्यागपत्र दे देना चाहिये जिसने उसे खड़ा किया था और दूसरे अन्य दलों को चुनाव में उसका विरोध नहीं करना चाहिये। मेरे सम्बन्ध में स्थिति यह है कि ज्यों ही मेरा चुनाव हुआ, मैंने तुरन्त कहा कि मैं अब किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ। मैंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता का चन्दा भी नहीं दिया है। परन्तु यहां इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है कि मैं कांग्रेस दल का

सदस्य हूं या नहीं । प्रश्न यह है कि जब मैंने निर्णय दिया तो श्री मधु लिमये ने वह शब्द कहे जिनके द्वारा अध्यक्ष पर आक्षेप लगता है और जब अध्यक्ष पर आपेक्ष लगता है तो वह सदन के विशेषाधिकार का प्रश्न बन जाता है ।

यह विचित्र बात है कि "जो कुछ नियमों में लिखा है, उसके बावजूद" शब्दों को बार बार दोहराया जा रहा है । उसका अर्थ यह है कि नियमों में जो कुछ लिखा हुआ है, उनके बावजूद जो मामला प्रथम दृष्टि से विशेषाधिकार भंग का प्रश्न दिखाई दे, अध्यक्ष को उसे समिति को भेजने का अधिकार है । वह अधिकार बिना किसी शर्त के है और जो कुछ अन्य नियमों में लिखा है, उससे उस अधिकार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगता ।

यह स्पष्ट रूप से सभा के प्रति आक्षेप है परन्तु यदि श्री मधु लिमये निश्चित शब्दों में खेद प्रकट करें तो शायद यह मामला समाप्त किया जा सकता है ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Now you say that you have no connection with the Congress Party. If that is so, then I withdraw my words.

अध्यक्ष महोदय : आप खेद प्रकट करें ।

Shri Madhu Limaye : If you are not a member of the Congress Party and you have no connection with that Party then I withdraw my words unconditionally.

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : उन्होंने खेद प्रकट कर दिया है । इस मामले को समाप्त किया जाये ।

Shri K. D. Malaviya (Basti) : Should I hope that the matter has been dropped and if you have not given your final ruling then I would like to say something.

Mr. Speaker : I have given my ruling that the matter may be referred to the Committee. If any Member expresses regret in the Committee also then generally the matter is dropped there.

Shri K. D. Malaviya : He says that if you are not a member of the Congress Party only then I withdraw my words.

Mr. Speaker : Is that the ground on which he is withdrawing his word :

Shri K. D. Malaviya : That is what he said.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : This is a matter which should be carefully considered. Shri Madhu Limaye has said in clear terms that he withdraws his words unconditionally. He has also said that he has never doubted your intentions. He has never said anything about your intention. Therefore this matter should not be referred to the Committee of Privileges.

श्री कपूर सिंह : मैं सभा से प्रार्थना करूँगा कि वह इस मामले को दलगत मामला न समझे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से निवेदन करूँगा कि वे इस मामले पर और अधिक चर्चा न करें ।

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : दुर्भाग्य से श्री मधु लिमये ने मेरे शब्दों का उचित ढंग से उल्लेख नहीं किया है ।

Shri Madhu Limaye : I have quoted the words from the Fourth Report of the Privileges Committee.

श्री सत्य नारायण सिंह : मैंने कहा था :

"कि कुछ लोगों का यह विचार हो सकता है कि कुछ कार्य" ।

परन्तु माननीय सदस्य ने इन शब्दों को छोड़ दिया ।

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी (सागर) : श्री मधु लिमये ने माननीय मंत्री के शब्दों को गलत ढंग से बताकर सभा को गुमराह किया है और इस प्रकार माननीय संसद कार्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग किया है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जब तक पहले सूचना न दें इसको प्रस्तुत नहीं कर सकते ।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : क्या मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप उदारता से काम लेकर इस मामले को यहीं पर समाप्त कर दें ।

अध्यक्ष महोदय : कल मैंने यह निर्णय किया था कि मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये । मैं उस पर स्थिर हूँ ।

श्रीनगर के उर्दू समाचार पत्र 'आइना' के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE : QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST 'AIYANA', URDU NEWSPAPER OF SRINAGAR

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा काश्मीर के सम्बन्ध में विशेषाधिकार भंग के बारे में एक अन्य सूचना दी गई है । मैंने इसके लिए सम्मति दी है क्योंकि मेरे विचार में वह लेख ऐसा है जिससे विशेषाधिकार का भंग होता हो ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : वह मामला क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाशवीर शास्त्री इस मामले को उठायेंगे तथा अनुमति के लिए पूछेंगे ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : I beg to move :

'that the leave be granted to move a privilege motion against the Urdu Newspaper "Aiyana", its Editor, Printer and Publisher'.

On 15th August, 1966 this Newspaper in its article has published very serious, offensive and objectionable material. While making attack on the Hon. Speaker it says—

"that the most honoured citizen of India Sardar Hukam Singh has given its ruling, that

in his view the inclusion of such books in syllabus has adverse effect on the minds of children. About Indira Government this paper writes—

"whether Indira Government intend to bring the State of Jammu and Kashmir under Union administration like Manipur, Himachal Pradesh and Pondicherry ?"

But inspite of all this, this paper further writes on one place that—

"we are aware of the delicate and sensitive nature of the Hon. Members. But we are not prepared to give them the right that they while making wrong use of their rights they may deprive others of their rights. Many Hon. Members would not have gone through the text of "Naya Kashmir" before expressing their wrath and we would like to tell the Members who after reading it have exhibited their wrath and anguish that not to speak of their Parliament but thousands of such Parliaments cannot succeed in distorting history".

It has been further said that if this Parliament in any way take any such step then there will be a severe revolt against this Government. It has also threatened to overthrow the Government—

But more serious thing which harms the integrity of this Parliament is this. This paper writes—

"we want to make it clear to those who engrossed in power and authority consider Kashmir as their property, they are striking at very roots of ideological affinity which forms the basis of relations between India and Kashmir. Then each and every step is on the wrong side. They are committing an unpardonable offence of taking Kashmir away from India. How Sarvashri Kashi Ram Gupta, Hukam Singh, Prakash Vir Shastri and Bhagwat Jha know what type of animal 'Naya Kashmir' is ?

It further says—

"that if today Shri Nanda ignores this historical document declaring it a forbidden document then nothing remains common between India and Kashmir. We fully understand that this commotion in Parliament is nothing except a feverish outburst of some narrow minded and trouble-mongering nationalism which has eaten into the very vitals of the country."

In regard to the discussion about China which was held in this Parliament this paper says—

"that the revolution of Red China is the most important revolution of this century, which cannot be overlooked. How can we keep our new generations ignorant of such an important and unforgettable revolution." How is it possible that in order to avenge the injustice of Chinese rulers, we can keep our new generation ignorant about this important revolution. We cannot afford to keep our generations illiterate and ignorant like that of Member Parliament."

Mr. Speaker : The House is united. The matter is referred to the committee.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

दामोदर घाटी निगम का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में अनुपूरक विवरण

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ :

(1) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 45 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम के 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा उसके लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-6899/66]

(2) देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में एक अनुपूरक विवरण। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-6900/66]

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बा० रा० भगत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ :

(1) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत डाकखाना बचत बैंक (संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 6 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1208 में प्रकाशित हुये थे। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-6901/66]

(2) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 10 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2451 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-6902/66]

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्मलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1237 जो दिनांक 13 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) जी० एस० आर० 1296 जो दिनांक 17 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) जी० एस० आर० 1297 जो दिनांक 17 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[**पुस्तकालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०**-6903/66]

(4) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 67वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 13 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1238 में प्रकाशित हुये थे।

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 64वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 13 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1239 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 65वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 13 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1240 में प्रकाशित हुये थे।

(चार) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 66वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 13 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1241 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 68वां संशोधन, नियम 1966 जो दिनांक 13 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1242 में प्रकाशित हुये थे ।

(छः) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 69वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 13 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1243 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 70वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 13 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1244 में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 71वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 13 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1245 में प्रकाशित हुए थे ।

(नौ) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 72वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 13 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1246 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 73वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 13 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1247 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्यारह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 74वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 13 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1248 में प्रकाशित हुये थे ।

(बारह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 75वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 13 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1249 में प्रकाशित हुए थे ।

(तेरह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 76वां संशोधन, नियम 1966 जो दिनांक 13 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1250 में प्रकाशित हुए थे ।

(चौदह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 77वां संशोधन, नियम 1966 जो दिनांक 13 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1251 में प्रकाशित हुये थे ।

(पन्द्रह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 78वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 13 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1252 में प्रकाशित हुए थे ।

[**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-6904/66]

पंजाब राज्य आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धतियों का संकाय (संशोधन तथा मान्यकरण) अध्यादेश

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री व० सू० मूर्ति): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

राष्ट्रपति द्वारा पंजाब राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 5 जुलाई, 1966 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत पंजाब के राज्यपाल द्वारा 3 जून, 1966 को प्रख्यापित पंजाब राज्य आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धतियों का संकाय (संशोधन तथा मान्यकरण) अध्यादेश, 1966 (1966 की संख्या 3) की एक प्रति । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०**-6905/66]

केरल भूमि स्वच्छता अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल भूमि स्वच्छता अधिनियम, 1957 की धारा 13 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 289/66 की एक प्रति जो दिनांक 2 अगस्त, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल भूमि स्वच्छता नियम, 1958 में एक संशोधन किया गया । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०**-6906/66]

याचिका समिति
COMMITTEE ON PETITIONS

श्री तिरुमल राव (काकिनाडा) : मैं चालू सत्र के दौरान हुई याचिका समिति की 23 वीं बैठक की कार्यवाही-सारांश की एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ ।

———

मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 517 के उत्तर की शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO STARRED QUESTION NO. 517 RE. M/S BIRD & CO.

अध्यक्ष महोदय : श्री ब० रा० भगत ।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपके निदेश 17 में यह दिया हुआ है कि मंत्रियों द्वारा दिये जाने वाले प्रस्तावित वक्तव्यों की प्रतियां उस दिन, जिस दिन यह वक्तव्य दिया जाना हो, लोक सभा की बैठक आरम्भ होने से आधा घण्टा पहले नोटिस आफिस में रख दी जानी चाहिए । यह इसलिए है कि माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछ सकें । जब हमने यह विवरण देखा ही नहीं है तो हम प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं ।

श्री ब० रा० भगत : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ । आमतौर पर ऐसा ही किया जाता है । मैं इस बात का पता करूंगा कि इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ ।

श्री हरि विष्णु कामत : तब फिर माननीय मंत्री अपना वक्तव्य कल दें ।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये उनको आज ही अनुमति दी जाये ।

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : श्री मधु लिमये यह जानना चाहते थे कि मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी ने जो अपील दर्ज कराई है उसमें कितना रुपया अन्तर्ग्रस्त है । मैंने उनको बताया था कि उस फर्म को 1,20,00,000 रुपया एक स्थान पर तथा दूसरे स्थान पर लगभग 1,60,00,000 रुपया जुर्माना किया गया है । अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि ठीक स्थिति इस प्रकार है कि मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी तथा इससे सम्बन्धित फर्मों तथा व्यक्तियों को कुल 1,65,35,000 रुपया जुर्माना किया गया था । इसमें केवल मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी पर 1,20,00,000 रुपया जुर्माना किया गया है ।

विलम्ब के बारे में प्रश्न पूछे जाने पर मैंने बताया था कि तीन चार महीने हुए हैं । ठीक स्थिति इस प्रकार है कि अपील 24-11-1966 को दर्ज की गई थी । सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129 के अन्तर्गत किसी भी अपील पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कुल जुर्माने का भुगतान न कर दिया जाये । यह सभी औपचारिकताएँ बर्ड एण्ड कम्पनी द्वारा केवल 7-5-1966 को पूर्ण की गई हैं । तीन चार महीने से मेरा मतलब इस तिथि से था । अपील पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा सितम्बर में विचार किया जायेगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : इस समय हमारे पास आंकड़े नहीं हैं । क्या आप कल हमें प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई ऐसी बात हुई तो मैं अनुमति दूँगा ।

विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1966
APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 1966

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : श्री शचीन्द्र चौधरी की ओर से मैं प्रस्तुत करता हूँ :

"कि वर्ष 1966-67 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) मैं पांच मिनट का समय चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आम तौर पर इसकी अनुमति नहीं दी जाती। फिर भी आपके प्रश्न क्या हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं मंहगाई भत्ता आयोग, स्वर्ण नियंत्रण तथा मांग संख्या 66 के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इनकी अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि ये प्रश्न पहले उठाये जा चुके हैं और इनके उत्तर दिये जा चुके हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मांग संख्या 66 के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वर्ष 1966-67 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

पक्ष में 121 विपक्ष में 24

THE LOK SABHA DIVIDED
AYES : 121 NOES : 24

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 से 3, अधिनियमन सूत्र तथा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

खण्ड 1 से 3, अधिनियमन सूत्र तथा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 1 to 3, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री ब० रा० भगत : मैं प्रस्तुत करता हूं ;

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

जयन्ती शिपिंग कम्पनी [प्रबन्ध ग्रहण] विधेयक—जारी

JAYANTI SHIPPING COMPANY (TAKING OVER OF MANAGEMENT) BILL—Contd.

श्री हरि विष्णु कामत : इस विधेयक के बारे में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आपका ध्यान नियम 68 की ओर दिलाना चाहता हूं । इसमें कहा गया है कि :

"किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने या उस पर विचार किये जाने की मंजूरी देने या रोक लेने अथवा सिफारिश करने या रोक लेने के राष्ट्रपति के आदेश सम्बन्धित मंत्री द्वारा लिखित रूप में सचिव को पहुंचाये जायेंगे ।"

कल एक पत्र पढ़ कर सुनाया गया था । परन्तु सदस्यों को वह पत्र नहीं दिखाया गया इसलिये इस विधेयक पर आगे चर्चा नहीं की जा सकती ।

अध्यक्ष महोदय : कल यह प्रश्न उठाया गया था ।

श्री हरि विष्णु कामत : इस नियम का उल्लेख नहीं किया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : इसकी आवश्यकता नहीं है । एक बार निर्णय किये जाने के पश्चात प्रश्न फिर नहीं उठाया जा सकता । इसका निर्णय पहले ही हो चुका है । मंत्री महोदय ने उसे सभा के समक्ष रख दिया था ।

श्री हरि विष्णु कामत : सभा में सभी दल चाहते हैं कि समय बढ़ाया जाये ।

श्री सत्य नारायण सिंह : श्रीमान कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आपकी अध्यक्षता में होती है और इस समिति ने समय निर्धारित किया है । इस बारे में सभा के समक्ष प्रतिवेदन पेश किया गया और सभा ने उसका अनुमोदन किया है। एक घंटा समय बढ़ाना हमेशा आपके अधिकार में है, किन्तु मेरा निवेदन है कि उसके बाद सभा की इच्छा के बिना आप भी समय नहीं बढ़ा सकते ।

श्री हरि विष्णु कामत : किन्तु उस अवधि को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता जिसमें व्यवस्था के प्रश्न उठाये गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए तीन घंटे का समय निर्धारित किया गया था और 3 घण्टे 55 मिनट का समय लिया जा चुका है । मैं अब सभा की अनुमति के बिना समय नहीं बढ़ा सकता ।

श्री सत्य नारायण सिंह : यदि समय आधा घण्टा बढ़ा दिया जाये, तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा इस प्रस्ताव से सहमत है कि गैर सरकारी सदस्यों को आधे घण्टे का और समय दिया जाय और उसके बाद मंत्री महोदय उत्तर दें ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I want to raise a point of order. I am moving an Adjournment motion. What I want is that the further discussion on this Bill be adjourned. I would like to invite your attention to Rule No 340 which says :

"At any time after a motion has been made a member may move that the debate on the motion be adjournned".

Rule 109 reads :

"At any stage of a Bill which is under discussion in the House, a motion that the debate on the Bill be adjourned may be moved with the consent of the Speaker".

I am seeking your permission.

Mr. Speaker : The Hon. Member may move his motion.

Shri Madhu Limaye : Sir, I move :

"That further discussion on this Bill be adjourned".

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"कि इस विधेयक पर अग्रेतर चर्चा स्थगित कर दी जाये ।"

मैं इसे सभा के मतदान के लिये रख रहा हूं । प्रश्न यह है :

"कि इस विधेयक पर अग्रेतर चर्चा स्थगित कर दी जाये ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ : पक्ष में 19, विपक्ष में 78

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The Lok Sabha divided : Ayes 19; Noes 78

The motion was negatived

श्री कामत : अध्यक्ष महोदय, संसद के समक्ष इस प्रकार के विधेयक बहुत ही कम आते हैं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

सरकार ने यह मान लिया है कि कम्पनी के कार्य-व्यापार में जांच करने वाली समिति को कम्पनी के असहयोग के कारण अधिक सफलता नहीं मिली । इस समिति की नियुक्ति भी काफी देर से की गई । नियंत्रण मंडल ने उस समय यह सुझाव दिया था कि केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के एक विशेषज्ञ अथवा मनोनीत व्यक्ति या नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के एक प्रतिनिधि द्वारा इस समिति की सहायता की जानी चाहिये । परन्तु इस सुझाव की उपेक्षा की गई और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया ।

इससे भी बहुत पहले अप्रैल के आसपास मैंने प्रधान मंत्री को लिखा था और उनको कुछ फोटोस्टैट प्रतियां, दस्तावेज भेजे थे जिनसे यह मालूम होता था कि जयन्ती शिपिंग कम्पनी के डा० धर्म तेजा और जापानी फर्म के बीच गुप्तरूप से कुछ सौदे किये जा रहे हैं, किन्तु तीन सप्ताह बीत जाने पर भी उस पत्र को प्राप्त कर लेने की स्वीकृति मुझे नहीं मिली। प्रत्यास्मरण पत्र लिखने के बाद मई में मुझे उनसे जवाब मिला जिसमें लिखा गया था कि इस मामले की जांच की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है। अब स्थिति यह है कि डा० धर्म तेजा विदेश में हैं और समिति द्वारा बुलाये जाने पर भी वह उसकी अवज्ञा कर सकते हैं, दूसरी ओर से यह मांग की गई है कि उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाये। उनके विरुद्ध कई शिकायतें तथा आरोप होने के बावजूद भी सरकार ने उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की ? डा० तेजा की शिपिंग कम्पनी और प्रशासन के कुछ उच्च अधिकारियों ने मिलकर एक ऐसा षड़यंत्र रचा जिसके माध्यम से जन-धन की एक बड़ी राशि को सुनियोजित ढंग से लूटा गया है।

जेनरल बी० एम० कौल को, जिसे युद्ध का अनुभव न होने के कारण सन् 1962 में नेफा में मुंहकी खानी पड़ी थी और जो चीनियों के साथ एक बड़ी लड़ाई हार बैठा था, बाद में डा० तेजा ने अपनी कम्पनी में 8000 रुपये प्रति माह पर व्यक्तिगत सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जिसे डा० तेजा की ही भांति शिपिंग का कोई अनुभव नहीं था। किन्तु उसका वेतन कम्पनी की निधि से दिया जाता था। भारतीय गरीब करदाता को यह बोझ सहन करना पड़ता था।

जेनरल बी० एम० कौल के अलावा मास्को में हमारे भूतपूर्व राजदूत श्री टी० एन० कौल का भी जयन्ती शिपिंग कम्पनी से सम्बन्ध रहा है। यह एक विचित्र बात है कि मास्को स्थित हमारे दूतावास ने अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं के लिये क्रय-आदेश सरकार को न भेजकर सीधे ही इस गैर-सरकारी कम्पनी को दे दिये। इस कथन को सिद्ध करने के लिये मेरे पास उस पत्र की एक फोटोस्टैट प्रति है जो श्रीमती धर्म तेजा ने 4 नवम्बर, 1963 को जयन्ती शिपिंग कम्पनी के टोकियो स्थित प्रतिनिधि कैप्टेन कोठावाला को लिखा था। इसकी जांच पड़ताल की जानी चाहिये कि वे वस्तुएं अब कहां हैं।

डा० तेजा ने कप्तान मानेक को 18 नवम्बर, 1953 को अशोक होटल से एक पत्र लिखा था जिसमें उसने यह प्रार्थना की थी कि वह इस पत्र को श्री मत्सुशित या श्री सातो को देकर उनसे 10 लाख येन ले लें और उस धन को जेनरल कौल को दे दें।

इस सम्बन्ध में सरकार ने इन सब वर्षों में क्या किया ? जब सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई तो उसने पिछले कुछ महीनों में केवल यह किया कि जांच आयोग अधिनियम के अधीन एक ऐसी समिति नियुक्त कर दी जिसे बिलकुल भी शक्तियां प्राप्त नहीं थीं। यह समिति कुछ भी नहीं कर सकी। केवल हमारे ही देश में ऐसी बातें संभव हैं, यदि एक पूर्ण शक्ति सम्पन्न जांच आयोग की नियुक्ति की जाये और उसे केन्द्रीय गुप्तचर विभाग तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस आदि की सहायता प्राप्त हो, तो निश्चय ही अनेक अन्य तथ्य प्रकाश में आयेंगे। शिपिंग निगम ने अपने प्रतिवेदन में कहा है :

"इस सम्बन्ध में प्रबन्ध अभिकर्ता और आगे जांच कर रहे हैं और अधिक तथ्य प्रकाश में आ सकते हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान्, इस सम्बन्ध में कुछ अन्य बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि इस दस्तावेज को सदस्यों में परिचालित किया जाता है, तो फिर मैं सभा का समय नहीं लेना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा करने की तब तक अनुमति नहीं दे सकता जब तक कि सरकार इसकी मांग न करे। माननीय सदस्य अपना भाषण शीघ्र समाप्त करें।

श्री हरि विष्णु कामत : चूंकि समयाभाव के कारण अन्य बातों के बारे में मैं इस समय नहीं अपितु संशोधन पेश करते समय बोलूंगा। किन्तु इस सम्बन्ध में मेरी मांग यह है कि प्रधान मंत्री को इस मामले में कड़ा रवैया अपनाना चाहिये और डा० तेजा को, जहां कहीं भी वह हों, अपने कब्जे में करने के लिये आवश्यक कदम उठाने चाहिये। सरकार द्वारा जांच आयोग अधिनियम के अधीन इस मामले की जांच के लिये एक ऐसा जांच आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए जिसके सदस्य विश्वास प्राप्त उच्च अधिकारी हों और जिसे केन्द्रीय गुप्तचर विभाग और अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस द्वारा सहायता दी जाये और ऐसे किसी भी व्यक्ति को छोड़ा न जाये जिसका सम्बन्ध डा० तेजा से रहा हो। भविष्यनिधि न्यासधारियों से भी इस बात का स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिये कि भविष्य निधि का उस कार्य के लिये उपयोग क्यों नहीं किया गया जिसके लिये वह निर्धारित की गई थी। सन् 1961 से बाद में किये गये सभी सौदों की भलीभांति जांच की जानी चाहिये।

उड़ीसा के सम्बन्ध में केन्द्रीय गुप्तचर विभाग की घटना के पश्चात् यह दूसरी घटना है जो बहुत ही दुःखद इतिहास का निर्माण करती है। सरकार को इस अपराधपूर्ण षड़यंत्र के पश्चात्ताप के रूप में त्याग-पत्र दे देना चाहिये।

श्री शिंकरे (मरमागोवा) : मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि सरकार ने जयन्ती शिपिंग कम्पनी को अपने हाथ में क्यों नहीं लिया ? भारतीय धातु निगम को लगभग इन्हीं कारणों से अपने हाथ में लिया गया था। मंत्री महोदय को यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिये कि क्या सरकार जयन्ती शिपिंग कम्पनी की प्रत्येक वास्तविक देनदारी को वहन करेगी, क्योंकि खण्ड (4), उपखण्ड (1) (घ) में "देनदारियों" का उल्लेख नहीं किया गया है। मंत्री महोदय को इस बात पर भी प्रकाश डालना चाहिये कि ऐसी स्थिति को उत्पन्न करने के लिये नैतिक रूप से कौन जिम्मेदार है ?

श्री संजीव रेड्डी : मैं समझता हूं इस कम्पनी की कहानी एक दुखद इतिहास था। यह कम्पनी देश में नौपरिवहन के विकास के उच्च आदर्श को ध्यान में रखकर चालू की गई थी। भारत को अपने नौपरिवहन का विकास करना था और उस दिशा में भारी प्रयत्न किये जा रहे

थे । नौपरिवहन कम्पनियों को टन-भार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा था। कुछ कम्पनियां ब्याज-मुक्त ऋण जैसी रियायतें तथा अन्य सुविधाएं मांग रही थीं, इस कम्पनी का प्रस्ताव नये ढंग का था ।

यदि माननीय सदस्यों की धारणा यह है कि इस कम्पनी को चालू करते समय डा० तेजा को ऋण दिया गया था, तो यह उनकी भूल है । ऋण मंजूर करते समय सभी पूर्व-सावधानियां बरती गई थीं । कीमत का 10 प्रतिशत भाग उस समय दिया गया जब कि वह जहाज नौ-परिवहन विकास निधि निगम (एस० डी० एफ० सी०) के प्रतिनिधि को जो सरकार की ओर से वहां गया था, सौंप दिया गया था और केवल उसके बाद ही उक्त निगम द्वारा शेष 90 प्रतिशत भाग के भुगतान के सम्बन्ध में इस कम्पनी को गारन्टी दी गई थी ।

यह सम्भव है कि उस समय डा० धर्म तेजा को गलत समझा गया हो और आज हमें यह पता चला है कि वह एक कुटिल व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति उसे बचाने के लिये तैयार नहीं है और न ही कोई यह कह सकता है कि वह एक महान व्यक्ति है । उसने एक नई विचारधारा प्रस्तुत की थी जो भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री नेहरू को पसन्द आ गई क्योंकि वह भारत में नौपरि-वहन का जल्दी ही विकास करना चाहते थे। दुर्भाग्यवश इस व्यक्ति ने ऐसे कार्य किये जो गलत थे । जो कार्य और गलतियां उसने की हैं, उनके बारे में कम्पनी के निदेशकों तक को पता नहीं था । उन्हें इस बात का पता नहीं था कि इस व्यक्ति ने विभिन्न देशों में कई भिन्न-भिन्न कम्पनियों के साथ गुप्त रूप से लेन देन किये हैं ।

दो गम्भीर मामलों के बारे में सरकार को सूचना मिली थी । उदाहरणार्थ, उसने अमरीका में मित्सुबिशी वित्त निगम से 90 लाख रुपये का ऋण लिया परन्तु उनको इस बात का पता नहीं था कि उसने कम्पनी का एक जाली संकल्प बनाया था और उसे अमरीका में कम्पनी को दिया था और इस संकल्प के आधार पर 90 लाख रुपये ले लिये जो कम्पनी को नहीं अपितु डा० तेजा को मिले, उसने वह राशि अपने निजी नाम में ली थी और लन्दन स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया में जमा कर दी थी, उसमें से 20 लाख रुपये निकाल लिये गये हैं और शेष 70 लाख रुपये अभी जमा हैं । वह इस शेष धनराशि को निकालना चाहता था । उसी समय सरकार ने कम्पनी का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया और अदालत से कार्यवाही रोकने का आदेश ले लिया ।

विदेशी फर्मों को चार्टर पर जहाज देने के बारे में उस पर फौजदारी का मुकदमा दायर कर दिया गया है ।

इन सब गलतियों का, जिनके बारे में निदेशकों को कुछ भी पता नहीं था, हमें पता चला है, वह निदेशकों से और सभी से छिपाकर विभिन्न देशों की कम्पनियों से जहाजों को खरीदने के कमीशन के बारे में सौदा कर रहा था । इस ढंग से उसने 3 करोड़ रुपये इक्ट्ठा कर दिये जिसके बारे में कम्पनी को कुछ भी पता नहीं था । जैसे ही सन्देह हुआ हमने कम्पनी का प्रबन्ध संभाल लिया । किन्तु इन सब बातों का पता तभी चला जब कि कम्पनी को अपने हाथ में ले लिया गया । हो सकता है कि मैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर न दे सकूं जो कि इस सम्बन्ध में उठाये गये हैं क्योंकि अनेक प्रश्नों का सम्बन्ध अन्य मंत्रालयों से है ।

ज्योंही हमें शंका हुई हमने कम्पनी को अपने हाथ में ले लिया। यह काम प्रधान मंत्री की अनुमति से किया गया था। उस समय डा० तेजा के विरुद्ध कोई बात नहीं थी। हमने श्री सुखतांकर तथा महालेखा-परीक्षक के प्रतिनिधि की जांच समिति नियुक्त की। उस समय डा० तेजा मुझे मिले भी थे परन्तु उस समय हमारे पास उनको गिरफ्तार करने के लिये पर्याप्त प्रमाण नहीं थे। डा० तेजा के कार्यालय से जब समिति को आवश्यक सहयोग नहीं मिला और पत्र आदि नहीं दिये तो हमने उस कम्पनी को अपने हाथ में लेना ही उचित समझा। यह निर्णय मंत्रिमंडल की एक बैठक में हुआ था। हमने यही निर्णय उचित समझा। कम्पनी की वार्षिक आय लगभग 3,50,00,000 रुपये हैं। इसे अभी केवल 5 वर्षों के लिये सरकार के अधीन किया गया है। इस बीच में पूरी स्थिति का अध्ययन किया जायेगा। हमें अब डा० तेजा से रुपये की वसूली करनी है। उसका लगभग 70 लाख रुपया बैंकों में था। वह रुपया कुर्क कर लिया गया है। कम्पनी में उनके जो शेयर्स हैं उन्हें हम नहीं ले रहे हैं। 11 जहाज अभी भी चल रहे हैं। उनसे अच्छा काम लिया जा रहा है। डा० तेजा को गिरफ्तार इसलिये नहीं किया गया था क्योंकि पुलिस अधिकारी समझते थे कि उनके विरुद्ध कोई विशेष आरोप नहीं थे। अब उन्हें गिरफ्तार करने का प्रश्न उत्पन्न हुआ है। डा० लोहिया द्वारा बताये गये तरीकों पर विचार किया जायेगा। जब डा० तेजा भारत में पिछली बार आये थे तो उन्होंने अपने जहाजों को भारत में तथा विदेशों में बेचने के लिये अनुमति मांगी थी परन्तु सरकार ने उनको इसकी अनुमति नहीं दी थी। यह आरोप बिल्कुल निराधार है कि उनको जानबूझकर गिरफ्तार नहीं किया गया। यहां पर कहा गया है कि हमें एक जांच आयोग नियुक्त करना चाहिये था। ऐसा करने से इस विषय में और अधिक विलम्ब हो जाता। कम्पनी को सरकार के हाथ में लिया जाना सबसे उचित कदम था और वही हमने उठाया। डा० तेजा के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया गया है। नौवहन निगम ने अपने प्रतिनिधि जापान, अमरीका आदि देशों में आवश्यक कार्यवाही करने के लिये भेज दिये हैं। सरकार उनको भारत लाने के लिये हर प्रकार की कार्यवाही करेगी। गृह-कार्य मंत्रालय इस बारे में सभी पहलुओं पर विचार करेगा। यह सच नहीं है कि सरकार उनके साथ उदारतापूर्ण व्यवहार कर रही है।

डा० तेजा एक धोखेबाज व्यक्ति है। उसने केवल सरकार को धोखा नहीं दिया बल्कि कम्पनी को भी धोखा दिया। सरकार ने जो धन उसको ऋण के रूप में दिया था उसके बदले में अब भी जहाज विद्यमान हैं। हमें कम्पनी के सभी कर्मचारियों की ओर से पूरा पूरा सहयोग मिल रहा है। अन्य कम्पनियों से भी हमें सहयोग मिल रहा है। इनमें जापान की मित्सुबिशि कम्पनी ने हमें कागजात भी दिये हैं। डा० तेजा के विरुद्ध फौजदारी के अभियोग भी दर्ज करा दिये गये हैं। श्री कामत ने कहा है कि हमारे दूतावास ने कुछ वस्तुएं डा० तेजा से क्यों प्राप्त की थी। मुझे बताया गया है कि वह वस्तुएं श्रीमती तेजा ने अपनी ओर से दी थीं।

जब डा० तेजा को ऋण दिया गया था तो वित्त मंत्रालय ने सभी सम्बद्ध मामलों की जांच कर ली थी और मंत्रिमंडल में भी इस पर विचार हुआ था। ऋण के रूप में दिया हुआ धन सरकार को किस्तों में वापिस मिल जाना है। इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है। और मैं

कह सकता हूं कि सरकार का धन जहाजों के रूप में अब भी सुरक्षित है। इस कम्पनी के बारे में नौवहन निगम ने अध्ययन किया है और स्थिति में आगे भी सुधार किया जायेगा। दस वर्षों के बाद इस कम्पनी को पूर्ण रूप से सरकारी कम्पनी बना दिया जायेगा। ऐसी बात नहीं कि इसे फिर डा० तेजा को वापिस दे दिया जायेगा। हमें आशा है कि न्यायालय हमारे पक्ष में निर्णय देंगे और उसके बाद हम कानूनी तरीकों से डा० तेजा के धन के हिस्सों को सरकारी अधिकार में ले लेंगे।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : मैं अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

सभा की अनुमति से संशोधन वापिस लिया गया।

The amendment was, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जयन्ती शिपिंग कम्पनी लिमिटेड के उचित प्रबन्ध की व्यवस्था करने के हेतु एक सीमित अवधि के लिये इस उपक्रम के प्रबन्ध को हाथ में लेने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार चर्चा लेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 (कम्पनी के काम का प्रबन्ध एक नियंत्रण बोर्ड द्वारा हाथ में लेना)

श्री स० चं० सामन्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पृष्ठ 3, पंक्ति 5"—

"Ten (दस) शब्द के स्थान पर fifteen (पन्द्रह)" शब्द रखे जायें।

श्री व० बा० गांधी : मैं अपने संशोधन संख्या 2 और 3 प्रस्तुत करता हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं अपने संशोधन संख्या 5, 11 तथा 12 प्रस्तुत करता हूं।

श्री व० बा० गांधी : मैं चाहता हूं कि नियंत्रण बोर्ड में गैर सरकारी व्यक्ति भी हों। यदि यह स्वीकार कर लिया जाये तो मैं अपने संशोधन वापिस लेने को तैयार हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं इस विधेयक के मसौदे के तैयार करने वाले व्यक्ति की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता। इसमें बहुत सी गलतियां हैं। मैं अपने संशोधन द्वारा चाहता हूं कि संसद के सदस्य इसके कन्ट्रोल बोर्ड के सदस्य हों। यह राष्ट्रीय हित में होगा। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय हमें सभी पहलुओं के बारे में जानकारी दें।

Shri Madhu Limaye : Sir, I want that my questions in this regard may kindly be answered by the Hon. Minister. I want to know whether the cases against him are being pursued vigorously. I want these questions should be answered.

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप किसी संशोधन को स्वीकार कर रहे हैं ?

श्री संजीव रेड्डी : श्री गांधी को अपने संशोधनों के बारे में जोर नहीं डालना चाहिये। बोर्ड में 5 स्थान रिक्त हैं और हम चाहते हैं कि इन स्थानों पर गैर-सरकारी व्यक्ति रखे जायें। जहां तक "undertaking [उपक्रम]" शब्द को हटाने का सम्बन्ध है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। लेकिन उन्हें इस बात पर जोर नहीं देना चाहिये कि लोक-सभा, राज्य-सभा आदि का एक सदस्य हो। यह काम सरकार पर छोड़ दिया जाये कि वह गैर-सरकारी व्यक्ति नियुक्त करे। यहां तक तो मैं मानता हूं।

श्री नम्बियार : क्या आप विरोधी पक्ष से एक सदस्य नियुक्त करेंगे ?

श्री संजीव रेड्डी : मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता।

श्री वारियर : इस समय सदस्य कौन कौन हैं।

श्री संजीव रेड्डी : मैं श्री सामन्त का संशोधन संख्या 6 स्वीकार करता हूं।

श्री व० बा० गांधी : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उन्हें वापस लेने की सभा की अनुमति है ?

माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 2 और 3 सभा की अनुमति से वापस लिये गये

Amendments Nos. 2 and 3 were withdrawn by leave of the House

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2, पंक्ति 16 में—

"of the company [समवाय का]" शब्द निकाल दिये जायें। (11)

पृष्ठ 2, पंक्ति 37 में—

"of the company [समवाय का]" शब्द निकाल दिये जायें। (12)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 3, पंक्ति 5 में—

"ten [दस]" शब्द के स्थान पर "fifteen [पन्द्रह]" शब्द रखे जायें। (6)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5 मतदान के लिये रखा गया।

सभा में मत-विभाजन हुआ। पक्ष में 12; विपक्ष में 78

The Lok Sabha divided : Ayes 12, Noes 78

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।
The amendment was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया ।
Clause 3, as amended, was added to the Bill.

श्री संजीव रेड्डी : मैं खण्ड 4 पर संशोधन संख्या 13 स्वीकार करता हूं।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 3, पंक्ति 10—

"of the company [समवाय का]" शब्द निकाल दिये जायें । (13)

(श्री हरि विष्णु कामत)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया ।
Clause 4, as amended, was added to the Bill.

श्री संजीव रेड्डी : मैं खण्ड 5 पर संशोधन संख्या 14, 15 और 16 स्वीकार करता हूं ।

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 4, पंक्ति 5 में—

"of the company [समवाय का]" शब्द निकाल दिये जायें । (14)

पृष्ठ 4, पंक्ति 20 में—

"of the company [समवाय का]" शब्द निकाल दिये जायें । (15)

पृष्ठ 4, पंक्ति 25 में—

"of the company [समवाय का]" शब्द निकाल दिये जायें । (16)

(श्री हरि विष्णु कामत)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया ।
Clause 5, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 6 से 8 विधेयक में जोड़े गये ।
Clauses 6 to 8 were added to the Bill.

श्री सिंहासन सिंह : खण्ड 9 पर मेरा एक संशोधन है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह वैसा ही है जैसा श्री कामत का संशोधन संख्या 17 है ।

श्री संजीव रेड्डी : मैं यह संशोधन स्वीकार करता हूं ।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 5, पंक्ति 37, में—

"of the company [समवाय का]" शब्द निकाल दिये जायें । (17)

(श्री हरि विष्णु कामत)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9, संशोधित रूप में, संशोधन का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 9, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया ।
Clause 9, as amended, was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्ड 10 लेते हैं । श्री गांधी यहां नहीं हैं, अतः संशोधन संख्या 4 पेश नहीं किया जा रहा है । इस पर संख्या 9 और 10 सरकारी संशोधन हैं । श्री कामत का संशोधन संख्या 18 है ।

श्री संजीव रेड्डी : मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं ।

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 6, पंक्ति 5, में—

"any property [कोई सम्पत्ति]" शब्द के बाद "of the company [समवाय का]" शब्द रखे जायें । (9)

पृष्ठ 6, पंक्ति 11 और 12, में—

"company shall be liable to account for the said books, documents and papers

[समवाय की उक्त पुस्तकों, कागजातों और कागजों के रखने की जिम्मेदारी होगी]" शब्दों के स्थान पर

"company, including any letters, memoranda, notes or other communications between him and the company shall, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, be laible to account for the said books, documents and other papers (including such letters, memoranda, notes or other communications)

[समवाय की, इस समय लागू किसी विधि में ऐसा होते हुये भी, कोई पत्र, ज्ञापन, टिप्पण अथवा उनके और समवाय के बीच हुये अन्य पत्र-व्यवहार समेत, उक्त पुस्तकों, दस्तावेजों और अन्य कागजों को (जिसमें ये पत्र, ज्ञापन, टिप्पण और अन्य पत्र-व्यवहार शामिल हैं) रखने की जिम्मेदारी होगी]" शब्द रखे जायें।(10)

(श्री संजीव रेड्डी)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 6, पंक्ति 11, में—

"of the company [समवाय का]" शब्द निकाल दिये जायें। (18)

(श्री हरि विष्णु कामत)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 10, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 10, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 11 और 12 विधेयक में जोड़े गये।

Clauses 11 and 12 were added to the Bill.

श्री हरि विष्णु कामत : मैं खण्ड 13 पर अपने संशोधन संख्या 19, 20, 21 और 22 प्रस्तुत करता हूं। अब समय आ गया है जबकि भ्रष्टाचारियों को, जमाखोरों को, मुनाफाखोरों को, चोर बाजारी करने वालों को और मिलावट करने वालों को कड़ा से कड़ा दण्ड दिया जाये। सरकार को इन समाज-विरोधी तत्वों के साथ नर्मी का व्यवहार नहीं करना चाहिये।****

यदि सार्वजनिक जीवन को अथवा प्रशासन को शुद्ध, ईमानदार और साफ बनाना है तो कड़ा से कड़ा दण्ड देने की व्यवस्था करनी होगी।

तुर्की के राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने एक अध्यादेश जारी किया था कि सड़कों पर थूकने वालों को कोड़े लगाये जायेंगे। इस प्रकार 12 व्यक्तियों को कोड़े लगाये गये और इससे समूचे तुर्की में लोगों की सड़कों पर थूकने की आदत छूट गयी। मैं तो यह चाहता हूं कि डा० तेजा और अन्य व्यक्तियों को जांच के बाद, उनका दोष सिद्ध होने पर, कड़े से कड़ा दण्ड दिया जाये और उनको मृत्यु-दण्ड तक दिया जाये। मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस मामले पर विचार करें और इस प्रकार के अपराधियों के साथ उदारता न बरती जाये। उनके लिये कैद की अवधि दो वर्ष से बढ़ा कर पांच वर्ष कर दी जाये और जुर्माना 2000 रुपये से बढ़ा कर 5000 रुपये कर दिया जाये। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो उनका और देश का भगवान ही रक्षक है।

**** अध्यक्ष-पीठ के आदेश पर कार्यवाही से निकाला गया।

श्री संजीव रेड्डी : मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं करता । यदि उनको दो वर्ष की कैद से डर नहीं है तो पांच वर्ष की कैद से क्या डर होगा ?

श्री नम्बियार : इसको पांच वर्ष करना आसान है । दण्ड कड़ा होना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 19 और 21 मतदान के लिये रखे गये ।

सभा में मत-विभाजन हुआ । पक्ष में 17; **विपक्ष में** 73

The Lok Sabha divided : Ayes 17, Noes 73

संशोधन अस्वीकृत हुये ।
The amendments were negatived.

श्री अ० व० राघवन (बडागरा) : पक्ष में एक मत और नोट कर लीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : उसको नोट कर लिया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 20 और 22 मतदान के लिये रखे गये ।

सभा में मत-विभाजन हुआ । पक्ष में 21; **विपक्ष में** 68

The Lok-Sabha divided. Ayes 21, Noes 68

संशोधन अस्वीकृत हुये ।
The amendments were negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 13 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ा गया ।
Clause 13 was added to the Bill.

खण्ड 14 से 16 विधेयक में जोड़े गये ।
Clauses 14 to 16 were added to the Bill.

खण्ड 17 (समवाय की निधि में से पारिश्रमिक और व्यय का भुगतान)

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 7 और 8 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं अपना संशोधन संख्या 26 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सिंहासन सिंह : संचित निधि से कुछ धन अस्थायी तौर पर निकाला जाये जिसको बाद में समवाय की निधि से पूरा किया जा सकता है ।

श्री हरि विष्णु कामत : खंड 17 में सभी वेतन, भत्तों और अन्य पारिश्रमिक का विवेचन है । इसकी व्याख्या बड़ी व्यापक है । पता नहीं कि 'अन्य पारिश्रमिकों' का क्या अर्थ है । यह बड़ी

अजीब बात है कि विधेयक के खंड में कुछ और बात है और वित्तीय ज्ञापन में कुछ और बात है। वित्तीय ज्ञापन में बताया गया है कि 10 लाख रुपये व्यय होंगे। अब पता नहीं कि यह निश्चय किस प्रकार किया गया है कि भारत की समेकित निधि से एक लाख रुपये निकाले जायें जबकि वेतन और भत्तों के अतिरिक्त उन्हें अनेक ऋणदाताओं को भी भुगतान करना है। क्या इस प्रकार सभा को गुमराह नहीं किया जा रहा है ? इस पर विचार किया जाये और एक उचित ज्ञापन पेश किया जाये।

डा० तेजा और श्रीमती तेजा ने मास्को में हमारे राजदूत को व्यक्तिगत रूप से कुछ उपहार दिए थे। क्या ये उपहार इस कम्पनी के धन से दिये गये थे। क्या एक राजदूत के लिये एक गैर-सरकारी शिपिंग कम्पनी से उपहार स्वीकार करना उचित है ? अतः मेरा निवेदन है कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाये जिसमें यह व्यवस्था है कि चेयरमैन और अन्य कर्मचारियों के वेतनों पर और कम्पनी के प्रबन्ध होने वाले अन्य व्यय को पूरा करने के लिए धन आरम्भ में संचित निधि से निकाला जाये और वह धन निधि से निकालने की तारीख से एक वर्ष के भीतर जयन्ती शिपिंग कम्पनी से वसूल किया जाये।

श्री संजीव रेड्डी : मैं इनमें से कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

श्री जयपाल सिंह (रांची-पश्चिम) : यह वित्तीय ज्ञापन पेश करने में सरकार को पता ही नहीं कि उसे क्या करना चाहिये। यदि संशोधित ज्ञापन पेश भी किया गया तब भी यही समस्या रहेगी।

"Initially incurred [आरम्भ में किया गया व्यय]" शब्दों के स्थान पर यदि केवल "incurred" [किया गया व्यय]" शब्द ही पर्याप्त होते। "initially" [अरम्भ में]" शब्द से उनके दायित्व पूरे नहीं होते।

श्री शिंकरे : सरकार समेकित निधि में से कैसे धन खर्च कर सकती है ?

श्री संजीव रेड्डी : हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं।

श्री शिंकरे : यदि वे भारत की संचित निधि में से धन खर्च करना नहीं चाहते तो यह विधेयक धन विधेयक नहीं होता। इसलिए इस पर वित्तीय ज्ञापन की आवश्यकता नहीं है।

श्री सिंहासन सिंह : मैं अपने संशोधनों पर आग्रह नहीं करता।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिये गये।
The amendments were, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 26 मतदान के लिये रखा गया।

सभा में मत-विभाजन हुआ। पक्ष में 16 ; **विपक्ष में** 76

The Lok Sabha divided, Ayes 16, Noes 70

संशोधन अस्वीकृत हुआ।
The amendment was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 17 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 17 विधेयक में जोड़ा गया
Clause 17 was added to the Bill

खंड 18-(केन्द्रीय सरकार का निदेश देने का अधिकार)

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर श्री कामत का संशोधन संख्या 24 है ।

श्री संजीव रेड्डी : मैं इसे स्वीकार करता हूं ।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 8, पंक्ति 19, में—

"Of the company [समवाय का]" शब्द निकाल दिये जायें । (24)

(श्री हरि विष्णु कामत)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 18, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 18, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया
Clause 18, as amended, was added to the Bill

खंड 19—(नियम बनाने का अधिकार)

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर श्री कामत का संशोधन संख्या 25 है । क्या आप इसे स्वीकार करते हैं ।

श्री संजीव रेड्डी : जी, नहीं ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं अपना संशोधन संख्या 25 प्रस्तुत करता हूं । इस खंड में यह उल्लेख है कि इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये सभी नियमों को संसद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाये । किन्तु विधेयक में सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों, अधिसूचित आदेशों और निदेशों का भी जिक्र किया गया है । मेरे संशोधन का उद्देश्य संसद् की सर्वोच्च सत्ता को सुनिश्चित करना है । लगभग सभी विधान-मंडलों ने इस संशोधन को स्वीकार कर लिया है । मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इन बातों पर विचार करें और संसदीय लोकतंत्र में संसद् की सर्वोच्चता के लिये इस संशोधन को स्वीकार कर लें कि सरकार द्वारा बनाया गया हर आदेश, नियम, निदेश आदि संसद् के समक्ष रखा जाये और इसमें संशोधन किया जा सके और यदि संसद् इसमें संशोधन न करना चाहे तो सरकार इस पर पूर्ववत कार्य कर सकती है । सरकार को तो इस अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षण मिला हुआ है । सरकार को इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये ।

मैं यह सब कुछ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा लोकतंत्र में विश्वास है। मुझे यह भी आशा है कि माननीय सदस्य मेरा समर्थन करेंगे।

श्री संजीव रेड्डी : मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ पक्ष में 11; विपक्ष में 68

संशोधन अस्वीकृत हुआ

The Lok Sabha divided : Ayes 11, Noes 68

The Amendment was negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 19 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खंड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड 20 और 21 विधेयक में जोड़ दिये गये

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 19 was added to the Bill.

Clause 20 and 21 were added to the Bill.

Clause I, the enacting formula and the title were added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री हरि विष्णु कामत : यह मामला नियमों के विरुद्ध चल रहा है इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूँ।

[**श्री हरि विष्णु कामत सभा से उठ कर चले गये**
Shri Hari Vishnu Kamat then left the House]

श्री नम्बियार : तीसरे बयान को कैसे छोड़ा जा सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : पहले ही दो घंटे अधिक लिये जा चुके हैं। यदि आप मेरे विरुद्ध कोई कार्यवाही करना चाहें तो कर सकते हैं। यह पहली बार नहीं हो रहा है। पहले भी हुआ है।

श्री जयपाल सिंह : मैं इसका विरोध करता हूँ।

हाल की रेल दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव—जारी
MOTION Re. RECENT RAILWAY ACCIDENTS—Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी द्वारा 12 अगस्त, 1966 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगे :—

"कि यह सभा हाल की रेल दुर्घटनाओं सम्बन्धी वक्तव्य पर, जो 25 जुलाई, 1966 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : अधिकतर देखा यह गया है कि दुर्घट्नाओं के दो ही कारण होते हैं । कोई इन्सानी भूल इसका कारण बन जाती है अथवा तकनीकी रूप में मशीन में कोई गड़बड़ हो जाती है । मेरा कहना यह है कि इसके लिए जो समिति सरकार ने स्थापित की थी, उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था । उस कुंजरू समिति ने इस दिशा में जो सिफारिशें की हैं उनमें से कुछ को तो कार्यान्वित की है परन्तु बहुत-सी पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई थी । कुंजरू समिति की एक सिफारिश यह भी थी कि भारतीय रेलों में वर्तमान छुट्टी काफी मात्रा में नहीं है । रेलवे बोर्ड ने बहुत सी श्रेणियों में वर्तमान छुट्टी रिजर्व बढ़ाने के आदेश पास कर दिये हैं । परन्तु यह खेद की बात है कि यह सिफारिश भी अभी तक कार्यान्वित नहीं की गई है ।

[**श्री पें० वेंकटासुब्बय्या पीठासीन हुए**
Shri P. Venkatasubbaiah in the Chair]

समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि रेलवे की भर्ती योजना में भी दोष है । उसकी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए । कुछ रेलों में वह लोग जो तालिका (पेनल) पर हैं, उन्हें अभी कोई काम नहीं मिला है । इस दिशा में मैं यह सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इन तालिकाओं की अवधि बढ़ा दी जाय । इससे वे लोग नये स्थानों पर नियुक्त किये जा सकेंगे । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि रेलवे सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्य उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाय जिसे रेलवे प्रणाली के सम्बन्ध में पूरा ज्ञान हो । मुझे विश्वास है कि रेलवे मंत्री इस बारे में सहानुभूति पूर्ण ढंग से विचार करेंगे ।

इसी सिलसिले में मैं श्री पाटिल का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि धन पुर में स्थापित किया गया रेलवे सेवा आयोग वहां के लोगों के लिए बेकार है । कारण यह है कि वह परीक्षायें तो लेता नहीं है, केवल आवेदन पत्र प्राप्त करता है । यदि पूरा आयोग स्थापित करने में कोई कठिनाई है तो कम से कम एक सदस्यीय आयोग की वहां व्यवस्था की जाय ताकि वहां के लोगों को वहां ही परीक्षायें देने की सुविधायें उपलब्ध हो जायं । मेरा यह भी मत है कि यदि रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को भर्ती करने के मामलों में प्राथमिकता दी जाय तो इससे कार्य कुशलता बढ़ जायेगी । पहले जब यह सुविधा उपलब्ध थी तो कार्य कुशलता बराबर थी ।

एक अन्य बात जो मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे कि कर्मचारियों को निरंतर दस घन्टे से अधिक कार्य न करना

पड़े । इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि कर्मचारियों का तबादला बार बार न किया जाय । इस संदर्भ में मेरी मंत्री महोदय से यह भी प्रार्थना है कि रेलों की कार्य कुशलता को दृष्टि में रखते हुए वह एक और क्षेत्र के निर्माण के मामले पर विचार किया जाय । यह भी बड़ा जरूरी तथ्य है कि कर्मचारियों को सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाया जाना चाहिए । और इसके लिए अच्छा यह है कि रेलवे कर्मचारियों के प्रतिनिधियों तथा रेलवे प्रशासन की एक संयुक्त समिति बनाई जाय । इस बात की सिफारिश कुंजरू समिति ने भी की और शाहनवाज समिति ने भी, परन्तु इसे कार्यान्वित नहीं किया गया है । मेरा निवेदन यह है कि रेलवे मंत्री को इस सुझाव का परीक्षण करना चाहिए । मुझे खेद है कि समय न होने के कारण मैं तकनीकी और मशीनरी के बारे में कुछ विचार व्यक्त करने में असमर्थ हूं ।

श्री शिव नारायण (बांसी) : मेरा मत यह है कि कुंजरू समिति को रेलवे मंत्री द्वारा हटा दिया जाना चाहिए । इसकी कोई जरूरत नहीं है । जहां तक मेरे पास चार्ट है; उसके अनुसार 1948-49 से 1950-51 तक दुर्घटनायें 2,4000 से 2,0000 तक हैं । यह आंकड़े समय-समय कम अधिक होते रहे हैं । 1963-64 से 1964-65 में दुर्घटनाओं की संख्या वार्षिक रूप में 7,000 से 6,000 तक हो गई है । जब डा० राम सुभग सिंह मंत्री बने तो दुर्घटनाओं की संख्या 6,466 थी । इस बारे में मेरा रेलवे मंत्री से यह निवेदन है कि उन्हें साम्यवादी लोगों का ध्यान रखना चाहिए । यह लोग ही इन दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी हैं । मेरा मत यह है कि यदि ये लोग अपने तोड़ फोड़ के कार्य समाप्त कर दें, तो देश में ये दुर्घटनायें अपने आप ही समाप्त हो जायेंगी ।

इसके अतिरिक्त मुझे यह भी निवेदन करना है कि अनुशासन का ध्यान रखा जाना चाहिए । अनुशासन हीनता भी इन दुर्घटनाओं का एक कारण है । इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि रेलों में जो पुलिस दल कार्य कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ा देनी चाहिए । इससे तोड़ फोड़ करने वालों को पकड़ा जा सकेगा । वैसे भी यह प्रयास विशेष रूप से किया जाना चाहिए कि यह तोड़ फोड़ करने वाले कौन हैं । अत: पुलिस वालों के भत्ते और डाक्टरी सहायता तथा बच्चों के भत्ते के रूप में सुविधायें दी जानी चाहिए । मुझे आशा है कि श्री पाटिल इस ओर ध्यान देगें और इस बात का विश्वास है कि आगे से दुर्घटनायें नहीं होंगी ।

श्री अल्वारेस (पंजिम): हम डा० सिंघवी के आभारी हैं कि उन्होंने दुर्घटनाओं के इस विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया है । गत तीन मास में देश भर में बहुत सी दुर्घटनायें हुई हैं । उनसे लोगों में बहुत सी चिन्तायें पैदा हो गई हैं । इन दुर्घटनाओं के बहुत से कारण बताये जाते हैं । कारण कुछ भी हो सरकार को इस दिशा में सचेत तो होना ही होगा । सरकार को रेलवे की सुरक्षा की ओर ध्यान तो देना होगा ताकि लोगों में यात्रा करते हुए जो भय होने लगा है, वह दूर हो सके । मेरा मत यह है कि प्रत्येक दुर्घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए । इस दिशा में आकड़े किसी काम नहीं आ सकते । हमें इस समस्या पर इस दृष्टि से देखना होगा कि हमें प्रयास करना है कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनायें न हों । मैं उन लोगों को क्षमा करने के

पक्ष में नहीं हूं जिनकी लापरवाही से दुर्घटनायें हुई हैं, परन्तु इसके साथ ही यह कह देना भी उत्तरदायित्व पूर्ण नहीं है कि मानवीय भूलों से यह सब हुआ है। रेलवे प्रशासन का यह एक मात्र अनुमान कि ये सब मानव असफलता है, गैर जिम्मेदारी का द्योतक है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि रेलवे दुर्घटनाओं के बहुत से कारण हैं परन्तु यह कहना कि दूसरे देशों के मुकाबले में हमारी स्थिति अच्छी है कुछ जचने वाली बात नहीं है। देखने में यह बात आई है कि प्रशासन के आदेश के अनुसार सभी प्रकार के गलत ठीक कार्य किये जा रहे हैं। कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा सम्बन्धी किसी नियम पर अमल नहीं किया जा रहा। और जब कभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो सारा दोष कर्मचारियों के सिर थोप दिया जाता है। और यह शोर मचने लगता है कि 'मानव असफलता' इसका मुख्य कारण है। मेरा निवेदन यह है कि सभी गम्भीर दुर्घटनाओं के बारे में अदालती जांच होनी चाहिए। दोषियों का पता कर ही लिया जाना चाहिए ताकि आगे के लिए सुरक्षा की ठीक ढंग से व्यवस्था की जा सके।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि):जो प्रतिवेदन माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसमें 5 दुर्घटनाओं का उल्लेख है। दो के कारण तो तोड़ फोड़ हैं और तीन 'मानवीय असफलता' का शिकार हैं। बंगलौर में जो दुर्घटना हुई है उसे तोड़ फोड़ का परिणाम नहीं कहा जा सकता, इस बारे में जांच की जानी चाहिए। रेलवे सुरक्षा आयुक्त की रिर्पोट को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी तो पटरियों की जांच की जा रही है। मेरा आग्रह यह है कि पटरियों की जांच पूरी तरह की जाय। इस बात का अच्छी तरह से पता किया जाना चाहिए कि दुर्घटना पटरियों की खराबी की वजह से हुई थी अथवा इंजन की खराबी के कारण। मेरा निवेदन यह है कि जब लोगों को दुर्घटना के कारणों पर सन्देह हो तो सरकार को जांच आयोग के अन्तर्गत अवश्य उसकी जांच की जानी चाहिए। बंगलौर दुर्घटना में 23 मरे बताये जाते हैं। माटुंगा में 68 मरे, अहमदाबाद—दिल्ली एक्सप्रेस में 15 मृत्यु के घाट उतरे बताये गये। यह सब सरकारी आंकड़े हैं, वास्तविक आकड़े शायद इससे अधिक हैं। मेरा कहना है कि जांच होनी चाहिए।

हमें इस बात की पूरी स्मृति है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री जब रेलवे मंत्री थे तो उन्होंने एक दुर्घटना होते ही मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया था। उस दुर्घटना की जांच हुई थी और उसका कारण यह था कि एक इंजीनियर ने अपने कर्तव्य के प्रति उपेक्षा दिखाई थी। एक बात इस दिशा में मंत्री महोदय को यह भी आश्वासन देना चाहिए कि चलती गाड़ियों में ड्राइवर, फायरमैन और गार्ड लोगों को बहुत समय तक लगातार काम पर नहीं लगाया जाना चाहिए।

ड्राइवर, फायरमैन तथा गार्ड ने रेलवे नियंत्रक से स्वयं जाकर कहा कि वह आज गाड़ी न भेंजे क्योंकि वहां पर तेज वायु चल रही है और पत्थरों के छोटे-छोटे टुकड़े उड़ रहे हैं और कि कुछ दिखाई नहीं देता है। परन्तु इसके बावजूद भी उनको गाड़ी ले जाने के लिए बाध्य किया गया और उसके परिणामस्वरूप सभी लोग मारे गये तथा सारी गाड़ी नष्ट हो गई। ऐसे मामलों में भी जांच नहीं कराई गई है। ऐसे मामलों में जहां कि अधिक व्यक्ति मरे जांच आयोग अधि-नियम के अन्तर्गत अवश्य ही जांच कराई जानी चाहिए।

मंत्री महोदय को इस बात की गारंटी देनी चाहिए कि किसी भी ड्राइवर, गार्ड, फायरमैन और गाड़ी के साथ चलने वाले कर्मचारी वर्ग के सदस्यों से एक दिन में 12 घण्टे से अधिक काम नहीं लिया जायगा। कुछ स्थानों पर कर्मचारियों से 12 घण्टे काम लिया जाता है जब कि केवल 8 घण्टे काम लिया जाना चाहिए। जहां कहीं भी पहले 8 घण्टे काम लिया जाता था, वहां पर अब रेलवे प्रशासन ने कार्य का समय बढ़ाकर 12 घण्टे कर दिया है। यह मामला यात्रा करने वाली समस्त जनता से सम्बन्धित है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि वह गारंटी दें कि इन सब बातों पर ध्यान देंगे।

मितव्यिता के नाम पर प्रत्येक सरकार ने प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर कर्मचारियों की संख्या में कमी कर दी है। रेलवे दुर्घटना सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन से पता लगता है कि रेलवे के परिचालन कर्मचारी वर्ग के कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से बहुत कम है और यह सुरक्षा के लिए एक गम्भीर खतरा है। इससे यह भी पता लगता है कि छुट्टी पर जाने वाले व्यक्तियों के स्थान पर दूसरे व्यक्ति नहीं दिये जाते जिसके परिणामस्वरूप लोग थके होने के बावजूद भी उन्हें समय से अधिक कार्य करना पड़ता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए तथा आवश्यक व्यक्तियों की नियुक्ति करनी चाहिए।

इंजिनों, गाड़ियों, मालगाड़ियों और रेल पटरियों की सुरक्षा का उचित रूप से प्रबन्ध किया जाना चाहिए। इस मामले में मंत्री महोदय को राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं करना चाहिए और जनसाधारण का ध्यान इधर से नहीं हटाना चाहिए। यात्रियों की सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

रेलवे कर्मचारियों को तंग नहीं किया जाना चाहिए और उनकी समस्याओं पर सहानुभूति पूर्ण विचार किया जाना चाहिए। जैसा कि श्री शर्मा ने कहा उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है तथा उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। मंत्री महोदय को इन सब बातों की ओर ध्यान देना चाहिए।

Shri K. N. Tiwary (Bagaha) : The number of railway accidents in India is less as compared to those in other countries. Some accidents in a vast country like ours are but natural. The Government is very much moved by these accidents. Government is fully aware of its responsibilities and whenever any such accident takes place, it takes prompt action in the matter.

Controllers are heavily pressed with their duties. Railway Administration should provide more facilities to them and some relief should also be given. That will also help in lessening the railway accidents.

There is no doubt that facilities should also be provided to railway employees but they should also work in a disciplined manner.

Attention should also be paid to unmanned railway crossings, wherever necessary, railway crossings should be manned.

Accidents take place due to sabotage activities also. All political parties should pay attention to this aspect also. The staff should also work with more alertness and should be more vigilant in order to check acts of sabotage.

The Railway Administration should ensure that staff is not made to work overtime, because overwork is responsible for increase in the number of accidents.

Proper training should also be given to the railway staff. Refresher courses should also be started.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : दुर्घटनाएं किसी भी तरह की क्यों न हों, बड़ी दुखदाई होती हैं ।

दुर्घटनाएं दो प्रकार से होती हैं । एक तो तोड़फोड़ की गतिविधियों के कारण । मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में एक स्टेशन पर एक वर्ष में एक-दो बार बम विस्फोट हो जाता है । सरकार ने इस प्रकार के विस्फोटकों की रोकथाम के लिए कार्यवाही की है ।

यदि हम अपने देश में रेलवे पथ की मील-दूरी की अन्य देशों में रेल पथ की मील-दूरी से तुलना करें तो हमें पता लगेगा कि हमारे देश में दूसरे देशों की तुलना में रेल दुर्घटनाओं की संख्या बहुत कम है ।

अब रेलों के परिचालन सम्बन्धी सुरक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है और दुर्घटनाओं का खतरा बहुत कम हो गया है ।

प्रश्न यह है कि आखिर क्यों अमरीकी उस अस्पताल पर इतना खर्च कर रहे हैं । उद्देश्य यही है कि रोगों से यदि कोई मानवीय जीवन को बचाया जा सकता है तो बचाना चाहिए । मेरा निवेदन यह है कि यह कहना गलत है कि रेल की टिकिट खरीदना नरक की टिकिट खरीदना है, अतः इस प्रकार की बातें सदन में करना शोभा की बात नहीं है ।

जैसा कि मैंने इससे पूर्व भी कहा था कि दुर्घटनायें कई बार तोड़-फोड़ करने के परिणाम स्वरूप भी होती हैं । कुछ बाह्य शक्तियों का हाथ भी उसमें होता है । मेरे चुनाव क्षेत्र में इस प्रकार के तोड़-फोड़ पाकिस्तान के एजेन्टों ने किये । और लगता है कि इस देश में जो तोड़-फोड़ चलता है, उसकी पीठ पर विदेशी सत्ता काम कर रही होती है । मेरा आग्रह यह है कि रेलवे मंत्री महोदय द्वारा इस प्रकार की कोई कार्यवाही इस दिशा में करनी चाहिए कि यह तोड़-फोड़ की कार्यवाहियाँ सदा के लिए समाप्त हो जायं और तोड़ फोड़ करने वाले तत्वों का सफाया हो जाय ।

इस संदर्भ में मुझे यह भी निवेदन करना है कि रेलवे कर्मचारियों को अपने काम पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो स्थिति नहीं सुधर सकेगी । साथ ही रेलवे कर्मचारियों को अनुशासन का भी ध्यान रखना होगा इसके बिना भी कार्य सुचारुरूप से नहीं चल सकता । बहुत सी दुर्घटनाओं का कारण लापरवाही भी होती है । हमें सदैव जागरूक रहना होगा ।

रेलवे अधिकारियों का कर्त्तव्य है कि वे रेलपथ, सिग्नल व्यवस्था तथा बिना चौकीदार के क्रासिंग पर अधिक चौकसी से काम लें। भविष्य में यह प्रयास किया जाना चाहिए कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो और रेलवे का रिकार्ड बहुत ही साफ रहे।

श्री वारियर (त्रिचूर) : हम डा० सिंघवी के आभारी हैं कि उन्होंने इस विषय पर चर्चा करके इस विषय पर विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया है। मैं मंत्री महोदय की कुछ बातों का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। मंत्री महोदय ने अपने 25-7-1966 वाले वक्तव्य में दुर्घटनाओं का उल्लेख संक्षेप से किया है। रेलवे अधिकारियों की एक समिति ने भी दुर्घटनाओं के बारे में विचार किया है और उसकी जांच की है। इस रेलवे दुर्घटना समिति का विचार है कि भारतीय रेलों पर जो अधिकांश दुर्घटनायें हुई हैं, उसका कारण रेलवे कर्मचारियों की उदासीनता तथा असफलता है। अतः मेरा निवेदन है कि तोड़-फोड़ अथवा अन्य बातों का नाम लेकर इससे बचा नहीं जा सकता। यदि षड़यन्त्र तथा राजनीतिक प्रश्न का नाम ही लिया जाता रहा तो इस समस्या का हल नहीं होगा। यह प्रथम बात है जो मैं मंत्री महोदय की सेवा में निवेदन करना चाहता हूँ।

न ही मंत्री जी के वक्तव्य और न ही कुंजरू समिति का प्रतिवेदन इस ओर संकेत करता है कि इन दुर्घटनाओं का कारण मुख्यतः तोड़ फोड़ है। दोनों प्रतिवेदनों ने एक बात सामान्य रूप से स्वीकार की है कि भूल तो मानव से होती ही रहती है। रेलवे में भी कोई देवता तो काम करते नहीं, इन्सानों से ही काम लेना होता है। पर इस दिशा में मेरा एक आग्रह यह है कि रेलवे का सामान ठीक स्थिति में रखा जाना चाहिए। किसी स्थान पर की एक छोटी सी कमी वास्तव में बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकती है। थोड़ी सी असावधानी से यदि गेज तनिक भिन्न हो जाय तो रेल पटरी से उतर जायेगी। और इसके परिणाम भयंकर हो ही सकते हैं।

इस सन्दर्भ में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें रेलवे कर्मचारियों को यथा सम्भव प्रोत्साहन देना चाहिए। उनकी जो भी समस्यायें सामने आयें उन पर सहानुभूति पूर्ण ढंग से विचार करना चाहिए। मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि जब तक यह नहीं किया जाता सुरक्षा की दृष्टि से हमारी मशीनरी ठीक ढंग से काम नहीं कर सकेगी। सरकार को भी ठीक ढंग से कार्य करना चाहिए, और जब भी कोई रेलवे दुर्घटना हो तो तुरन्त उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। रेलवे कर्मचारियों के लिए सस्ती दुकानें खोली जानी चाहिए ताकि उन्हें सस्ती चीजें उपलब्ध हो सकें। उनकी मांग को पूरा करने के सम्बन्ध में एक मंजूरी बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए, जो इस मांग पर सहानुभूति पूर्ण ढंग से विचार करे, आज रेलवे हमें 36 करोड़ से 50 करोड़ रुपये का नफा दे रही है।

इसके साथ ही मैं इस बात का भी स्वागत करता हूँ कि रेलवे का विद्युतिकरण किया जाय। पर इससे पूर्व कि यह कार्य आरम्भ किया जाय अधिक सुरक्षा की दृष्टि से पटरियों को नया बनाने का कार्य करना चाहिए। यदि रेलवे प्रशासन ने इस ओर ध्यान न दिया तो काफी कठिनाई का सामना करना होगा। मुझे विश्वास है कि मंत्रालय इस ओर ध्यान देगा।

रेलवे मंत्री (श्री स०का० पाटिल) : मैं आज के वक्ताओं की बातों का उत्तर दूंगा। मैंने जो वक्तव्य दिया था, हम सब उस पर विचार कर रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि इस वक्तव्य में सारी दुर्घटनाओं का उल्लेख नहीं है। इसमें तो केवल उन दुर्घटनाओं का उल्लेख है जो दो सत्रों के बीच हुई हैं। मेरे माननीय मित्र ने रेलवे आयोग की बात कही है। मेरा कहना इतना ही है कि मैंने कभी विशेष आयोग की स्थापना का आश्वासन नहीं दिया। फिर आयोग जैसे जांच आयोग के बारे में मैंने जरूर कहा था। अधिकारियों की समिति इस मामलें में जांच करने के लिए मैंने स्थापित कर दी है।

तोड़ फोड़ की बात माननीय सदस्यों ने भी की है, पता नहीं इसका उल्लेख आते ही साम्यवादी दल को जोश क्यों आ जाता है। मेरा कहना यह है कि पांच दुर्घटनाओं में से एक दुर्घटना निश्चित रूप से तोड़ फोड़ की कार्यवाही के कारण थी। केवल 'फिश-प्लेटें' निकाल लिये जाने की ही बात नहीं है। जिन लोगों ने यह काम किया है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, और लूटी हुई सम्पत्ति उपलब्ध हो गई है। मामला अदालत में है। मेरा यह मतलब कदापि नहीं कि मैं साम्यवादी दल पर कोई तोड़-फोड़ की कार्यवाही का आरोप लगा रहा हूं। यह समस्या किसी दल विशेष को दोषी ठहराने की नहीं है। परन्तु यह कहना भी कहां तक ठीक है कि तोड़-फोड़ के पीछे कोई राजनीतिक विचारधारा काम नहीं कर रही थी। क्या केवल पटाखे चलने से ही लोगों की मृत्यु हो गयी। घटना तो निस्सन्देह दुर्भाग्य पूर्ण थी, परन्तु हमारी कठिनाई यह है कि हम सब यात्रियों का सामान खोलकर नहीं देख सकते। ऐसा तो हम कभी भी नहीं कर सकते। हम सावधानी और जागरूकता से ही काम ले सकते हैं और यह काम हम कर ही रहे हैं। नेफा क्षेत्र में हम काफी सचेत रह कर काम कर रहे हैं, परन्तु इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि यह सम्भव नहीं कि 2 अरब यात्रियों में से प्रत्येक यात्री के सामान इत्यादि की पूरी पूरी जांच की जाय।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार किया जाय और उनके लिए जो कुछ सम्भव है किया जाना चाहिए। उन्हें निरन्तर 12 घन्टे से अधिक समय तक काम नहीं करने दिया जाना चाहिए। यह सुझाव बड़ा उचित तथा उपयोगी सुझाव है। इसके बारे में रेलवे बोर्ड तथा तकनीकी लोगों से बातचीत की जायगी। जहां तक हमसे सम्भव होगा हम जागरूक रहने का प्रयास करेंगे। परन्तु यह मांग मुझे उचित जान नहीं पड़ती कि क्योंकि दुर्घटनायें होती हैं, इसलिए रेलवे मंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिए। यह तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर करने वाली बात है। कोई नीति की बात होती तब बात समझ में आ सकती थी। दुर्घटनायें तो होती ही रहती हैं। महत्व की बात यह हुई है कि 15 दिन से तीन सप्ताह में ये लगातार हुई हैं। यदि ये कुछ समय छोड़कर होतीं तो इसकी ओर शायद किसी का ध्यान ही न जाता।

मेरे विचार में इस बात से तो शायद कोई भी सहमत न होगा कि रेल कर्मचारियों की ठीक से देखभाल करनी चाहिए। मेरा यह विचार है कि उन्हें सहायता प्राप्त सस्ता अनाज भी

दिया जाना चाहिए। परन्तु इस दिशा में कठिनाई यह है कि हमारे पास अनाज का स्टाक ही नहीं है। जिन नगरों में राशनिंग व्यवस्था है, वहां इस तरह की कोई समस्या नहीं है। यह भी आशा की जाती है कि खरीफ की फसल आ जाने पर हालात कुछ सुधर जायेंगे और स्थिति सुधर जाने पर हम दुकानें खोल देंगे। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि अधिकतर दुर्घटनायें मीटर गेज अर्थात छोटी लाइन पर होती हैं। और इससे यह परिणाम निकालने का प्रयास किया जाता है कि छोटी लाइनों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। यह बात बिलकुल निराधार है। यदि हम इस दिशा में आकड़ों का अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होगा कि वहां भी दुर्घटनायें काफी कम हो गई हैं। मेरा मत यह है कि छोटी लाइनों के लिए पृथक जोन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यक बात तो यह है कि सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाय, अतः सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक कार्यवाही की जायेगी।

इसके अतिरिक्त मुझे यह भी निवेदन करना है कि अभी हाल में जो दुर्घटनायें हुई, उससे रेलवे विभाग काफी सचेत हो गया है, और उस प्रकार के सारे ढंग अपनाये जा रहे हैं जिससे भविष्य में दुर्घटनायें न होने पायें। रेल पथों की देखभाल का काम भी अधिक सावधानी और जागरूकता से किया जायेगा। यह भी ठीक है कि हमारी कुछ रेलवे लाइने काफी पुरानी हो गई हैं, चाहे यह बात ही हो कि कई एक लाइनों पर कोई दुर्घटना नहीं हुई है। पर उनकी हालत काफी जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। रेलवे बोर्ड तथा हमारे तकनीकी कर्मचारी इस मामले की ओर ध्यान दे रहे हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि कुंजरू समिति की सिफारशों को ठीक तरह से कार्यान्वित नहीं किया गया। वास्तविकता यह है कि उन सिफारशों पर कार्यवाही की जा चुकी है। एक दो सिफारशें ऐसी हैं जिन पर अभी तक अमल नहीं हो सका और इसके भी कुछ कारण है। समिति ने यह सुझाव भी दिया था कि रेलवे में नौकरियां देने के मामले में रेल कर्मचारियों के बेटों को प्राथमिकता दी जाय। हमने इस परामर्श को स्वीकार नहीं किया। हमारा विचार है कि ऐसा करना भेद-भाव करने के बराबर होगा।

इस दिशा में यह कहना भी सत्य पर निर्धारित नहीं है कि प्रशिक्षण की सुविधायें नहीं हैं। रेल विभाग में प्रशिक्षण के लिए व्यापक व्यवस्था है और इसका काफी लाभ भी उठाया जाता है। तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 50 प्रशिक्षण केन्द्र हैं। ये केन्द्र उन केन्द्रों से अतिरिक्त हैं जो कि वर्कशाप के साथ सम्बद्ध हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने उन रेलवे कर्मचारियों की कठिनाइयों का उल्लेख किया है जो कि गाड़ियों के साथ चलते हैं। उनमें से कुछ कठिनाइयां समझ में आने वाली हैं, और हम उन कठिनाइयों पर पूरी तरह ध्यान देंगे। रेल यात्री के बीमे का मामला सरल नहीं है। विमान यात्रियों का बीमा तो सरल है क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम होती हैं, परन्तु रेलों में तो असंख्य यात्री होते हैं। अनुमान यह है कि लगभग 2 अरब लोग रेलों से यात्रा करते हैं। प्रयास किया जायगा कि बीमे की व्यवस्था धीरे धीरे ही लागू की जाये और हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं। वैसे इस विषय पर जो भी सुझाव प्रस्तुत किये जायेंगे उन पर सहानुभूति पूर्ण ढंग से विचार होगा।

सभापति महोदय : डा० सिंघवी अगले दिन इसका उत्तर देंगे जब प्रस्ताव पर चर्चा होगी ।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 26 अगस्त, 1966/4 भाद्रपद, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, August 26, 1966/Bhadra 4, 1888 (Saka)

———

Tej Kumar Press, Lucknow—12-1-68—565